

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान



नगरपालिका चुनाव

पीठासीन अधिकारियों के लिए

मार्गदर्शिका



2019

प्रस्तावना

नगरपालिका संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन में कराये जाते हैं। नगरपालिकाओं के आगामी आम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। पूर्व में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 एवं 2014 में नगरपालिकाओं के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गत कई वर्षों से लोकसभा व विधानसभा के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संपन्न कराये जाते हैं जिससे वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से सरकारी मशीनरी व आम मतदाता भलीभांति अवगत है। वोटिंग मशीनों के उपयोग से कई प्रकार की सुविधा रही है और मतदान प्रक्रिया भी सरल हुई है।

किसी चुनाव में मतदान केन्द्र पर नियुक्त पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल के अन्य सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह मार्गदर्शिका पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु तैयार की गई हैं। पीठासीन अधिकारियों को चुनाव से पहले यह मार्गदर्शिका और सुसंगत (Relevant) विधिक प्रावधान अच्छी तरह पढ़ लेने चाहिये। यद्यपि आप में से अधिकांश ने लोकसभा/विधानसभा के चुनाव भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराये होंगे परन्तु प्रत्येक चुनाव की प्रक्रिया में कुछ न कुछ मौलिक भिन्नताएं होती हैं। नगरपालिकाओं की चुनाव प्रक्रिया में आपको उन भिन्नताओं का भी ध्यान रखना है ताकि चुनाव संचालन में कोई गलती नहीं हो। यह मार्गदर्शिका व्यवहारिक दृष्टिकोण व अद्यतन अधिनियम/नियमों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और चुनाव के दौरान आने वाली सभी संभावित समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। फिर भी ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं जिनका इस मार्गदर्शिका में उल्लेख नहीं हो, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी कानूनी प्रावधानों और मार्गदर्शिका को ध्यान में रखते हुए कुशलतापूर्वक से चुनाव सम्पन्न करवायेंगे।

हम सबका लक्ष्य त्रुटिरहित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना है।

अक्टूबर, 2019

31-10-2019


(प्रेम सिंह मेहरा)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रारंभिक	1
2.	मतदान दलों के सदस्यों का कार्य विभाजन	4
3.	पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य	8
4.	पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना (MPSV मॉडल)	18
4-A	पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना (MK-4, MK-5 एवं पुराना मॉडल)	28
5.	मतदान का प्रारम्भ और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के उपाय	39
6.	मतदाता की पहचान और आक्षेपित मतपत्र (Challenged Vote)	42
7.	दृष्टिहीन व शिथिलांग व्यक्तियों द्वारा मतदान	45
8.	निविदत्त मत, (Tender Vote) मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन पर मत देने की अनुमति नहीं देना	46
9.	मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया	48
10.	मतदान का स्थगन और मतदान को रोका जाना	53
11.	मतदान की समाप्ति तथा मतदान मशीन और कागजात को बन्द करना एवं मुहर लगाना	56
12.	चुनाव अनियमितताएं	59
13.	मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात व सामग्री को जमा कराना	61
14.	पीठासीन अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन	63
परिशिष्ट		
1.	भारतीय दण्ड संहिता 1860 के उद्धरण	67
2.	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्धरण	68
3.	राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन)नियम, 1994 के उद्धरण	75
3क	इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान और गणना संबंधित नियम	80
प्ररूप	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति (प्ररूप-9)	89
	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण (प्ररूप-10)	90
	दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची (प्ररूप-12)	91
	चुनौती मतों (Challenged Votes) की सूची (प्ररूप-13)	92
	मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप-14क)	93
	निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची (प्ररूप-14ख)	94
	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा (प्ररूप-14ग)	95
	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन (प्ररूप-15)	97
	डाक मतपत्र के लिये आवेदन (प्ररूप-15क)	98
	निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (प्ररूप-16)	99
	निर्वाचक द्वारा घोषणा (प्ररूप-16क,ख,ग एवं घ)	100
परिशिष्ट		
4.	मतदान दलों को दी जाने वाली सामग्री की सूची	103
5.	मतदान केन्द्र का ले-आउट	106

6.	पीठासीन अधिकारी द्वारा आरम्भ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं अंत में की गई घोषणाएँ	107
7.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का प्ररूप	109
8.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा व पेपर सीलों का लेखा- (प्ररूप-14ग) - भरा हुआ नमूना	112
9.	थानाधिकारी को शिकायती पत्र का प्ररूप	114
10.	निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंधी घोषणा का प्ररूप	115
11.	आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची का प्ररूप	116
12.	दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाता के साथी की घोषणा का प्ररूप	117
13.	चैलेंज फी रसीद बुक-प्ररूप	118
14	पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा	119
15	पीठासीन अधिकारियों के लिए चैक मीमो	122
16	मतदाता की पहचान हेतु विहित फोटो दस्तावेजों संबंधी आदेश	123
17	भारत निर्वाचन आयोग के अमिट स्याही लगाये जाने के संबंध में आदेश	125
18	राज्य निर्वाचन आयोग के अमिट स्याही लगाये जाने के संबंध में आदेश	127
19	प्रारूप मॉकपॉल प्रमाण पत्र	129

अध्याय-1

प्रारम्भिक

(1) प्रस्तावना:-

1. राज्य में नगर निकाय संस्थाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण व निर्देशन में कराये जाते हैं। नगर पालिकाओं के आगामी आम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराये जायेंगे। पूर्व में भी राज्य निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2009 एवं 2014 में नगरपालिकाओं के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी गत कई वर्षों से लोकसभा व विधानसभा के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से संपन्न कराये जा रहे हैं जिससे वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से सरकारी मशीनरी व आम मतदाता भलिभांति परिचित है। वोटिंग मशीनों के उपयोग से मतदान तथा त्वरित गति से मतगणना एवं परिणाम जारी करना संभव हुआ है और मतदान प्रक्रिया सरल हुई है।
2. वर्ष 2014 में नगरपालिका चुनावों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा हुआ था तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)() Rules/DLB /19/23179 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा अध्यक्षीय पदों के चुनाव हेतु प्रत्यक्ष प्रणाली लागू की गई थी। परन्तु नवीन अधिसूचना संख्या एफ 8(जी.ए)() Rules/DLB /19/33841 दिनांक 16.10.2019 के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से सम्पन्न कराया जायेगा।
3. पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदान केन्द्र पर मतदान की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु आपको पर्याप्त वैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं। मतदान केन्द्र पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका प्रमुख कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व है। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि आपको विधि एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन के संचालन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा निर्देशों की जानकारी प्राप्त हो, ताकि गलती की कोई संभावना ना रहे।
4. मतदान केन्द्र के लिए मतदान मशीन (Electronic Voting Machine) उपयोग में ली जानी है। इसलिए आपको मतदान मशीन द्वारा मतदान के संचालन के लिए विधि और प्रक्रिया की भली-भांति जानकारी होनी चाहिए और इनकी सही स्थिति से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। आपको मतदान केन्द्र पर मतदान के संचालन के प्रत्येक कार्य के साथ-साथ EVM के मतदान संचालन से भी पूर्णतः परिचित होना चाहिए। एक छोटी सी भूल या गलती या विधि प्रक्रिया का दोष या मतदान मशीन की विभिन्न क्रियाओं का अपर्याप्त ज्ञान आपके मतदान केन्द्र पर मतदान को दूषित कर सकता है।

(2) मतदान मशीनों का संक्षिप्त परिचय:-

1. मतदान मशीन (Electronic Voting Machine):- ई.वी.एम. नियंत्रण यूनिट (Control Unit) और मतदान यूनिट (Ballot Unit) से मिलकर बनी है। जब मतदान मशीन संचालित होती है तब ये दोनों यूनिटें, एक केबल के द्वारा जिसका एक सिरा मतदान यूनिट से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है, आपस में जुड़ी (Connect) रहती है।
2. मतदान मशीन मॉडल के आधार पर 15 अथवा 16 अभ्यर्थियों तक के चुनाव की व्यवस्था करती है। बैलेट यूनिट की स्क्रीन में निर्वाचन की विशिष्टियां, लडने वाले अभ्यर्थियों की क्रम संख्या, अभ्यर्थियों के नाम नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित और उन्हें आवंटित प्रतीकों से युक्त मतपत्र प्रदर्शित करने की व्यवस्था है। प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने एक बटन है जिसे दबाकर मतदाता अपना मत अंकित (Record) कर सकता है।
3. EVM मशीन के मॉडल के आधार पर मशीन का विवरण, मशीन को तैयार करना एवं मतदान का तरीका इस पुस्तक के अध्याय-4 एवं अध्याय-4-A में विस्तृत रूप से समझाया गया है।
ई.वी.एम. मशीन में एक आधुनिक माइक्रो कम्प्यूटर प्रयुक्त होता है। यह बैटरी से कार्य करता है। ई.वी.एम. मशीन चलाने में सरल, टेम्पर प्रूफ एवं गलती रहित है। मशीन में एक बार रिकॉर्ड की गई मतदान सम्बन्धी जानकारी उसकी स्मृति में बनी रहेगी चाहे बैटरी हटा दी जाये। ई.वी.एम. कम अवधि में उपयोग हेतु तैयार की जा सकती है। इसमें अमान्य वोटों

(Invalid Votes) की कोई गुंजाइश नहीं है और मतदान डेटा की गोपनीयता पूरी तरह से बनी रहती है। ईवीएम त्वरित और सटीक गणना की सुविधा देता है तथा निरक्षरों को भी मतदान मशीन के उपयोग द्वारा अपना मत रिकार्ड करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके उपयोग से मतदान के अंत में उसी दिन परिणाम घोषित करना संभव है। मशीन की दोनों यूनिटें (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) दो पृथक बक्सों (केरिंग केस) में दी जायेगी जो सरलता से लाई और ले जायी जा सकती है।

4. राज्य निर्वाचन आयोग में उपलब्ध वोटिंग मशीनों के मॉडल MK4, MK5 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. बंगलौर एवं मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मॉडल मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित है। राज्य में नगर निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग में उपलब्ध मशीनों से सम्पन्न कराये जायेंगे।

जहां तक संचालन की मूल प्रक्रिया का प्रश्न है उक्त प्रकार की वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट की मूल प्रक्रिया में अंतर नहीं है।

5. राज्य में उपलब्ध मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) मॉडल मशीनें विशेष-रूप से स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बनाई गई है। यह एक से अधिक पदों और सिंगल वोट को सपोर्ट करती है। ई.वी.एम. में मुख्य रूप से दो इकाई शामिल है (1) नियंत्रण इकाई जिसमें SDMM होती है। (2) बैलेट यूनिट जिससे सीयू के साथ इन्टरकनेक्शन के लिए केबल जुड़ी होती है। सीयू का उपयोग केवल चुनाव कराने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसमें कोई मतदान डेटा या चुनाव से संबंधित कोई डेटा संग्रहित नहीं होता है। चुनाव से संबंधित सभी विवरण और डेटा SDMM में संग्रहित किये जाते हैं। बीयू का उपयोग मतदाता के मतदान करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में एक कंट्रोल यूनिट से एक से अधिक पदों के लिए प्रयुक्त बैलेट यूनिट (अधिकतम चार) को नियंत्रित किया जा सकता है।
6. **कंट्रोल यूनिट** मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसे पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के शीर्ष भाग में चार खंड होते हैं। 1 प्रदर्शन सेक्शन (Display Section) 2 उम्मीदवार सेट सेक्शन (Candidate Set Section) 3 परिणाम सेक्शन (Result Section) 4 मतपत्र सेक्शन (Ballot Section)।

डिस्प्ले सेक्शन में दो लैंप On एवं Busy और डिस्प्ले विंडो पैनल (Display Window Panel) शामिल होते हैं।

उम्मीदवार सेट सेक्शन में एक बैटरी पैक कम्पार्टमेंट और एक 'Cand Set' बटन कम्पार्टमेंट होता है। इस भाग में एक आवरण (Cover) होता है जो बाएं से दाएं खुलता है। बाईं तरफ की लैच को दबाकर इस कवर को खोलने पर, दो कम्पार्टमेंट दिखाई देते हैं Cand सेट कम्पार्टमेंट के बाईं ओर बैटरी पैक कम्पार्टमेंट बैटरी पैक को लगाने के लिए है। Cand set बटन कम्पार्टमेंट दाईं ओर एक फ्लैप के साथ कवर किया गया है जो बाएं से दाएं खुलता है और इसे थ्रेड सील (Thread Seal) द्वारा सील किया जाता है। इस कम्पार्टमेंट में एक Cand Set बटन है साथ ही SDMM को लगाने का प्रावधान है। ईवीएम के सामान्य संचालन के लिए सीयू में एसडीएमएम लगाया जाना चाहिए। उम्मीदवार सेट सेक्शन को बंद करके थ्रेड से सील कर एट्रेस टैंग लगाया जाता है।

परिणाम सेक्शन के कवर में बाईं ओर एक अण्डाकार छंद होता है जिसके माध्यम से Close बटन दिखाई देता है। दाहिने हिस्से में एक आंतरिक कम्पार्टमेंट होता है, जिनमें से RESULT-I और RESULT-II बटन दिखाई देते हैं। आंतरिक कम्पार्टमेंट के दरवाजे में पिंक पेपर सील लगाने के प्रावधान के साथ दो छिद्रों युक्त एक फ्रेम होता है। आंतरिक कम्पार्टमेंट में दो बटन RESULT-I और RESULT-II और एक बटन CLEAR होता है।

बैलेट सेक्शन में दो बटन होते हैं, एक Total बटन और दूसरा Ballot बटन।

7. **बैलेट यूनिट** पर प्रत्येक उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के सामने एक बटन दिया गया है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट रिकॉर्ड करने के लिए उस उम्मीदवार के सामने का बटन दबाना होगा। जब मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन दबाता है, तो संबंधित लाल बत्ती जलती है। जब मतदाता मतदान पूरा कर लेता है, तो उम्मीदवार के सामने की Arrow लाल बत्ती, सभी बीयू में READY बत्ती और कंट्रोल यूनिट में BUSY लैम्प बंद हो जाएगी और एक बीप ध्वनि सुनाई देगी। यह इंगित करता है कि मतदाता द्वारा वोट डाल दिया गया है।

बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच बीयू पैनल पर सबसे ऊपर दाईं ओर होता है। मतदान इकाई BU के अंदर स्लाइड स्विच को चार संभावित 1, 2, 3 या 4 में से किसी एक पर सेट करके संचालित किया जाता है। जब केवल एक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो स्विच को स्थिति 1 पर सेट करना होगा। यदि एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया

जाता है, तो उन बैलेट यूनिट में स्विच को क्रमिक रूप से 2, 3 या 4 पर सेट करना होगा। स्विच की स्थिति को यूनिट पर पारदर्शी पैनल के माध्यम से देखा जा सकता है।

ECIL/BEL जिसने इन मशीनों का निर्माण किया है, उनके द्वारा निर्मित मशीनों के संचालन के विस्तृत ब्यौरे देते हुए निर्देशिकाएँ प्रकाशित की हैं। आपके मतदान केन्द्र पर काम आ रही ECIL/BEL द्वारा निर्मित मशीन के मॉडल से संबंधित निर्देशिका का अध्ययन बहुत ध्यान से करना चाहिए जिससे ई.वी.एम. संचालन एवं प्रयोग में लेने पर कोई कठिनाई नहीं हो। यह निर्देशिका आपको मतदान केन्द्र पर जाने के पूर्व मिली सामग्री में प्रदान की जाती हैं।

(3) मतदान के संचालन के संबंध में कानूनी प्रावधान

यह मार्गदर्शिका आपके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक जानकारी देने के लिए तैयार की गई है। तथापि इस मार्गदर्शिका को सभी तरह से पूर्ण और मतदान के संचालन के दौरान निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों का विकल्प नहीं समझा जा सकता। आपको जहां आवश्यक हो, कानूनी प्रावधानों का भी अध्ययन करना चाहिए।

महत्वपूर्ण :- ऐसे मतदाता जो मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देते हैं एवं मतदान प्रकोष्ठ में जाकर मतदाता मशीन पर मत नहीं डालना चाहते हैं, ऐसे मतदाता को अपना वोट नोटा में डालने के लिए पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रेरित किया जायें। यदि फिर भी मतदाता अपना वोट नहीं डाले तो ऐसी स्थिति में मतदाता रजिस्टर में मत नहीं डालने वाले मतदाता को No Vote से इंगित कर लिया जावे। ऐसे मतदाताओं की संख्या पीठासीन अधिकारी प्रारूप 14-ग के बिन्दु संख्या 3 नियम 45-क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की कुल संख्या पर अंकित करेंगा। MPSV मशीन का END (16वाँ) बटन बन्द (Mask) रहेगा।

अध्याय-2

मतदान दल के सदस्यों का कार्य विभाजन

मतदान के सफल व सुचारु संचालन के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि मतदान दल का कौनसा सदस्य क्या कार्य करेगा। मतदान दल के सदस्यों द्वारा जो कार्य किये जाने हैं उनका वर्णन आगे विस्तार से किया गया है और मुख्य-मुख्य कार्य बिन्दु इस अध्याय में बताये जा रहे हैं:-

(1) प्रथम मतदान अधिकारी :-

1. चिन्हित मतदाता सूची का प्रभारी होगा और मतदाता की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फोटो दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान के साथ-साथ यह अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की **बांयी तर्जनी** पर अमिट स्याही का कोई निशान तो नहीं है।
3. इसके पास निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति होगी जिसमें वे नाम Deleted दर्शित होंगे जिनके नाम हटाये गये नामों की सूची में अंकित है। नाम डिलीट किये जाने के कारण मूल सूची के मतदाताओं की प्रविष्टियों की छपी हुई क्रम संख्या में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। शुद्धियों की सूची के आधार पर पहले से ही इस प्रति में शुद्धि की हुई होगी। जिससे प्रत्येक प्रविष्टि का सही विवरण तुरन्त मिल जाय व मतदान में किसी प्रकार की देरी ना हो।
4. पहचान हो जाने पर यह अधिकारी मतदाता की प्रविष्टि के समस्त विवरण को जोर से बोलेगा जिससे द्वितीय मतदान अधिकारी और पीछे बैठे हुए पोलिंग एजेन्ट सुन सकें। पोलिंग एजेन्ट इसी वक्त चाहें तो पहचान बाबत् एतराज उठा सकते हैं।
5. पहचान हो जाने के तुरन्त बाद यह अधिकारी प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खींच देगा और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के नाम के बायीं तरफ टिक (✓) लगायेगा तथा यदि मतदाता, मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित है तो उसके नाम के बायीं तरफ स्टार (*) लगायेगा। जिससे मतदान के अंत में गिनकर पता लगाया जा सके कि कुल कितने पुरुष मतदाताओं ने मत दिये व कितने स्त्री मतदाताओं ने तथा कितने थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित मतदाताओं ने मत दिये। स्थिति का परिणाम पीठासीन अधिकारी की डायरी में अभिलिखित किया जायेगा।
6. साधारणतया प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के बूथों से पहचान पर्ची लाते हैं, जिसकी सहायता से पहला मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसका नाम ढूँढता है, पर यदि कोई मतदाता अपने साथ ऐसी पर्ची नहीं भी लाये तो भी इस मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि ऐसे मतदाता का नाम ढूँढे तथा पर्ची न होने के कारण मतदाता को नहीं लौटाये।

नोट :- पहचान पर्ची सफेद कागज पर मुद्रित हो सकती है और जिस पर केवल निम्न विवरण छपाये जा सकते हैं :-

- (i) नगरपालिका का नाम व वार्ड संख्या।
 - (ii) मतदान केन्द्र की संख्या व नाम।
 - (iii) मतदाता का नाम।
 - (iv) मतदाता सूची में मतदाता की भाग संख्या और क्रम संख्या। इस पर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह छापना कानूनी अपराध है। पहचान स्थापित हो जाने के बाद पहचान पर्ची को फाड़कर कूड़ेदान की टोकरी में डालें, फर्श पर नहीं फेंकें।
7. मतदान केन्द्र पर बैठे पोलिंग एजेन्ट/उम्मीदवार/इलैक्शन एजेन्ट यदि चाहे तो इस स्टेज पर किसी मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकते हैं बाद में नहीं।
 8. चैलेन्ज होने के बाद की सारी कार्यवाही पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) करेगा।
 9. पहचान स्थापित हो जाने के बाद मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास चला जायेगा।

(2) द्वितीय मतदान अधिकारी :-

1. द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर और अमिट स्याही का प्रभारी होगा। इसके पास निम्नांकित सामग्री होगी :-
 - 1) अमिट स्याही की शीशी।
 - 2) मतदाता रजिस्टर।
 - 3) निर्वाचक नामावली की कार्यकारी प्रति (Working Copy)।
 - 4) बाल पैन।
 - 5) स्टैम्प पैड।
 - 6) गीले कपड़े का टुकड़ा।
2. जैसे ही प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक का भाग संख्यांक तथा क्रम संख्यांक ऊंची आवाज में बोलता है, उसी समय द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की बांयी तर्जनी को देखेगा कि उस पर अमिट स्याही का निशान तो नहीं है। तत्पश्चात् मतदाता की बांयी हाथ की तर्जनी (अंगूठे के पास वाली पहली अंगुली) पर नख के बिल्कुल ऊपर ही कोमल चमड़ी पर और नख को छूते हुए अमिट स्याही लगाई जानी है। यह ध्यान रखे कि मतदाता की बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाते समय ब्रुश से अधिक स्याही न लगाये। ब्रुश के केवल ऊपरी भाग को स्याही में डुबोयें इससे अधिक स्याही लेने से बचा जा सकता है। ब्रुश को स्याही में डुबोने के बाद उसे इस तरह से लगायें कि त्वचा व नख के बीच रिज के ऊपर भी फैल जाय और अंगुली पर निशान रह जाय। यह सुनिश्चित कर लें कि स्याही लगाते समय मतदाता की तर्जनी सीधी है और स्याही लगाने के तत्काल बाद कम से कम 30 सैकण्ड तक उसे सूखने का समय दे, यदि यह देखें कि निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगे अमिट स्याही के निशान को निष्प्रभावी करने के लिए कोई तेल या चिकना पदार्थ लगाया है तो ऐसे तेल या चिकने पदार्थ को निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने से पूर्व कपड़े के टुकड़े से मतदान अधिकारी को साफ कर देना चाहिए। मतदाता को उसकी अंगुली पर लगे निशान को कम से कम 30 सैकण्ड तक रगड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी नहीं है, तो किसी भी ऐसी अंगुली जो उसके बांये हाथ की है पर अमिट स्याही लगाये। यदि किसी के बांये हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो उसके दांये हाथ की तर्जनी पर और यदि दांये हाथ की तर्जनी भी नहीं है तो उसकी तर्जनी से शुरू होने वाली किसी भी अंगुली पर लगा दें। यदि उसके किसी भी हाथ में कोई भी अंगुली नहीं है तो उसके बांये हाथ या दांये हाथ जो भी हो के छोर पर स्याही लगानी चाहिए। [नियम 35 क (2)(ख)] यदि किसी मतदाता के बांये हाथ की तर्जनी पर पहले से ही ऐसा चिन्ह विद्यमान है तो वहां यह समझा जावेगा कि उसने निर्वाचन में पहले ही अपना मत दे दिया है और उसे कोई मत नहीं देने दिया जायेगा। साथ ही किसी मतदाता को कोई मत तब तक नहीं देने दिया जायेगा जब तक वह अपनी बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह नहीं लगवाये। [नियम 35क (2)(क)] महिला मतदाता की अंगुली नहीं छूनी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के संबंध में आदेश जो परिशिष्ट-17 पर संलग्न है। उसकी पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पुनर्मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगे निशान पर ध्यान नहीं दिया जायेगा और मतदाता के बांये हाथ के बीच की अंगुली (Middle Finger) के नाखून की जड़ में अमिट स्याही का ताजा निशान लगाया जायेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 2205 दिनांक 04.07.2019 जारी किया हुआ है, जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है। उसकी पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उपरोक्त रीति से मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी ऐसे मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर (प्ररूप14-क) में करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठा उक्त रजिस्टर में करायेगा। मतदाता रजिस्टर के प्रथम कालम में निरंतर क्रम संख्या लिखी जायेगी जो क्रम संख्या-1 से प्रारंभ होगी। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में 15 क्रम संख्यायें रखे जाने का प्रावधान रखा गया है और मतदान अधिकारी को चाहिये कि कुछ पृष्ठों पर इस कॉलम में अग्रिम रूप से क्रम संख्यायें अंकित कर लें। रजिस्टर के दूसरे कॉलम में मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता की जो क्रम संख्या अंकित है वह लिखी जायेगी। उदाहरण स्वरूप मतदान प्रारंभ होने पर प्रथम क्रम पर आने वाला मतदाता जिसका नाम निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या 518

- पर दर्ज है के लिये मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में क्रम संख्या-1 दर्ज होगी तथा दूसरे कॉलम में क्रम संख्या 518 दर्ज होगी। दूसरे क्रम पर आने वाले मतदाता जिसका नाम मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 313 पर है तो रजिस्टर के प्रथम कॉलम में क्रम संख्या-2 और द्वितीय कॉलम में क्रम संख्या 313 दर्ज होगी और इसी प्रकार प्रविष्टियां रजिस्टर में होती रहेंगी।
5. मतदाता की पहचान किसी फोटो युक्त दस्तावेज, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किये हैं (परिशिष्ट-16) से की जानी है। अतः ऐसे पहचान दस्तावेज के क्रमांक के अंतिम चार डिजिट (digit) मतदाता रजिस्टर के अभ्युक्ति (Remark) वाले कॉलम में लिखे जायेंगे। यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या चार डिजिट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूरी क्रम संख्या को अंकित कर लिया जावे।
 6. मतदाता रजिस्टर में प्रथम, द्वितीय तथा अभ्युक्ति कॉलम की पूर्ति हो जाने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी रजिस्टर के तीसरे कॉलम में (प्रथम व द्वितीय कॉलम में उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के सम्मुख) प्राप्त करेगा।
 7. जब मतदान अधिकारी मतदाता के हस्ताक्षर कराये तो मतदाता से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पूरे हस्ताक्षर करें, अर्थात् वह पूरा नाम लिखें, यदि कोई साक्षर मतदाता हस्ताक्षर स्वरूप मात्र एक निशान लगाता है और यह तर्क दे कि यही उसके हस्ताक्षर है तो उस मतदाता का अंगूठा निशानी लेनी चाहिये क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर का आशय यह है कि जिस दस्तावेज पर अधि-प्रमाणन स्वरूप वह अपने हस्ताक्षर करता है तो उसे अपना पूरा नाम दर्शित करते हुए ही हस्ताक्षर करने चाहिये। यदि साक्षर व्यक्ति उपरोक्त रीति से अपेक्षा-अनुसार हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसका अंगूठा निशानी लेना चाहिये और अंगूठा निशानी भी नहीं करता है तो उसे वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
 8. यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाता रजिस्टर में उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिये। अंगूठा निशानी को पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अंगूठा निशानी स्पष्ट होनी चाहिये अर्थात् न तो निशान हल्का होना चाहिये और न ही अधिक स्याही का। अंगूठा निशानी लेने के उपरांत अंगूठे पर लगी स्याही को गीले कपड़े के टुकड़े से मिटा देना चाहिये।
 9. मतदाता यदि अंगूठा निशानी लगाता है तो बायें अंगूठे की छाप लगायी जावेगी। यदि बायें हाथ का अंगूठा नहीं है तो दायें हाथ के अंगूठे की छाप लगाई जायेगी। दोनों ही अंगूठे नहीं होने के मामले में बायें हाथ की किसी भी अंगुली जो तर्जनी से प्रारंभ हो की छाप लगायी जायेगी। यदि बायें हाथ में कोई अंगुली नहीं है तो मतदाता आवश्यक रूप से नियम 38क के अन्तर्गत साथी की सहायता चाहेगा और ऐसे मामले में मतदाता के उक्त साथी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर और प्ररूप-12 में ली जायेगी। रजिस्टर में इस आशय का अंकन कॉलम 4 में किया जायेगा।
 10. मतदाता की अंगुली के निशान लगाने और मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि कर उसके हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त कर लेने के पश्चात मतदान अधिकारी उस मतदाता के लिये मतदाता पर्ची भी तैयार करेगा। मतदाता पर्ची का निम्नांकित प्ररूप होगा:-
 - 1) मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) के अनुसार क्र.सं.....
 - 2) निर्वाचक नामावली में मतदाता की क्र.सं.....
 - 3) मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर
 ये मतदाता पर्ची पोस्टकार्ड के आकार की आधी होंगी, जो मतदान सामग्री के साथ आपको 50-50 के बण्डलों में दी जायेगी।
 11. मतदाता पर्ची तैयार कर द्वितीय मतदान अधिकारी इसे मतदाता को दे देगा और उसे पीठासीन अधिकारी या तीसरे मतदान अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) जो नियंत्रण यूनिट का प्रभारी है के पास भेज देगा।

(3) तृतीय मतदान अधिकारी

1. तृतीय मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। यह पीठासीन अधिकारी की टेबिल पर उसके पास ही बैठेगा ताकि पीठासीन अधिकारी नियंत्रण यूनिट पर और मतदान प्रक्रिया पर नजदीकी से ध्यान दे सके।
2. यह मतदान अधिकारी मतदाता को मतदाता पर्ची, जो द्वितीय मतदान अधिकारी ने जारी की है के आधार पर ही मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष (वोटिंग कम्पार्टमेंट) में जाने की अनुमति देगा। मतदाता को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देने से पहले वह यह भी देखेगा कि मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान स्पष्ट है।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस क्रम में मतदाता पर्ची जारी हुई है उसी क्रम में मतदान कक्ष में मतदाता को जाने की अनुमति दी गई है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस क्रम का अनुपालन किसी मतदाता के मामले में नहीं हो पाता है तो जिस क्रम में मतदाता ने अपना वोट रिकार्ड किया है, सही क्रम की मतदाता रजिस्टर के कॉलम (4) में टिप्पणी कर दी जायेगी और ऐसी ही समुचित प्रविष्टियां बाद के मतदाताओं, जिनका भी क्रम प्रभावित हो गया है, के सम्बन्ध में की जायेगी।
4. मतदाता अपना मत रिकार्ड करने हेतु मतदाता पर्ची द्वितीय मतदान अधिकारी से लायेगा तो उन मतदान पर्चियों को तृतीय मतदान अधिकारी अपने पास एक पृथक लिफाफे में रख लेगा। यह लिफाफा मतदान समाप्ति के बाद सील कर दिया जायेगा।
5. जब मतदाता अपना मत रिकार्ड करने के लिये मतदान कक्ष में जायेगा तो मतदान कक्ष में रखी हुई मतदान यूनिट को क्रियाशील करने के लिये मतदान अधिकारी नियंत्रण यूनिट के बैलेट (Ballot) बटन को दबायेगा। जैसे ही बैलेट बटन दबेगा तो नियंत्रण यूनिट में लगी हुई "Busy" बत्ती लाल हो जायेगी और इसके साथ ही मतदान यूनिट में "Ready" बत्ती हरी हो जायेगी।
6. मतदान कक्ष में स्थापित मतदान यूनिट (Ballot Unit) में मतदाता जब अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम व चुनाव चिन्ह अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सामने बटन को दबायेगा तब उम्मीदवार/नोटा के सामने की बत्ती (Lamp) लाल दिखने लग जायेगी और मतदान यूनिट के उपर हरी बत्ती बंद हो जायेगी। इसके अतिरिक्त इसी के साथ बैलेट यूनिट में बीप की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ ही सेकिण्डों में बीप की आवाज समाप्त हो जायेगी और मतदान यूनिट में उम्मीदवार/नोटा की लाल बत्ती बंद हो जायेगी साथ ही नियंत्रण यूनिट में "Busy" की लाल बत्ती भी बंद हो जायेगी। इन बत्तियों के बन्द होने और बीप की आवाज समाप्त होने से यह पता चल जायेगा कि मतदाता ने अपना मत रिकार्ड कर दिया है। इसके बाद मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जायेगा और मतदान केन्द्र छोड़ देगा।
7. प्रत्येक मतदाता के मत रिकार्ड करने के लिये यह प्रक्रिया चलती रहेगी। किसी भी समय मतदान कक्ष में एक से अधिक मतदाता को नहीं जाने दिया जायेगा और जब तक पहले वाला मतदाता मतदान कक्ष से बाहर नहीं आये तब तक नियंत्रण यूनिट का "Ballot " बटन नहीं दबाया जायेगा।
8. मतदान के बीच किसी भी समय रिकार्ड किये गये मतों की संख्या की जानकारी लेने के लिये नियंत्रण यूनिट के "Total" बटन को दबा कर यह संख्या ज्ञात की जा सकती है और मतदाता रजिस्टर की प्रविष्टियों से मिलान किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी सुसंगत प्रविष्टियों को करने के लिये पीठासीन अधिकारी को समय-समय पर रिकार्ड किये गये मतों की संख्या को ज्ञात करना चाहिये (परिशिष्ट-7 के बिन्दु सं. 19)। "Total" बटन तभी दबाना चाहिये जब नियंत्रण यूनिट की "Busy" बत्ती जली हुई नहीं हो।
9. जो मतदान केन्द्र छोटे है तो वहां तृतीय मतदान अधिकारी का कार्य पीठासीन अधिकारी भी कर सकता है, और इस प्रकार मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के अलावा दो मतदान अधिकारी भी पर्याप्त रहेंगे।

अध्याय-3

पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य

(1) सामान्य :-

1. इस मार्गदर्शिका के विभिन्न अध्यायों में विस्तृत निर्देश हैं परन्तु आपके मार्गदर्शन के लिये आपके कर्तव्यों के कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे दिये गये हैं:-
 - 1) आपको मतदान मशीनों (EVM) द्वारा मतदान के संचालन से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से भली-भांति अवगत होना चाहिये।
 - 2) आपको मतदान मशीन के संचालन और उसमें उपलब्ध विभिन्न बटन और स्विचों की क्रियाओं से स्वयं को पूरी तरह से परिचित कर लेना चाहिये।
 - 3) आपको अपने मतदान दल के सदस्यों से परिचित होना चाहिये और आपकी पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के समय से ही उनसे सम्पर्क रखना चाहिये।
 - 4) आपको रिटर्निंग ऑफिसर से सभी सम्बन्धित आदेशों को प्राप्त करना होगा।
 - 5) आपको अपने मतदान केन्द्र की स्थिति और मतदान केन्द्र पर आने और जाने का मार्ग (Route Map) का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये।
 - 6) आपको समस्त पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिये।
 - 7) निर्वाचन सामग्री संग्रहित करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये कि समस्त वस्तुएँ आपको सौंप दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मतदान मशीन (मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट) निविदत मतपत्र, मतदाताओं का रजिस्टर (प्रारूप-14 क) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और नामावली की अतिरिक्त प्रतियाँ, पिंग पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, सभी प्रकार के फार्म व लिफाफे, चपड़ी, अमिट स्याही है।
 - 8) मतदान केन्द्र पर पहुँचने पर आपको समुचित मतदान केन्द्र की स्थापना के लिये की जाने वाली व्यवस्थाओं, विशेषतः मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने, मतदाताओं की पंक्ति का विनियमन करने, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त एवं मतदान कार्यवाहियों का संचालन इत्यादि का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये।
 - 9) मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिये वोटिंग मशीन का प्रदर्शन करना होगा कि उसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं है। उनको यह भी प्रदर्शित करना होगा कि मशीन एकदम चालू स्थिति में है। इन प्रयोजनों के लिये प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिये कुछ मत रिकार्ड करके एक दिखावटी मतदान (Mock-Poll) आयोजित किया जायेगा और उसके मतों की गणना की जाकर प्रदर्शित की जावेगी।
 - 10) दिखावटी मतदान (Mock Poll) आयोजित करने के पश्चात ऐसे दिखावटी मतदान (Mock Poll) में रिकार्ड किये गये मत मतदान मशीन से क्लीयर (Clear) किये जायेंगे ताकि दिखावटी मतदान से संबंधित कोई आंकड़े मशीन की मेमोरी में नहीं रहें। इसके बाद मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट अनुभाग को स्पेशल टैग, पिंग पेपर सील एवं स्ट्रिप सील लगा कर मुहरबंद और सुरक्षित किया जावेगा एवं एड्रेस टैग लगाया जावेगा।
 - 11) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति तथा मतदाताओं के रजिस्टर को भी मतदान आरंभ करने से पूर्व मतदान अभिकर्ताओं को प्रदर्शित किया जायेगा और यह घोषित करना होगा कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र और इलेक्शन ड्यूटी सर्टीफिकेट (EDC) के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले चिन्हों के अलावा कोई चिन्ह नहीं है तथा मतदाता रजिस्टर में किसी मतदाता की प्रविष्टि नहीं है।
 - 12) मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर प्रारंभ किया जाना चाहिये। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं और मतदान अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिये चेतावनी दी जानी चाहिये और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के प्रावधान जो इन चुनावों में भी लागू है, उनके ध्यान में लाये जाने चाहिये।

- 13) दिखावटी मतदान (Mock Poll), निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर के प्रदर्शन के बारे में उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ता के समक्ष मतदान प्रारंभ करने से पूर्व आपको निर्धारित प्ररूप में एक घोषणा करनी होगी और इस पर उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी कराये जायेंगे।
- 14) निर्वाचक की पहचान प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा उचित रूप से और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जायेगी। पहचान दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-16 पर संलग्न हैं।
- 15) किसी निर्वाचक की निर्वाचक नामावली में उसकी प्रविष्टि के सम्बन्ध में पहचान होने के पश्चात् बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही चिन्हित करनी चाहिये।
- 16) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदाता की तर्जनी पर लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह पूरी तरह से सूख गया है और अमिट स्याही का सुस्पष्ट चिन्ह बन गया है उसकी बाईं तर्जनी की जांच मतदाता के मतदान केन्द्र छोड़ने के पूर्व पुनः करनी चाहिये।
- 17) किसी निर्वाचक की पहचान हो जाने के तुरन्त बाद प्रत्येक ऐसे मतदाता के नाम के नीचे लाईन (Underline) खींच देगा और यदि मतदाता महिला है तो महिला मतदाता के नाम के बायीं तरफ टिक (✓) लगायेगा तथा यदि मतदाता, मतदाता सूची में थर्ड जेन्डर के रूप में अंकित है तो उसके नाम के बायीं तरफ स्टार (*) लगायेगा।
- 18) निर्वाचक की क्रम संख्यांक (नाम नहीं) जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दिया गया है, मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-14-क) में नोट किया जाना चाहिये।
- 19) मत रिकार्ड करने की अनुमति से पूर्व निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-14-क) में करवा लेनी चाहिये। यदि कोई निर्वाचक मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी देने से इंकार करता है तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 20) निर्वाचकों को मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाता पर्चियों के आधार पर क्रमानुसार वोटिंग मशीन में उनके मत रिकार्ड करने की अनुमति दी जायेगी।
- 21) निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर में कराने के पश्चात् उसे ऐसे क्रम संख्यांक दर्शित करते हुए मतदाता पर्ची जिसका प्रारूप अध्याय 9 में दिया गया है, जारी की जायेगी, जिस पर उससे सम्बन्धित प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर में की गई है।
- 22) यदि आप यह मानते हैं कि किसी मतदाता की न्यूनतम आयु अर्थात् 18 वर्ष से काफी कम है किन्तु आप उसकी पहचान और निर्वाचक नामावली में उसका नाम सम्मिलित होने के तथ्य से संतुष्ट है तो आपको उससे उसकी आयु के सम्बन्ध में एक घोषणा परिशिष्ट-10 के प्ररूप में लेनी चाहिये।
- 23) जब कभी आकस्मिक (Unexpected) या अप्रत्याशित घटना घटें, तथा जिसका विवरण पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करना आवश्यक हो तो आपको तत्समय उसका विवरण पीठासीन अधिकारी की डायरी (परिशिष्ट-7) में लिखा जाना चाहिये।
- 24) आपको मतदान के शान्तिपूर्वक और निर्बाध संचालन के लिये मतदान केन्द्र की कार्यवाही को नियमित करना होगा। आपको व्यवहार कुशल साथ ही स्थिर विचार का और तटस्थ होना चाहिये।
- 25) यदि किसी कारण से मतदान देर से प्रारम्भ हुआ हो तो भी आपको निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर मतदान बन्द करना चाहिये। तथापि मतदान की समाप्ति के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित समस्त मतदाताओं को मत देने दिया जायेगा चाहे मतदान कुछ और समय तक चलता रहे। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के पश्चात् कोई व्यक्ति पंक्ति में नहीं आने पाये। इस प्रयोजन के लिए पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को आपके स्वयं के हस्ताक्षर अंकित कर पर्चियां वितरित की जानी चाहिए, ऐसा वितरण पंक्ति में खड़े अंतिम मतदाता से प्रारम्भ किया जाना चाहिये।
- 26) मतदान की समाप्ति पर आपसे प्ररूप-14 ग के भाग I में रिकार्ड किये मतों का लेखा तैयार करना अपेक्षित है। ऐसे रिकार्ड किये मतों के लेखे की प्रमाणित प्रतियां

कोई अभ्यर्थी का उपस्थित मतदान अभिकर्ता यदि प्राप्त करना चाहे तो उसे दी जावेगी।

- 27) मतदान की समाप्ति पर मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि निर्धारित रीति से मुहरबन्द (sealed) कर सुरक्षित करने चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी, यदि वे ऐसा करना चाहें, मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों पर उनके हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जावे। आपको मतदान मशीन और निर्वाचन पत्रों को मुहरबन्द (sealed) तथा सुरक्षित रखने के बारे में अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुसरण करना चाहिए।
- 28) यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि समुचित रूप से मुहरबन्द और सुरक्षित मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्रादि उनको एकत्रित करने वाले अधिकारी को उचित रसीद प्राप्त कर संभलवायें।
- 29) विभिन्न स्तरों पर आपके मुख्य कर्तव्य आपकी सुविधा के लिए पांच विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत परिशिष्ट-14 में संक्षेप में दिये गये हैं।
- 30) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्वाचन के संबंध में विभिन्न सांविधिक अपेक्षाओं की आपने पूर्ति कर ली है, एक चैक मीमो परिशिष्ट-15 पर बताया गया है, जिसे आप द्वारा भरा जाना चाहिये।

(2) मतदान दल का गठन तथा पूर्वाभ्यास:-

1. मतदान दल का गठन-

- 1) मतदान दल के अन्य सदस्यों से संपर्क :- आपके मतदान दल में आपके अलावा तीन मतदान अधिकारी होंगे। मतदान दल की नियुक्ति करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी आपके दल के किसी मतदान अधिकारी को मतदान केन्द्र पर अपरिहार्य कारणों से आपके अनुपस्थित रहने पर, पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों को वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- 2) यथाशीघ्र आप सुनिश्चित कर लें कि आपके मतदान दल के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं और आपके अधीन नियुक्त मतदान अधिकारियों के मोबाईल नम्बर एवं निवास पते की भी जानकारी कर लें। आपको उनसे सम्पर्क रखते हुए उन्हें मतदान दल के प्रत्येक सदस्य की भूमिका के बारे में बताया जाना चाहिये। यदि टीम भावना नहीं है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।

2. मतदान पूर्वाभ्यास

- 1) जहां तक हो सके आप अधिक से अधिक मतदान पूर्वाभ्यासों में भाग लें। यह आवश्यक है कि आप मतदान मशीन की कार्य प्रणाली से पूर्णतः परिचित कर लें और मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरण और उनसे संबंधित विधिक प्रावधानों को ठीक से समझ लें।
- 2) आपको इन पूर्वाभ्यासों में अपने साथ उस मतदान अधिकारी को भी ले जाना चाहिए जो आपकी अपरिहार्य अनुपस्थिति के दौरान आपके कर्तव्यों की पालना के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह अति आवश्यक है कि आप और ऐसा प्राधिकृत मतदान अधिकारी मतदान मशीन पर विभिन्न कार्य स्वयं करे और केवल प्रदर्शन देखकर संतुष्ट न हो। आप दोनों को पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग इत्यादि को लगाने से भी स्वयं को परिचित कराना चाहिए।
- 3) आपको प्ररूप-14 ग में रिकार्ड किये मतों का लेखा अभिलेख और पेपर सील लेखा के नमूने तैयार करने चाहिए।
- 4) यदि आपने लोकसभा/विधानसभा में किसी पूर्व निर्वाचन में मतदान मशीनों का उपयोग पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के रूप में किया हो तब भी आपको प्रशिक्षण कक्षाओं/पूर्वाभ्यासों में उपस्थित होना चाहिए। क्योंकि नगरपालिका के संबंध में निर्वाचन विधि और प्रक्रिया में कुछ भिन्नता है और यह आवश्यक है कि आप प्रक्रिया की भिन्नता को भी समझ लें अन्यथा निर्वाचन का संचालन सही प्रक्रिया या अनुदेशों के अनुसार नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त अपनी स्मृति को ताजा कर लेना सदैव लाभदायक होता है।

(3) डाक मतपत्र/निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन:-

1. आप और आपके मतदान अधिकारी जहां आपको चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है, वो उसी नगरपालिका एवं उसी वार्ड के निर्वाचक हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिये प्ररूप 15 में आवेदन करना चाहियें। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह संभावना नहीं है कि आप या कोई मतदान अधिकारी उसी वार्ड में चुनाव ड्यूटी पर हो, जहां के आप या वह अधिकारी मतदाता है।

यदि आप और आपके मतदान अधिकारी उसी नगरपालिका के दूसरे वार्ड अथवा दूसरी नगरपालिका के निर्वाचक है तो ऐसी स्थिति में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को डाक मतपत्र के लिये प्ररूप 15-क में आवेदन करना चाहियें।

आपको नियुक्ति के आदेश की दूसरी प्रति के साथ डाक मतपत्र/निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन तुरंत भेजना है अन्यथा निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र/डाक मतपत्र प्राप्त करने के लिये और डाक मतपत्र को गणना से पूर्व समय पर रिटर्निंग अधिकारी को लौटाने के लिये पर्याप्त समय नहीं होगा। निर्वाचन ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने का आवेदन मतदान के दिन से कम से कम चार दिन पूर्व या किसी ऐसी लघुतर अवधि से पूर्व जो रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे, किया जाना चाहिये।

2. निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (प्ररूप-16) प्राप्त करने वाला मतदाता जो आपके मतदान केन्द्र पर चुनाव ड्यूटी पर है और वह आपके ही वार्ड का मतदाता है (जैसा कि उक्त प्रमाण पत्र में अंकित होगा) तो उसके मत रिकार्ड करने की अनुमति दें, लेकिन इसके लिये आप (1) उक्त प्रमाण-पत्र पर पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाएँ, (2) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या, जो प्रमाण-पत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अंत में अंकित कर लें (3) उसे उसी रीति से जैसे कोई मतदाता मतदान केन्द्र में अपना मत देने के लिये हकदार है, वैसे ही मतदान मशीन के माध्यम से मत देने की अनुमति दें।
3. निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (प्ररूप-16) जो उपरोक्त रीति से आपको प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें आप एक लिफाफे (E-8) में रखें और मतदान के अंत में उस लिफाफे को सील किया जाना है।
4. नगरपालिका के समस्त वार्डों में से प्रत्येक की निर्वाचक नामावली की एक प्रति पूर्वाभ्यासों और प्रशिक्षण कक्षाओं के केन्द्र (केन्द्रों) पर निरीक्षण हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। ताकि आप निर्वाचक नामावली की विशिष्टियां नोट कर सकें जो आपको डाक मतपत्र या निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन पत्र में देनी है। प्ररूप 15 क की अतिरिक्त प्रतियां उक्त केन्द्र (केन्द्रों) पर भी उपलब्ध होगी।

(4) मतदान मशीन और मतदान सामग्री एकत्रित करना

1. **मतदान सामग्री :-** मतदान से एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र के लिये प्रस्थान करते समय आपको सम्पूर्ण मतदान सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी सूची परिशिष्ट-4 में दी गई है। मतदान केन्द्र के लिये प्रस्थान करने से पूर्व जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि आपने समस्त सामग्री प्राप्त कर ली है।
2. **मतदान मशीन की जांच :-** मतदान के लिए प्राप्त मशीन को निम्नानुसार विशेष रूप से जांच कर लें।
 - 1) कि मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट (यूनिटें) वही है जो आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु तैयार की गई हैं। इनकी उक्त यूनिट से संलग्न एड्रेस टैग के संदर्भ में जांच की जानी चाहिये क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक एड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम उपदर्शित किये जायेंगे।
 - 2) कि नियंत्रण यूनिट का "कंड सेट सेक्शन" सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया है और उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है।
 - 3) कि नियंत्रण यूनिट के "कंड सेट सेक्शन" में स्थापित बैटरी पूरी तरह से काम लेने योग्य है। इसकी पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को "ऑन"/ऑफ कर जांच लें।

- 4) कि अपेक्षित संख्या में "मतदान यूनिटें" दी गई हैं और मतपत्र उनके प्रत्येक के मतपत्र स्क्रीन के अंदर सम्यक रूप से लगा दिये गये हैं। मतदान यूनिटों की संख्या आपके वार्ड में लड़ने वाले सदस्य पद के अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। एक मतदान केन्द्र पर सदस्य पद के लिए एक बैलेट यूनिट तथा एक कन्ट्रोल यूनिट दी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सील बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच बीयू पैनल पर ऊपर एवं दाईं ओर है। मतदान इकाई के अंदर स्लाइड स्विच को चार संभावित 1, 2, 3 या 4 में से किसी एक पर सेट करके संचालित किया जा सकता है। जब केवल एक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो स्विच को स्थिति 1 पर सेट करना होगा। यदि एक से अधिक बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो उन इकाइयों में स्विच को क्रमिक रूप से 2, 3 या 4 पर सेट करना होगा। स्विच की स्थिति को यूनिट पर पारदर्शी पैनल के माध्यम से देखा जा सकता है।
- 5) कि प्रत्येक यूनिट के मतपत्र और स्लाइड स्विच सही तरह से फिक्स/सेट किये गये हैं जैसा पूर्ववर्ती पैरा में वर्णन किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि मतदान मशीनों पर लगाये गये मतपत्र को उचित रूप से फिक्स कर दिये गये हैं और प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम और प्रतीक तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) तथा उसके निर्धारित प्रतीक उनके स्थान लैम्प और बटन के लाइन में हैं तथा मतपत्र पर अभ्यर्थियों के पैनल तथा अन्तिम अभ्यर्थी के पैनल और नोटा के पैनल को विभाजित करने वाली रेखाएँ, मतदान यूनिट के स्थान संधियों की लाइन में हैं।
- 6) कि अभ्यर्थियों के बटन, जो मतदान यूनिटों पर हैं, लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या (नोटा सहित) के बराबर हैं, और शेष बटन मास्क कर दिये गये हैं।
- 7) कि प्रत्येक मतदान यूनिट सही रूप से मुहरबंद कर दी गई है अर्थात् मतदान यूनिट के दायीं ओर उपर और नीचे के भाग रिटर्निंग अधिकारी की मुहर सहित एड्रेस टैग उसके साथ लगा दिये गये हैं।

3. मतदान सामग्री की जांच करना :- अन्य प्राप्त सामग्री भी निम्नानुसार जांच कर लें—

- 1) शीशी में पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है और स्टाम्प पैड सूखे हुए नहीं हैं।
- 2) निर्वाचक नामावली के भाग की तीनों प्रतियाँ पूर्ण और सभी तरह से समान हैं, और विशेषकर
 - (क) आपको दिया गया भाग उसी क्षेत्र का है जिसके लिए मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है और यह कि उसकी प्रत्येक अनुपूरक सूचियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण हैं।
 - (ख) अनुपूरक सूचियों के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम डिलीट कर दिये गये हैं और लिपिकीय या अन्य गलतियों से सम्बन्धित अशुद्धियाँ सही कर दी गई हैं।
 - (ग) नामावली की प्रत्येक वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ मूल मतदाता सूची के अनुसार क्रम संख्या 1 के अनुक्रम में संख्यांकित हैं।
 - (घ) मतदाताओं की मुद्रित क्रम सं. को शुद्ध नहीं किया गया है और उनके स्थान पर नये संख्यांक प्रतिस्थापित नहीं किये गये हैं।
- 3) कि आपको दिये गये निविदत्त मतपत्र उसी वार्ड के लिए है जहां आपको आवंटित मतदान केन्द्र स्थापित है और कि वे किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण नहीं हैं। आपको इसकी भी जांच करनी चाहिए कि उनके क्रम संख्यांक, आपको दिये गये ब्यौरों से मेल खाते हैं।
- 4) यदि आप किसी भी मतदान मशीन या किसी मतदान सामग्री को किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण पाते हैं तो आपको आवश्यक समाधान के लिए त्रुटि को तुरन्त मतदान मशीन/मतदान सामग्री के वितरण के प्रभारी अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के ध्यान में लाना चाहिए।
- 5) यह भी जांच कर लें कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियाँ भी आपको दी गई हैं। यह मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता को सत्यापित करने में आपकी मदद करेंगे।

(5) मतदान केन्द्र की स्थापना :-

1. वह स्थान, जहां मतदान केन्द्र की स्थापना की जानी है, पर पहुँचने पर आपको मतदान के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भवन का निरीक्षण करना चाहिए। नियम 27 में जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी द्वारा चयनित पोलिंग स्टेशन में मतदान का बूथ स्थापित करना है, जिसकी सूची आपको मतदान सामग्री लेते समय प्राप्त करनी है। मतदान केन्द्र का ले-आउट संलग्न परिशिष्ट-5 में भी बताया गया है। मतदान बूथ का स्थापित करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :-

- 1) मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए काफी जगह है।
- 2) जहाँ तक व्यावहारिक हो पुरुष/महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रतीक्षा स्थल हों।
- 3) मतदाताओं के लिए प्रवेश तथा बाहर जाने के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो। मतदान केन्द्र जहाँ स्थित है, उस भवन में यदि एक ही दरवाजा है तो दरवाजे के बीच में से बांसो तथा रस्सियों की सहायता से प्रवेश करने तथा बाहर जाने की पृथक व्यवस्था की जा सकती है। यह बात आप सुनिश्चित कर ले कि मतदान कक्ष के अन्दर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था है।
- 4) मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश से लेकर मतदान केन्द्र छोड़ने तक आसानी से आ-जा सकें तथा मतदान केन्द्र के भीतर आड़ा-तिरछा न चलना पड़े।
- 5) मतदान अभिकर्ताओं को ऐसे ढंग से बिठाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, उसके मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही देख लें ताकि आवश्यकता हुई तो वे उसकी पहचान को चुनौती दे सकें किन्तु वे किसी स्थिति में ऐसी जगह पर नहीं बैठेंगे जहाँ बैठकर उन्हें मतदाता द्वारा बटन दबाकर उसकी पसन्द के चिन्ह पर मत रिकार्ड करते हुए देखने का अवसर मिल सके।
- 6) समस्त मतदान अधिकारियों को बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे मतदाता को बटन दबाकर, मत देते हुए नहीं देख सकें।
- 7) यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थित है तो आपको इस बात का समाधान कर लेना चाहिए कि बिना परेशानी के मतदाताओं को अलग करने तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने की जगह से अलग-अलग स्थानों पर उनके खड़े होने की व्यवस्था कर दी गई है।
- 8) मतदान केन्द्र का भवन तथा उससे 100 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र आपके नियंत्रण में होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति को चाहे वह हथियारबंद है अथवा नहीं, 100 मीटर की दूरी तक के अन्दर नहीं रहने दिया जायेगा। मतदान केन्द्र पर तथा उपरोक्त क्षेत्र के भीतर सुरक्षा प्रबन्ध की व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्णतः आपके नियंत्रण के अधीन रहेगी।
- 9) राजनीतिक दलों के नेताओं के फोटो या ऐसे ब्यौरे जिनका सम्बन्ध निर्वाचनों से है प्रदर्शित नहीं किये जाने चाहिए और यदि ये पहले से ही वहाँ प्रदर्शित हो रहे हों तो मतदान समाप्त होने तक इसे हटाये रखने की कार्यवाही करनी चाहिए।
- 10) मतदान के दौरान मतदान केन्द्र के भीतर किसी प्रयोजन के लिए खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- 11) यदि आपको स्वयं की बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारणों से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहना पड़े तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त पहले से ही प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा और वह पीठासीन अधिकारी की समस्त शक्तियों का उपयोग तथा उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सम्पादित करेगा, लेकिन फिर भी इससे आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते।
- 12) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख स्थान पर :-
 - (क) एक नोटिस लगाया जायेगा जिसमें मतदान क्षेत्र अर्थात् मतदान केन्द्र में मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं का विवरण दर्शाना होगा।

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतीक चिन्ह सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति प्रदर्शित की जायेगी जिसमें विवरण और क्रम वही होगा जो कि प्ररूप-6 में दर्शित है।

(6) मतदान केन्द्र में प्रवेश करने तथा बैठने के प्रबन्ध का विनियमन

1. **मतदान बूथ के लिए नियम-** निर्वाचकों के अलावा निम्नलिखित व्यक्तियों को ही मतदान बूथ में आने की अनुमति नियम 29 के अन्तर्गत दी जा सकती है :-
 - 1) मतदान अधिकारी,
 - 2) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक,
 - 3) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
 - 4) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और नियम 26 के उप-नियम (4) के उपबन्धों के अध्याधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता,
 - 5) किसी मतदाता की गोद का कोई बच्चा,
 - 6) किसी अन्धे या शिथिलांग मतदाता के, जो बिना मदद के नहीं चल सकता, साथ का व्यक्ति, और
 - 7) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने के लिए बुलायें।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं करेगा एवं पीठासीन अधिकारी उपरोक्त के अलावा अन्य व्यक्तियों को वहां नहीं रुकने देगा।
3. किन्हीं मतदान केन्द्रों पर अन्दर चल रही मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अध्याधीन कराई जा सकती है, और ऐसे मतदान केन्द्रों पर जब मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाये तो यह ध्यान रखा जाये कि मत देने के लिए आने वाले मतदाता के चेहरे की फोटो तो रिकार्ड हो किंतु मत देते समय की फोटो नहीं हो क्योंकि इससे मत की गोपनीयता भंग हो सकती है।
4. निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर “लोकसेवक” शब्द में सामान्य पुलिस ऑफिसर शामिल नहीं है जब तक कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए या कोई ऐसे अन्य उद्देश्य से आप इन्हें बुलाने का निर्णय न लें। “निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर लोकसेवक” में संघ तथा राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल नहीं है।
5. अगर आपको मतदान केन्द्र पर किसी व्यक्ति के मौजूद होने पर युक्तियुक्त संदेह हो तो, आप उससे मतदान केन्द्र में प्रवेश करने का मान्य प्राधिकार-पत्र मांग सकते हैं तथा निर्वाचक कानूनों एवं नियमों के पालन में आप केवल राज्य निर्वाचन आयोग की मार्गदर्शिका तथा निर्वाचन कानूनों एवं नियमों द्वारा आबद्ध हैं। आपको कोई पक्षपात नहीं दिखाना है। मतदान केन्द्रों में प्रवेश करने के लिए सरकारी उच्च अधिकारियों या मंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं को आप तभी अनुमति दें जब उनके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये मान्य प्राधिकार-पत्र हों।
6. निर्वाचकों की पहचान में आपकी सहायता करने के लिए आपके द्वारा नियुक्त कोई कार्मिक को सामान्यतया मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बिठाया जाना चाहिए, उसे मतदान केन्द्र में तब ही बुलाना चाहिए जबकि किसी विशिष्ट मतदाता की पहचान आवश्यक हो। मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को शब्दों या इशारों से मतदाताओं को किसी विशिष्ट प्रकार से मत देने के लिए प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
7. मतदान अभिकर्ताओं को मतदान के प्रारम्भ होने के एक घण्टा पूर्व मतदान केन्द्र में उपस्थित होने के लिए कहना चाहिए। मतदान की प्रारम्भिक व्यवस्थाओं का कोई भाग पहले से ही पूरा किया जा चुका हो तो किसी देरी से आने वाले मतदान अभिकर्ता को समायोजित करने के लिए कार्यवाही को नये सिरे से प्रारम्भ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता विलम्ब से भी आता है तो भी उसे मतदान केन्द्र की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। प्रत्येक मतदान अभिकर्ता अथवा उसके रिलीवर अभिकर्ता को प्ररूप-9 में नियुक्ति दी जायेगी और मतदान केन्द्र में प्ररूप-9, को पेश करने पर ही प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी, हालांकि प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र

- के लिए एक मतदान अभिकर्ता और दो रिलीवर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन एक समय पर मतदान केन्द्र पर किसी अभ्यर्थी के एक ही मतदान अभिकर्ता को प्रवेश दिया जायेगा। मतदान अभिकर्ता को, जिसे मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, मतदान अभिकर्ता का बैज दिया जायेगा, जिसको लगाकर ही वह आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्र में आ जा सकेगा।
8. मतदान केन्द्र में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दें।
 9. राज्य निर्वाचन आयोग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी के प्राधिकार पत्र को धारण किया हुआ यदि कोई मीडियाकर्मी मतदान केन्द्र में प्रवेश करता है तो उसे किसी मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करते हुए उसकी फोटो लेने की अनुमति नहीं दी जावे और उसे कैमरा/वीडियो/मोबाइल मतदान केन्द्र में नहीं लाने दिया जाये। मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं की लाइन की फोटो मीडियाकर्मी ले सकते हैं।
 10. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी। मतदान के दिन कोई पर्यवेक्षक आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण कर सकता है। जब वह आपके मतदान केन्द्र का निरीक्षण करे तो आपको उसके प्रति शिष्टाचार और सम्मान रखना चाहिये तथा अपेक्षित सूचना भी आपको देनी चाहिये। पर्यवेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये बैजों को धारित किये हुए होगा और आयोग द्वारा जारी किये गये नियुक्ति पत्र को भी अपने पास रखेगा।
 11. अभ्यर्थियों का राजनीतिक नेताओं के नाम और/या उसके चित्र वाले बैजों और प्रतीक चिन्ह आदि को लगाये हुए किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र के भीतर या उसके 100 मीटर बाहर तक अनुमति नहीं दी जावे।
 12. आपको चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर रिटर्निंग आफिसर द्वारा भेजे जायेंगे। पोलिंग एजेन्ट आपके पास फार्म-9 लेकर आयेगा उस पर आप उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता तथा पोलिंग एजेन्ट के हस्ताक्षर जो पहले से ही किये हुए होंगे, उनको देख लें। पोलिंग एजेन्ट आपके सामने फिर हस्ताक्षर करेंगे इन दोनों हस्ताक्षरों को मिला लें एवं उसे कागज का बैज दें जिसको वह अपने शरीर पर धारण कर लेगा।
 13. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप-10 में मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण (Withdrawal) कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्ररूप-10 में आवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) मतदान मशीन को तैयार करना और उसका संचालन करना—

आपको मतदान के पूर्व की आवश्यक तैयारी करनी है जिसमें विशेषकर वोटिंग मशीन को तैयार करना है और मतदान के दौरान मशीन के सही और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है। मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को किस प्रकार तैयार करना है, नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर किस प्रकार जोड़ना है, किस प्रकार दिखावटी मतदान संचालित करना है, किस प्रकार पेपर सील लगानी है और किस प्रकार मतदान प्रारंभ करते हुए मतदान का संचालन करना है आदि प्रक्रिया चुनाव में काम आ रही मशीन के मॉडल के आधार पर अध्याय-4, अध्याय-4-A में वर्णित की गई है, जिनका अच्छी तरह से अध्ययन कर कार्य सम्पादित करें।

(8) मतदान प्रक्रिया की देखरेख

1. मतदान निर्धारित समय पर आरंभ हो जाना चाहिये। यदि आपको मतदान मशीन तैयार करने में थोड़ी देर हो जाये तो भी आप मतदाता को निर्धारित समय पर अन्दर बुला लें व वोट डालने के पहले की कार्यवाही शुरू कर दें।
2. प्रत्येक मतदाता, जिसे मत देने की अनुमति दी गई है मतदान केन्द्र में मतदान की पूर्ण गोपनीयता रखेगा।
3. मतदान प्रारंभ करने से पूर्व उपस्थित सभी व्यक्तियों को मतों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये उनके कर्तव्य और उनके भंग करने पर शास्ति के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 128 (परिशिष्ट-2) के प्रावधानों को भी स्पष्ट कर दें।
4. दृष्टिहीन/शिथिलांग मतदाता अपने साथी से मत रिकार्ड करा सकता है।
5. चेलेंज्ड व टेण्डर वोट के मामले आपको तय करने होंगे।

6. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा के डेटाबेस के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करवायी गई है। इन मतदाता सूचियों में मुद्रण संबंधी अशुद्धियां होने की संभावना कम है, किन्तु यदि मुद्रण संबंधी कोई अशुद्धि हो तो उस पर ध्यान नहीं देना है। छपे हुए विवरण से आपको संतुष्ट होना है कि ये विवरण उसी व्यक्ति के हैं जो आपके सामने खड़ा है। कभी-कभी 21 साल की उम्र 12 अंकित हो जाती है। ऐसी गलतियों पर ध्यान नहीं देना है।
7. यदि कोई निर्वाचक चेतावनी के बावजूद भी मतदान की प्रक्रिया को मानने से इन्कार करे तो उस मत रिकार्ड करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। {नियम 37 क (6)} और मतदाता पर्ची उससे वापिस ले कर रद्द कर दी जाये।
8. मतदाता की पहचान जिस पहचान दस्तावेज के आधार पर की गयी है, उस दस्तावेज की क्रम संख्या के आखिरी चार डिजिट मतदाता रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा दर्ज की जायेंगी। यदि ऐसे दस्तावेज की क्रम संख्या चार डिजिट से कम है तो उस स्थिति में दस्तावेज पर अंकित पूरी क्रम संख्या को अंकित कर लिया जावे।
9. यदि नियम 37 (ख) में बताई गयी परिस्थितियों में मतदान के दौरान वोटिंग कंपार्टमेन्ट में आपको जाना पड़े तो मतदान अभिकर्ताओं को भी साथ आने के लिए कहें।
10. जहां मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर अंगूठा निशानी करने के उपरांत आप उसे मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण मत देने की अनुमति नहीं दें, तो रजिस्टर के रिमार्क कॉलम में इस आशय का नोट अंकित किया जायेगा और नोट के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करेगा लेकिन मतदाता रजिस्टर के कॉलम (1) में उस निर्वाचक या उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्र.सं. में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
11. फार्म 14 ग रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सीलों का लेखा आप स्वयं सावधानी से भरें। पहले कोरे कागज पर सारा हिसाब मिला लें और बाद में फार्म भरें। इससे फार्म भी खराब नहीं होगा व हिसाब सही रहेगा। उम्मीदवार/निर्वाचक अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता यदि चाहे तो इसकी नकल कर सकते हैं। आप उस कापी को मिलान कर प्रमाणित कर दें।
12. अन्त में निर्धारित लिफाफों में उनसे संबंधित कागज रख कर लिफाफों को बन्द कर दें जिन्हें चपड़ी से सील करना हो, सील कर दें। इन लिफाफों पर उम्मीदवार/इलेक्शन एजेन्ट/पोलिंग एजेन्ट यदि चाहें तो अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं या सील लगा सकते हैं। यदि किसी फार्म में कोई सूचना नहीं भरनी है तो उस पर शब्द 'शून्य' लिख कर हस्ताक्षर कर लिफाफे में बन्द कर दें।
13. मतदान मशीन को सबके सामने सील करें और उस पर यदि उपस्थित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता सील लगाना चाहें या हस्ताक्षर करना चाहें, करने दें।
14. रिटर्निंग अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को मतदान मशीन व अन्य सभी कागजात यथा निर्देशानुसार तैयार कर अच्छी तरह संभालायें।
15. यदि कोई मतदाता शिथिलांगता अथवा अनभिज्ञता के फलस्वरूप निर्धारित रीति से मत देने में सहयोग चाहे तो पीठासीन अधिकारी उसे ऐसा सहयोग प्रदान करेगा। (नियम 39)
16. यदि पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान पर संदेह हो या मतदान केन्द्र पर उसके मत डालने के अधिकार पर संदेह हो और यदि किसी अभ्यर्थी अथवा उसके एजेन्ट द्वारा चाहा जाये तो पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी अपनी संतुष्टि के लिए कि मतदाता सही व्यक्ति है, ऐसे मतदाता से प्रश्न पूछ सकता है।
17. नियम 51 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अवचार करता है उसे मतदान केन्द्र से हटाने का अधिकार आपको है। पीठासीन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे मतदान अधिकारी के विधि पूर्ण आदेशों को यदि मतदान केन्द्र में मौजूद कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता

लेकर मतदान केन्द्र से तुरन्त हटा सकते हैं और उसे पुनः प्रवेश से वर्जित कर सकते हैं।

18. यदि आपके मतदान केन्द्र पर मतदान की कार्यवाही में खुले रूप से हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा बाधा डाली जाये या कार्यवाही रोकी जावे या किसी दैवीय संकट के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान केन्द्र पर मतदान की कार्यवाही करना बिल्कुल असंभव हो जावे तब आप उस मतदान केन्द्र पर मतदान के आगे की कार्यवाही को स्थगित घोषित कर शीघ्रताशीघ्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सूचित कर दें। जनसमुदाय में यह भी घोषणा कर दें कि स्थगित मतदान की कार्यवाही के लिए आपको बाद में सूचित किया जायेगा। हल्की बरसात के छींटे या जोर की हवा या मामूली दंगे फसाद मतदान की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। जब इस प्रकार आप द्वारा मतदान की कार्यवाही स्थगित कर दी जावे तो प्रयोग में लाई गई मतदान मशीन निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं मतदाता रजिस्टर इत्यादी महत्वपूर्ण कागजों को उम्मीदवारों या उनके इलेक्शन एजेन्टों या पोलिंग एजेन्टों के सामने सीलबन्द कर दिया जावे उसी प्रकार जैसे कि मतदान का कार्य सामान्य रूप से समाप्त होने पर किया जाता है। उम्मीदवार, उसके इलेक्शन एजेन्ट या पोलिंग एजेन्ट यदि चाहे तो अपनी सील उक्त पेटी व उक्त कागजों के लिफाफों पर लगा सकते हैं।
19. जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान नियम 53 के अन्तर्गत स्थगित किया जाता है वहीं मतदान जिस स्तर पर स्थगित करते समय छोड़ा गया था उससे आगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर पुनः प्रारम्भ कराया जायेगा और जिन मतदाताओं ने स्थगन से पूर्व मत नहीं दिया था, वे अपना मत दे सकेंगे। पीठासीन अधिकारी स्थगित मतदान को पूरा करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी से निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति व मतदाता रजिस्टर का सीलबन्द पैकिट प्राप्त करेगा तथा नयी मतदान मशीन को उपयोग में लायेगा। स्थगित मतदान की प्रक्रिया नियम 54 क में बतायी गयी है। स्थगित मतदान में नियम 25 से 29, 30 क, 31 क, 32 क, 32 ख, 33, 34 क, 35 क, 36, 37 क, 37 ख, 38 क, 39, 40 क, 41, 42, 43, 44 क, 45 क, 46 क, 47 क, 48 क, 49क, 50 क और 51 के प्रावधान वैसे ही लागू होंगे जैसे मूल मतदान में होते हैं। (देखें परिशिष्ट-3)
20. किसी मतदान केन्द्र पर बूथ कैप्चरिंग (नियम 55 में परिभाषित) हो जाये या वहां पर उपयोग में ली गई कोई मतदान मशीन पीठासीन अधिकारी को अभिरक्षा से विधि विरुद्ध ले जाये जाने पर या घटनावश या जान-बूझकर नष्ट कर दिये जाने पर या खो जाने पर या इस हद तक क्षतिग्रस्त या बिगाड़ दिये जाने पर कि उस मतदान केन्द्र में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता या मतदान में प्रक्रिया संबंधी कोई ऐसी गलती/अनियमितता, जिससे मतदान दूषित होना संभाव्य हो जाता है या मतदान मशीन में खराबी आने से, मतदान संभव नहीं रहता तो ऐसी स्थिति की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को करेगा तथा अपनी डायरी में भी विवरण अंकित करेगा। बूथ कैप्चरिंग के मामले में वह तुरन्त कन्ट्रोल यूनिट स्थित क्लोज बटन दबाकर मशीन बन्द कर देगा और यूनिटों को पृथक कर देगा।
21. आयोग जहां पुनर्मतदान का आदेश देता है, तो मतदान की वही रीति होगी जो मूल मतदान में थी और यहां सारे मतदाता पुनः मतदान में मत देने के हकदार होंगे लेकिन पुनर्मतदान में अमिट स्याही बांयी मध्यमा पर लगायी जायेगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश परिशिष्ट-18 पर संलग्न है कि पालना सुनिश्चित की जावें।
22. आपको सूची के अनुसार समस्त चुनाव के फार्म इत्यादि संबंधित लिफाफों में रखना, चिपकाना व सीलबन्द करना है वही लिफाफे चपड़ी से सीलबन्द करें जिन्हे कि आपको सीलबन्द करना है और जिनके लिए सूची में ऐसा करना बताया गया है। सभी लिफाफे चपड़ी से सील नहीं होंगे व चपड़ी अनावश्यक खराब नहीं करे।

अध्याय-4

मतदान दिवस को मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना (MPSV मॉडल ECIL द्वारा निर्मित)

मतदान पूर्व की तैयारी

मतदान केंद्र पर ईवीएम को वास्तविक उपयोग में लाने से पहले कुछ और तैयारी आवश्यक है। इन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। EVM की तैयारी के बारे में नीचे समझाया गया है।

बैलेट यूनिट (BU)

बैलेट यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से ही सभी प्रकार से तैयार हैं मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी इंटरकनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट में प्लग करेगा एवं यह भी निरीक्षण करेगा कि –

1. बैलेट पेपर, बैलेट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हुआ है।
2. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऊपर और नीचे की ओर दाहिने हिस्से में लगाये गये दोनों एड्रेस टैग सही स्थिति में हैं।
3. बैलेट यूनिट का END बटन (Mask) रहेगा।

कंट्रोल यूनिट (CU)

1. पीठासीन अधिकारी को यह देखना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवार के खंड (Candidate Section) के बाईं ओर लगाई गई मुहर सही स्थिति में है।
2. इसके बाद, सीयू के पीछे के ढक्कन को खोलना चाहिए और सीयू के पिछले हिस्से में फीमेल कनेक्टर से बीयू के मेल कनेक्टर को प्लग करके कनेक्ट करना चाहिए एवं दूसरी बीयू की केबल को पहली बीयू के पीछे की तरफ कनेक्टर से जोड़ा जाना चाहिये। अधिक बीयू का उपयोग हो तो इसी प्रकार कनेक्ट की जानी चाहिए।
3. इसके बाद, परिणाम अनुभाग (Result Section) की बाईं ओर की कुंडी (Latch) को थोड़ा अंदर की ओर दबाकर परिणाम अनुभाग का कवर खोलना चाहिए।
4. इसके बाद, परिणाम अनुभाग के आंतरिक खण्ड का दरवाजा (RESULT-I और RESULT-II बटन के ऊपर) दो छिद्रों के माध्यम से अंगूठा और एक उंगली डालकर थोड़ा अंदर की ओर दबाकर खोला जाना चाहिए।
(नोट :- आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को जोर लगाकर नहीं खोलना चाहिये)
5. सीयू के पीछे का ढक्कन खोलने के बाद स्विच को 'ON' करें। यह बीप साउंड देता है और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर 'ON' लैम्प, पर GREEN बत्ती जलती है। प्रारंभिक प्रदर्शन पूर्ण होने तक इंतजार करें।
6. अब 'CLEAR' बटन दबाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी काउंट शून्य पर सेट है 'CLEAR' बटन दबाने पर विलयरिंग ऑपरेशन शुरू होता है। यह ऑपरेशन "बीप" ध्वनि के साथ लगभग 25 सेकंड लेता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से प्रदर्शित करना शुरू कर देगा (यदि प्रथम पद के लिये 8 उम्मीदवार मैदान में हो तो)।

DELETING
POLLED VOTES

CANDS 8
SEATS 1

NUMBER OF
POSTS 1

CANDIDATE - 1
VOTES - 0

TOTAL VOTERS
0

CANDIDATE - 2
VOTES - 0

POST 1

CANDIDATE - 3
VOTES - 0

•

•

• यह प्रदर्शन अंतिम कैंडिडेट तक जारी रहेगा

POLLED
VOTES 0

UNFINISHED
VOTERS 0

UNDER
VOTES 0

END

नोट:- यदि उपरोक्त सूचना के प्रदर्शित होने के स्थान पर 'Invalid operation' संदेश प्रदर्शित होता है तो CRC (Close, Result-1, Clear) प्रक्रिया पुनः पूर्ण करें।

उपरोक्त सूचना का प्रदर्शन पोलिंग बूथ पर मौजूद पोलिंग एजेंटों को यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है।

MOCK POLL प्रक्रिया पूर्ण करना ।

यह प्रदर्शित करने के बाद कि कोई वोट पहले से मशीन में दर्ज नहीं हैं, कुछ वोटों को रिकॉर्ड करके एक मोक पॉल आयोजित किया जाना चाहिए। उस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करें:-

1. मॉकपॉल में भाग लेने वाले (अभ्यर्थी के अभिकर्ता/मतदान दल) सदस्यों को वोट डालने के लिये एक पर्ची जारी की जावें।
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा इस पर्ची का संग्रहण किया जावें तत्पश्चात मॉकपॉल वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जावें।
3. कंट्रोल यूनिट के बैलट सेक्शन पर 'BALLOT' बटन दबाएं 'BALLOT' बटन दबाने पर, डिस्प्ले सेक्शन पर लाल रंग का 'Busy' लैम्प जलेगा इसके साथ ही, BU पर हरी बत्ती जलेगी।
4. मॉकपॉल वोटर द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने के लिए कहें, तथा मॉकपॉल वोटर द्वारा किस अभ्यर्थी को मत डाला गया है, उसे एक कागज पर तैयार करें। (परिशिष्ट-19 के अनुसार)
5. बीयू पर उम्मीदवार का बटन दबाने से संबंधित तीर लैंप लाल जलता है एवं एक लम्बी बीप की आवाज आती है।
6. मतदान पूरा होने के बाद, BU में 'Ready' हरी बत्ती, BU के उम्मीदवार के लैंप में लाल बत्ती और बीप साउंड एक साथ बंद हो जाएगी और मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है। कुछ सेकंड के बाद CU की 'Busy' लाल बत्ती भी बंद हो जाएगी।
7. अन्य मॉकपॉल वोटर्स द्वारा मतदान के लिए पूर्ववर्ती बिन्दु संख्या 1 से 6 में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में इस प्रकार किये गये मॉक पोल का पूर्ण लेखा, परिशिष्ट 19 के अनुसार तैयार करें।

8. मॉक पोल के अंत में CU पर स्थित 'Close' बटन दबाएं। 'Close' बटन दबाने से डिस्प्ले पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से दिखाता है।

उदाहरण:

- Ward No: 102
- Booth No: 189
- No. of Posts 1
- No. of voters 9
- For Post 1 to elect 1 out of 8

'CLOSE' प्रदर्शन अनुक्रम:

<i>CLOSING</i>	<i>NUMBER OF POSTS 1</i>
<i>DTE 04-02-19 TME 13-49-14</i>	<i>TOTAL VOTERS 9</i>
<i>RJSCU123456 RJSMD111113</i>	<i>POLL CLOSED</i>

नोट:- समय की उपलब्धता के आधार पर मॉक पोल में अधिक/कम मतदाताओं की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज वोटों की संख्या समान हो। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 1-1 मत से मॉक पोल किया जाना अनिवार्य है।

9. अब CU पर स्थित 'RESULT-I' बटन दबाएं। इसके दबाने पर डिस्प्ले पैनल क्रमिक रूप से निम्नलिखित जानकारी दिखाना शुरू कर देगा (यदि मॉक पोल में कुल 9 मतदाता मतदान के लिए आये एवं प्रथम पद के लिये समस्त 9 मतदाताओं ने वोट डाले तो)।

COMPUTING
RESULT

RJSCU123456	→	कन्ट्रोल यूनिट का नम्बर
RJSDM111113	→	SDMM का नम्बर

POLL RESULT
PDT 04-02-19

PST 13-33-36
PET 13-49-14

NUMBER OF
POSTS 1

TOTAL VOTERS
9

POST 1

POLLED
VOTES 9

UNDER
VOTES 0

CANDS 8
SEATS 1

CANDIDATE 1
VOTES 1

CANDIDATE 2
VOTES 3

-
- यह रिजल्ट अंतिम उम्मीदवार तक
- प्रदर्शित किया जाता है

UNFINISHED
VOTERS 0

POLL DAY CU
RJSCU123456

END

नोट:- प्रयुक्त सीयू का सीरियल नंबर जिसमें एसडीएमएम लगाया गया है, को उपरोक्त संदेशों के क्रम में दूसरे नम्बर पर दर्शाया गया है एवं मतदान के दिन प्रयुक्त सीयू का सीरियल नंबर, उपरोक्त संदेशों के क्रम में अन्त (END) से पूर्व दर्शाया गया है।

10. सीयू पर प्रदर्शित परिणाम तथा मॉकपोल में अलग से कागज पर तैयार लेखे से मिलान कर परिणाम के सही होने की पुष्टि करें।
11. अब मॉक पोलिंग के दौरान दर्ज किए गए वोटों के खाते को साफ करने के लिए 'CLEAR' बटन दबाएं। इस बटन के दबाने से मशीन में संग्रहित कुल मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या को 0 कर देता है।

चेतावनी:- मॉकपोल वोटों को 'CLEAR' करना नहीं भूलें।

12. 'CLEAR' बटन दबाने के पश्चात्त END प्रदर्शित होने के बाद, कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें।
13. पीठासीन अधिकारी मॉकपॉल का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 19 पर दिये गये प्ररूप में तैयार करेगा। इस तैयार परिशिष्ट 19 को परिशिष्ट-6 के साथ संलग्न करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिन्दु संख्या 30 में मॉकपॉल के विवरण एवं जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा।

चेतावनी:- परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना नहीं भूलें।

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिक पेपर सील द्वारा सील करना

पिक पेपर सील विशेष रूप से सुरक्षा कागज पर मुद्रित एवं क्रमांकित होती हैं। इस पेपर सील को RESULT SECTION के आन्तरिक खण्ड के दरवाजे के अन्दर की तरफ फ्रेम में निर्धारित स्थान पर लगाया जाता है। सील को फ्रेम में मजबूती से लगाने के लिए एक पतली कार्डबोर्ड पैडिंग का उपयोग किया जा सकता है। इस सील को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसकी पिक सतह को पीछे की ओर से और सफेद सतह को बाहरी तरफ के छिद्र से देखा जा सके। सील को ठीक से लगाने के बाद, आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि इस पिक पेपर सील के खुले छोर आन्तरिक खण्ड के दरवाजे से बाहर की ओर निकले हुए रहे एवं ऊपरी खुले सिरे को मोड़ने पर सील की क्र.सं स्पष्ट दिखती हुई रहे। पेपर सील की पिक सतह पर पीठासीन अधिकारी को सील के सीरियल नंबर के नीचे अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इस सील पर उपस्थित एवं इच्छुक उम्मीदवारों / मतदान एजेंटों के भी हस्ताक्षर लेने चाहिए, उपयोग किए गए पेपर सील की क्रम संख्या नोट करें और साथ ही उपस्थित उम्मीदवारों / मतदान एजेंटों को भी नोट करावे।



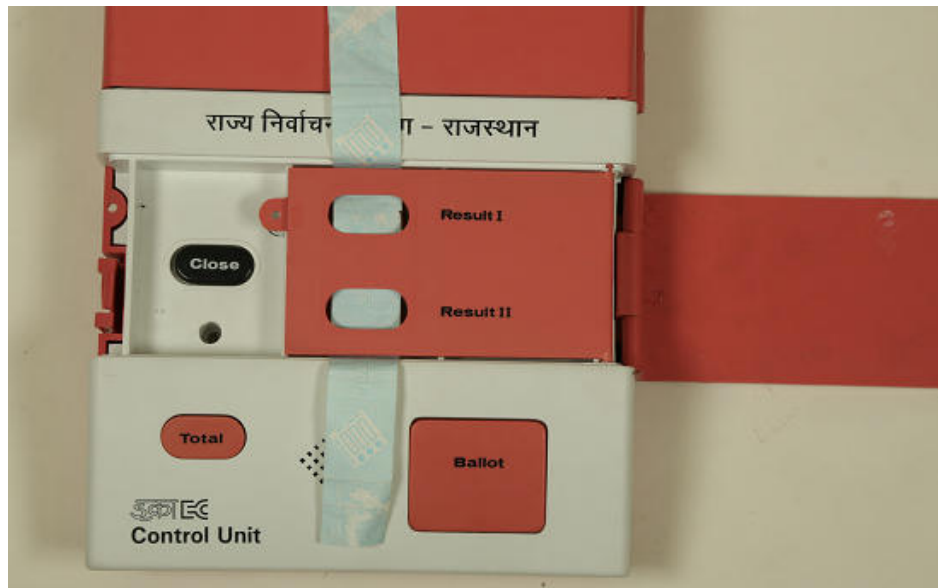
पिक पेपर सील की फिक्सिंग

अब परिणाम खण्ड के इस आन्तरिक दरवाजे को विशेष टैग द्वारा सील किया जाएगा। इसके लिए आन्तरिक खण्ड के दरवाजे में दिए गए दो छिद्रों तथा विशेष टैग में दिए गये छिद्र से होकर हरे ट्वाईन धागे को निकालकर, गांठ बांधते हुए चपड़ी द्वारा सील किया जाएगा।

इस बात का ध्यान रखें कि खराब या टूटा हुआ विशेष टैग किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाया जाए। यदि टैग सीलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए।

विशेष टैग पर सीलिंग से पूर्व कंट्रोल यूनिट की क्रम सं. लिखकर, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उपस्थित उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ता भी इस विशेष टैग पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें भी इसकी अनुमति देंगे।

सील करने के बाद, 'CLOSE' बटन के पास विशेष टैग को इस प्रकार समायोजित करें जिससे कि ऑपरेशन के लिए 'CLOSE' बटन आसानी से उपलब्ध हो।



पिंक पेपर सील से Result Section के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को सील करना

RESULTSECTION के बाहरी आवरण को बंद करना

इस अनुभाग को सील करने के लिए RESULT SECTION के बाहरी ढक्कन को दबा कर बंद करें। बाहरी आवरण को दबाने के बाद RESULT कवर के बाहरी आवरण के बाईं ओर दिए गए दो छिद्रों के माध्यम से धागा निकाल कर सील किया जाना चाहिए और पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ एड्रेस टैग नत्थी कर देना चाहिए।



Result अनुभाग को सील करना

पिंक पेपर सील और एबीसीडी स्ट्रिप सील करने की प्रक्रिया



पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

अब पिंक पेपर सील एवं ABCD हिस्सों को चिपकाने के लिए स्वयं चिपकने वाली ABCD लंबी पेपर पट्टी सील का उपयोग करें। स्ट्रिप सील को प्रयोग में लेने से पूर्व सील की क्र.सं. के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाएं। सील करने के लिए निम्नलिखित स्टेप हैं:-

स्टेप 1

पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास, स्ट्रिप सील के गोंद लगे हुए भाग 'A' को रखें। 'A' वाले भाग से वैक्स पेपर हटा कर, पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगे भागपर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 1

स्टेप 2:

अब स्ट्रिप सील के 'B' के ऊपर के वेक्स पेपर को हटाकर इसे बाईं ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुई पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 2

स्टेप 3:

अब स्ट्रिप सील का 'C' भाग ऊपर की ओर आ जाएगा। 'C' का वेक्स पेपर हटाकर, परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे, पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस 'C' भाग पर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 3

स्टेप 4:

अब स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट पर बाईं ओर से, सावधानी पूर्वक, क्लोज बटन की ऊपरी रबर केप के नीचे से लेते हुए, स्ट्रिप सील के दूसरी सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 4

स्टेप 5:

अब 'D' भाग के वेक्स पेपर को हटाकर उसे पिंक पेपर सील के ऊपर इस प्रकार चिपका दें कि सीरियल नम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। (चित्रानुसार)।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 5

वास्तविक मतदान (Actual Poll) प्रक्रिया

1. बैलेट यूनिट को मतदान कम्पार्टमेंट में लगावें। यह कम्पार्टमेंट पीठासीन अधिकारी की मेज से पर्याप्त दूरी पर स्थित होना चाहिए जहां नियंत्रण इकाई को उसके द्वारा रखा और संचालित किया जाएगा। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच इंटरकनेक्टिंग केबल की लंबाई पांच मीटर है। इसलिए, मतदान प्रकोष्ठ को ध्यान रखते हुए लगाना चाहिए।
नोट:- केबल को इस प्रकार लगाना चाहिए कि इससे मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं को आवाजाही में परेशानी न हो और उन्हें इस पर चलना ना पड़े। इसके अलावा, केबल को कंट्रोल यूनिट की तरफ और साथ ही बैलेट यूनिट की तरफ टेबल की टांग से बांधा जा सकता है।
2. अब EVM (BU & CU) वास्तविक वोटिंग में उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें।

3. 'TOTAL' बटन दबाएँ और सुनिश्चित करें कि कुल प्रदर्शित मतदाता प्रदर्शित शून्य है। निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करें। मतदाता की पहचान के बाद उसकी बाईं तर्जनी के अग्रभाग पर अमिट स्याही, मतदाता के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करने के पश्चात मतदाता को मतदान की अनुमति दी जाती है।
4. कंट्रोल यूनिट का 'BALLOT' बटन दबाएं, इससे सीयू पर 'Busy' लैंप लाल हो जायेगा एवं बीयू पर 'Ready' लैंप हरा हो जायेगा जो इस बात का संकेत है कि मतदाता अपना वोट डाल (Record कर) सकता है। बीयू पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देता है तो संबंधित उम्मीदवारों के बटन के समीप स्थित एरो लैंप लाल जलता है एवं बीप की आवाज आती है तथा मतदान पूरा होने के बाद सीयू स्थित 'Busy' लैम्प, BU के उम्मीदवार के लैंप में लाइट एवं बीयू पर 'Ready' लैंप और बीप साउंड बंद हो जाएगा। मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है।

चेतावनी:- पहले या दूसरे मतदाता के मतदान पूरा होने के बाद मशीन द्वारा Total बटन दबाकर कुल मतदाता की संख्या की पुष्टि करें।

5. बिन्दु संख्या 4 में वर्णित प्रक्रिया को प्रत्येक मतदाता के लिए दोहराएं क्योंकि हर बार अगले मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान करने के लिए केवल एक मतदाता मतदान प्रकोष्ठ के अंदर जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाता उसी क्रम में जाए, जिसमें उसका नाम मतदाता रजिस्टर में दर्ज है। यह भी सुनिश्चित करें कि 'BALLOT' बटन को तभी दबाया जाए, जब पहले के मतदाता ने अपना मतदान पूरा कर लिया हो और मतदान प्रकोष्ठ से बाहर निकल जाए (मतदान पूरा करने पर लम्बी बीप का संकेत आता है)।
6. किसी भी समय अगर मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या का पता लगाया जाना है, तो 'TOTAL' बटन को दबाया जाना चाहिए। प्रदर्शन पैनल तब कुल मतदाताओं को दिखाएगा, जिन्होंने उस समय तक मतदान किया है। याद रखें कि 'TOTAL' बटन को केवल तभी दबाया जाना है जब 'Busy' लैंप की बत्ती बंद हो। अन्त में मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में कुल मतदाताओं की संख्याओं का मिलान करें।

नोट:- अनावश्यक रूप से Close बटन की कैप को न खोलें। बीप ध्वनी के समय सीयू को स्विच ऑफ न करें।

मतदान समाप्ति की प्रक्रिया

निर्धारित मतदान समाप्ति के समय वोटिंग लाईन में खड़े समस्त मतदाताओं को वोट दिलवाने के पश्चात ईवीएम को बंद करना होगा, ताकि मशीन में आगे मतदान संभव न हो। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया करें:-

1. 'CLOSE' बटन पर प्लास्टिक कैप हटाएं और 'CLOSE' बटन दबाएं।
2. डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने वाली कुल मतदाताओं संख्या को निर्धारित प्रपत्र में नोट करें।
3. 'CLOSE' बटन के ऊपर प्लास्टिक कैप लगायें।
4. कंट्रोल यूनिट का रियर कम्पार्टमेंट खोलें।
5. सीयू में पॉवर स्विच को बंद (off) करें।
6. इंटरफेस केबल की दोनों कुंडी (Latch) दबाकर सीयू से बीयू को डिस्कनेक्ट करें।
7. सीयू के पीछे के खण्ड को बंद करें।
8. बीयू एवं सीयू को संबंधित केरिंग केसेज में वापिस रखें।
9. केरिंग केसेज में दोनों ओर लगे दो छिद्रों के माध्यम से धागा एड्रेस टैग के साथ सील करें।
10. निर्धारित टैग पर मतदान केंद्र के विवरण एवं पीठासीन अधिकारी की मुहर एवं पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ सील करें। सील करते समय उचित देखभाल की जानी चाहिए कि प्रत्यक्ष मोमबत्ती की लौ केरिंग केसेज के संपर्क में न आये। पिघला हुआ मोम मशीन के किसी भी हिस्से पर न गिरे।
11. अब ईवीएम मतदान केंद्र से भंडारण स्थान (STRONG ROOM) तक ले जाने के लिए तैयार है।

अध्याय-4-A

पीठासीन अधिकारी द्वारा EVM को तैयार करना (MK-4, MK-5 एवं पुराना मॉडल BEL द्वारा निर्मित)

मतदान पूर्व की तैयारी

मतदान केंद्र पर ईवीएम को वास्तविक उपयोग में लाने से पहले कुछ और तैयारी आवश्यक है। इन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या उनके पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। EVM की तैयारी के बारे में नीचे समझाया गया है।

बैलट यूनिट (BU)

बैलट यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से ही सभी प्रकार से तैयार हैं मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी इंटरकनेक्टिंग केबल को कंट्रोल यूनिट में प्लग करेगा एवं यह भी निरीक्षण करेगा कि –

1. बैलट पेपर, बैलट पेपर स्क्रीन के नीचे ठीक से लगा हुआ है।
2. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऊपर और नीचे की ओर दाहिने हिस्से में लगाये गये दोनों एड्रेस टैग सही स्थिति में हैं।

कंट्रोल यूनिट (CU)

1. पीठासीन अधिकारी को यह देखना चाहिए कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवार के खंड (Candidate Section) के बाईं ओर लगाई गई मुहर सही स्थिति में है।
2. इसके बाद, सीयू के पीछे के ढक्कन को खोलना चाहिए और सीयू के पिछले हिस्से में फीमेल कनेक्टर से बीयू के मेल कनेक्टर को प्लग करके कनेक्ट करना चाहिए एवं दूसरी बीयू की केबल को पहली बीयू के पीछे की तरफ कनेक्टर से जोड़ा जाना चाहिए। अधिक बीयू का उपयोग हो तो इसी प्रकार कनेक्ट की जानी चाहिए।
3. इसके बाद, परिणाम अनुभाग (Result Section) की बाईं ओर की कुंडी (Latch) को थोड़ा अंदर की ओर दबाकर परिणाम अनुभाग का कवर खोलना चाहिए।
4. इसके बाद, परिणाम अनुभाग के आंतरिक खण्ड का दरवाजा (RESULT-I और RESULT-II बटन के ऊपर) दो छिद्रों के माध्यम से अंगूठा और एक उंगली डालकर थोड़ा अंदर की ओर दबाकर खोला जाना चाहिए।
(नोट :- आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को जोर लगाकर नहीं खोलना चाहिये)
5. सीयू के पीछे का ढक्कन खोलने के बाद स्विच को 'ON' करें। यह बीप साउंड देता है और कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले सेक्शन पर 'ON' लैम्प, पर GREEN बत्ती जलती है। प्रारंभिक प्रदर्शन पूर्ण होने तक इंतजार करें।
6. अब 'CLEAR' बटन दबाना चाहिये जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी काउंट शून्य पर सेट है 'CLEAR' बटन दबाने पर विलयरिंग ऑपरेशन शुरू होता है। यह ऑपरेशन "बीप" ध्वनि के साथ लगभग 25 सेकंड लेता है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, प्रदर्शन पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से प्रदर्शित करना शुरू कर देगा (यदि सदस्य पद के लिये 9 उम्मीदवार मैदान में हो तो)।

पुराने मॉडल की मशीनों
में

cd	9
----	---

to	0
----	---

01	0
----	---

02	0
----	---

03	0
----	---

04	0
----	---

05	0
----	---

06	0
----	---

07	0
----	---

08	0
----	---

09	0
----	---

End	
-----	--

पोस्ट-2006 व अपग्रेडेड पोस्ट-2006
(MK-4, MK-5 मॉडल) की मशीनों में

DELETING POLLED VOTE

CANDIDATES 9

TOTAL POLLED VOTES-0

CANDIDATE-01 VOTES - 0

CANDIDATE-02 VOTES - 0

CANDIDATE-03 VOTES - 0

CANDIDATE-04 VOTES - 0

CANDIDATE-05 VOTES - 0

CANDIDATE-06 VOTES - 0

CANDIDATE-07 VOTES - 0

CANDIDATE-08 VOTES - 0

CANDIDATE-09 VOTES - 0

नोट:- (1) क्लीयर ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ नहीं करें। डिस्प्ले यूनिट पर प्रदर्शित होने वाले समस्त संदेशों के अन्त में ही कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करें।

(2) "Clear" बटन दबाने के पश्चात यदि डिस्प्ले सेक्शन पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रदर्शित नहीं होती तो इसका तात्पर्य है कि मशीन पर "Clear" करने से पूर्व किये जाने वाले ऑपरेशन पूर्ण नहीं किये गये हैं। मशीन से पूर्व का डाटा हटाने के लिए सुनिश्चित करें कि बीयू एवं सीयू ठीक प्रकार से कनेक्ट है। अब "Close" बटन दबायें, इसके बाद "Result" बटन दबायें। इन बटनों के दबाने के पश्चात डिस्प्ले पैनल पर क्रमानुसार प्रदर्शित सूचना समाप्त होने के पश्चात अब "Clear" बटन दबायें, इससे डिस्प्ले पैनल पर उपरोक्तानुसार सूचना प्रदर्शित होगी।

उपरोक्त सूचना का प्रदर्शन पोलिंग बूथ पर मौजूद पोलिंग एजेंटों को यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मशीन में पहले से कोई वोट दर्ज नहीं है।

MOCK POLL प्रक्रिया पूर्ण करना ।

यह प्रदर्शित करने के बाद कि कोई वोट पहले से मशीन में दर्ज नहीं हैं, कुछ वोटों को रिकॉर्ड करके एक मोक पॉल आयोजित किया जाना चाहिए। उस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य करें:-

1. मॉकपॉल में भाग लेने वाले (अभ्यर्थी के अभिकर्ता/मतदान दल) सदस्यों को वोट डालने के लिये एक पर्ची जारी की जावें।
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा इस पर्ची का संग्रहण किया जावें तत्पश्चात मॉकपॉल वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जावें।
3. कंट्रोल यूनिट के बैलट सेक्शन पर 'BALLOT' बटन दबाएं 'BALLOT' बटन दबाने पर, डिस्प्ले सेक्शन पर लाल रंग का 'Busy' लैम्प जलेगा इसके साथ ही, BU पर हरी बत्ती जलेगी।
4. मॉकपॉल वोटर द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करने के लिए कहें, तथा मॉकपॉल वोटर द्वारा किस अभ्यर्थी को मत डाला गया है, उसे एक कागज पर तैयार करें। (परिशिष्ट-19 के अनुसार)
5. बीयू पर उम्मीदवार का बटन दबाने से संबंधित तीर लैंप लाल जलता है एवं एक लम्बी बीप की आवाज आती है।
6. मतदान पूरा होने के बाद, BU में 'Ready' हरी बत्ती, BU के उम्मीदवार के लैंप में लाल बत्ती और बीप साउंड एक साथ बंद हो जाएगी और मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है। कुछ सेकंड के बाद CU की 'Busy' लाल बत्ती भी बंद हो जाएगी।
7. अन्य मॉकपॉल वोटरों द्वारा मतदान के लिए पूर्ववर्ती बिन्दु संख्या 1 से 6 में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में इस प्रकार किये गये मॉक पोल का पूर्ण लेखा, परिशिष्ट 19 के अनुसार तैयार करें।
8. मॉक पोल के अंत में CU पर स्थित 'Close' बटन दबाएं। 'Close' बटन दबाने से डिस्प्ले पैनल निम्नलिखित जानकारी को क्रमिक रूप से दिखाता है (यदि 9 उम्मीदवार है और मॉक पोल में 54 मत डाले गये हो तो)

पुराने मॉडल की मशीनें हैं
तो

पोस्ट-2006 व अपग्रेडेड पोस्ट-2006
(MK-4, MK-5 मॉडल) की मशीनों में

NP	1
----	---

TOTAL POLLED
VOTES 54

cd	9
----	---

CLOSING

Total	54
-------	----

DTE 12-1-2007
TME 07-50-56

End

SL No H 00003

CANDIDATES
9

POLL CLOSED

नोट:- (1) समय की उपलब्धता के आधार पर मॉक पोल में अधिक/कम मतदाताओं की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज वोटों की संख्या समान हो। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 1-1 मत से दिखावटी मतदान किया जाना अनिवार्य है।

9. अब CU पर स्थित 'RESULT' बटन दबाएं। इसके दबाने पर डिस्प्ले पैनल क्रमिक रूप से निम्नलिखित जानकारी दिखाना शुरू कर देगा (यदि 9 उम्मीदवार हैं एवं मॉक पॉल में 54 मत पड़े हैं एवं सभी उम्मीदवारों को 6-6 मत दिये गये हो तो)

पुराने मॉडल की मशीनें
यदि है, तो

cd	9
----	---

to	54
----	----

01	6
----	---

02	6
----	---

03	6
----	---

04	6
----	---

05	6
----	---

06	6
----	---

07	6
----	---

08	6
----	---

09	6
----	---

End	
-----	--

पोस्ट-2006 व अपग्रेडेड पोस्ट-2006
(MK-4, MK-5 मॉडल) की मशीनों में

COMPUTING RESULT

CANDIDATES 9

TOTAL POLLED VOTES-54

CANDIDATE-01 VOTES -6

CANDIDATE-02 VOTES -6

CANDIDATE-03 VOTES -6

CANDIDATE-04 VOTES -6

CANDIDATE-05 VOTES -6

CANDIDATE-06 VOTES -6

CANDIDATE-07 VOTES -6

CANDIDATE-08 VOTES -6

CANDIDATE-09 VOTES -6

10. सीयू पर प्रदर्शित परिणाम तथा मॉकपोल में अलग से कागज पर तैयार लेखे से मिलान कर परिणाम सही होने की पुष्टि करें।
11. अब मॉक पोल के दौरान दर्ज किए गए वोटों के खाते को साफ करने के लिए 'CLEAR' बटन दबाएं। इस बटन के दबाने से मशीन में संग्रहित कुल मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या को 0 कर देता है।
चेतावनी:- मॉक पोल वोटों को 'CLEAR' करना नहीं भूलें।
12. 'CLEAR' बटन दबाने के पश्चात्त END प्रदर्शित होने के बाद, कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें।
13. पीठासीन अधिकारी मॉकपोल का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 19 पर दिये गये प्ररूप में तैयार करेगा। इस तैयार परिशिष्ट 19 को परिशिष्ट-6 के साथ संलग्न करेगा तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी में बिन्दु संख्या 30 में मॉकपोल के विवरण एवं जारी प्रमाण पत्र का उल्लेख करेगा।

चेतावनी:- परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले CU को स्विच ऑफ करना नहीं भूलें।

परिणाम खण्ड के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को पिक पेपर सील द्वारा सील करना

इस अध्याय में पिक पेपर सील द्वारा मशीन को सील करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत ECIL द्वारा निर्मित MPSV मशीन का चित्र प्रदर्शित किया गया है, जबकि वास्तव में BEL द्वारा निर्मित MK-IV एवं MK-V मशीन पिक पेपर सील द्वारा सील होगी। ECIL द्वारा निर्मित MPSV मशीन एवं BEL द्वारा निर्मित MK-IV एवं MK-V मशीन की पिक पेपर सीलिंग प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु सीलिंग प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए MPSV मशीन के चित्रों का प्रयोग किया गया है।

पिक पेपर सील विशेष रूप से सुरक्षा कागज पर मुद्रित एवं क्रमांकित होती हैं। इस पेपर सील को RESULT SECTION के आन्तरिक खण्ड के दरवाजे के अन्दर की तरफ फ्रेम में निर्धारित स्थान पर लगाया जाता है। सील को फ्रेम में मजबूती से लगाने के लिए एक पतली कार्डबोर्ड पैडिंग का उपयोग किया जा सकता है। इस सील को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उसकी पिक सतह को पीछे की ओर से और सफेद सतह को बाहरी तरफ के छिद्र से देखा जा सके। सील को ठीक से लगाने के बाद, आन्तरिक खण्ड के दरवाजे को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि इस पिक पेपर सील के खुले छोर आन्तरिक खण्ड के दरवाजे से बाहर की ओर निकले हुए रहे एवं ऊपरी खुले सिरे को मोड़ने पर सील की क्र.सं स्पष्ट दिखती हुई रहे। पेपर सील की पिक सतह पर पीठासीन अधिकारी को सील के सीरियल नंबर के नीचे अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर देना चाहिए। इस सील पर उपस्थित एवं इच्छुक उम्मीदवारों / मतदान एजेंटों के भी हस्ताक्षर लेने चाहिए, उपयोग किए गए पेपर सील की क्रम संख्या नोट करें और साथ ही उपस्थित उम्मीदवारों / मतदान एजेंटों को भी नोट करावे।



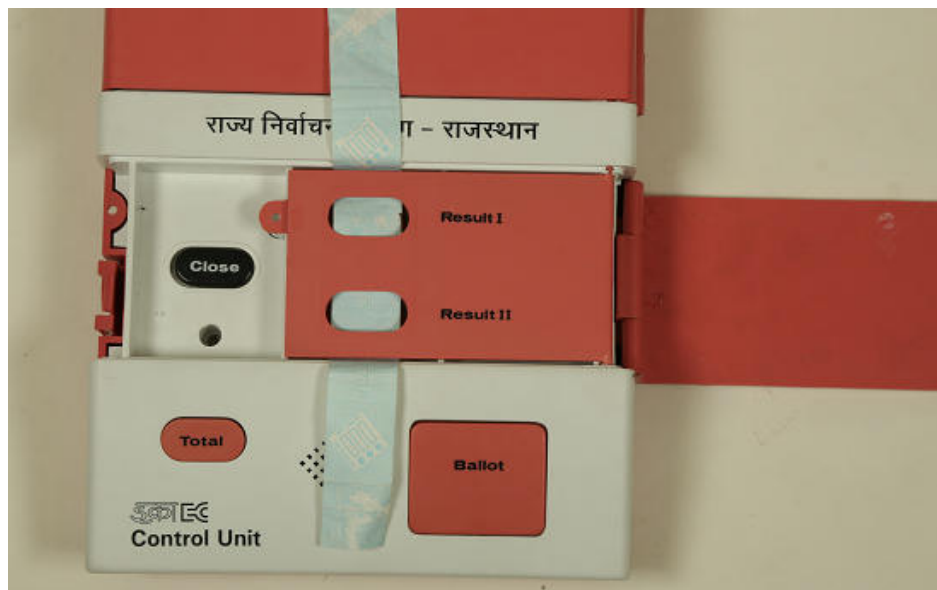
पिक पेपर सील की फिक्सिंग

अब परिणाम खण्ड के इस आंतरिक दरवाजे को विशेष टैग द्वारा सील किया जाएगा। इसके लिए आंतरिक खण्ड के दरवाजे में दिए गए दो छिद्रों तथा विशेष टैग में दिए गये छिद्र से होकर हरे ट्बाईन धागे को निकालकर, गांठ बांधते हुए चपड़ी द्वारा सील किया जाएगा।

इस बात का ध्यान रखें कि खराब या टूटा हुआ विशेष टैग किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाया जाए। यदि टैग सीलिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाए तो दूसरे टैग का उपयोग किया जाए।

विशेष टैग पर सीलिंग से पूर्व कंट्रोल यूनिट की क्रम सं. लिखकर, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे एवं उपस्थित उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ता भी इस विशेष टैग पर अपने हस्ताक्षर करना चाहे तो उन्हें भी इसकी अनुमति देंगे।

सील करने के बाद, 'CLOSE' बटन के पास विशेष टैग को इस प्रकार समायोजित करें जिससे कि ऑपरेशन के लिए 'CLOSE' बटन आसानी से उपलब्ध हो।



पिंक पेपर सील से Result Section के आन्तरिक कम्पार्टमेन्ट को सील करना

RESULTSECTIONके बाहरी आवरण को बंद करना

इस अनुभाग को सील करने के लिए RESULT SECTION के बाहरी ढक्कन को दबा कर बंद करें। बाहरी आवरण को दबाने के बाद RESULT कवर के बाहरी आवरण के बाईं ओर दिए गए दो छिद्रों के माध्यम से धागा निकाल कर एवं एड्रेस टैग पीठासीन अधिकारी की मुहर के साथ सील किया जाना चाहिए।



Result अनुभाग को सील करना

पिंक पेपर सील और एबीसीडी स्ट्रिप सील करने की प्रक्रिया



पिंक पेपर सील की फोल्डिंग

अब पिंक पेपर सील एवं ABCD हिस्सों को चिपकाने के लिए स्वयं चिपकाने वाली ABCD लंबी पेपर पट्टी सील का उपयोग करें। स्ट्रिप सील को प्रयोग में लेने से पूर्व सील की क्र.सं. के नीचे पीठासीन अधिकारी अपने पूरे हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित इच्छुक उम्मीदवार/मतदान अभिकर्ताओं से भी हस्ताक्षर करवाएं। सील करने के लिए निम्नलिखित स्टेप हैं:-

स्टेप 1

पिंक पेपर सील के निचले हिस्से के पास, स्ट्रिप सील के गोंद लगे हुए भाग 'A' को रखें। 'A' वाले भाग से वैक्स पेपर हटा कर, पिंक पेपर सील के निचले सिरे को मोड़कर इस गोंद लगे भागपर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 1

स्टेप 2:

अब स्ट्रिप सील के 'B' के ऊपर के वेक्स पेपर को हटाकर इसे बाई ओर मोड़ते हुए, मुड़ी हुई पिंक पेपर सील के ऊपर चिपकाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 2

स्टेप 3:

अब स्ट्रिप सील का 'C' भाग ऊपर की ओर आ जाएगा। 'C' का वेक्स पेपर हटाकर, परिणाम खण्ड के बाहरी दरवाजे के ऊपर निकल रहे, पिंक पेपर सील के ऊपरी छोर को मोड़कर इस 'C' भाग पर चिपका दें।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 3

स्टेप 4:

अब स्ट्रिप सील को कंट्रोल यूनिट पर बाई ओर से, सावधानी पूर्वक, क्लोज बटन की ऊपरी रबर केप के नीचे से लेते हुए, स्ट्रिप सील के दूसरी सिरे को कंट्रोल यूनिट के दाहिनी ओर से घुमाकर ऊपर लाएं।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 4

स्टेप 5:

अब 'D' भाग के वेक्स पेपर को हटाकर उसे पिंक पेपर सील के ऊपर इस प्रकार चिपका दें कि सीरियल नम्बर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। (चित्रानुसार)।



चित्र ABCD स्ट्रिप सीलिंग स्टेप 5

वास्तविक मतदान (Actual Poll) प्रक्रिया

1. बैलेट यूनिट को मतदान कम्पार्टमेंट में लगावें। यह कम्पार्टमेंट पीठासीन अधिकारी की मेज से पर्याप्त दूरी पर स्थित होना चाहिए जहां नियंत्रण इकाई को उसके द्वारा रखा और संचालित किया जाएगा। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच इंटरकनेक्टिंग केबल की लंबाई पांच मीटर है। इसलिए, मतदान प्रकोष्ठ को ध्यान रखते हुए लगाना चाहिए।
नोट:- केबल को इस प्रकार लगाना चाहिए कि इससे मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं को आवाजाही में परेशानी न हो और उन्हें इस पर चलना ना पड़े। इसके अलावा, केबल को कंट्रोल यूनिट की तरफ और साथ ही बैलेट यूनिट की तरफ टेबल की टांग से बांधा जा सकता है।
2. अब EVM (BU & CU) वास्तविक वोटिंग में उपयोग के लिए हर तरह से तैयार है। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें।

3. 'TOTAL' बटन दबाएँ और सुनिश्चित करें कि कुल प्रदर्शित मतदाता प्रदर्शित शून्य है। निर्धारित समय पर मतदान प्रारम्भ करें। मतदाता की पहचान के बाद उसकी बाईं तर्र्जनी के अग्रभाग पर अमिट स्याही, मतदाता के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करने के पश्चात मतदाता को मतदान की अनुमति दी जाती है।
4. कंट्रोल यूनिट के 'BALLOT' बटन दबाएं, इससे सीयू पर 'Busy' लैंप लाल हो जायेगा एवं बीयू पर 'Ready' लैंप हरा हो जायेगा जो इस बात का संकेत है कि मतदाता अपना वोट डाल सकता है। बीयू पर मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट देता है तो संबंधित उम्मीदवारों के बटन के समीप स्थित एरो लैंप लाल जलता है एवं बीप की आवाज आती है तथा मतदान पूरा होने के बाद सीयू स्थित 'Busy' लैंप, BU के उम्मीदवार के लैंप में लाइट एवं बीयू पर 'Ready' लैंप और बीप साउंड बंद हो जाएगा। मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है।

चेतावनी:- पहले या दूसरे मतदाता के मतदान पूरा होने के बाद मशीन द्वारा Total बटन दबाकर कुल मतदाता की संख्या की पुष्टि करें।

5. बिन्दु संख्या 4 में वर्णित प्रक्रिया को प्रत्येक मतदाता के लिए दोहराएं क्योंकि हर बार अगले मतदाता को अपना वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान करने के लिए केवल एक मतदाता मतदान प्रकोष्ठ के अंदर जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाता उसी क्रम में जाए, जिसमें उसका नाम मतदाता रजिस्टर में दर्ज है। यह भी सुनिश्चित करें कि 'BALLOT' बटन को तभी दबाया जाए, जब पहले के मतदाता ने अपना मतदान पूरा कर लिया हो और मतदान प्रकोष्ठ से बाहर निकल जाए (मतदान पूरा करने पर लम्बी बीप का संकेत आता है)।
6. किसी भी समय अगर मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या का पता लगाया जाना है, तो 'TOTAL' बटन को दबाया जाना चाहिए। प्रदर्शन पैनल तब कुल मतदाताओं को दिखाएगा, जिन्होंने उस समय तक मतदान किया है। याद रखें कि 'TOTAL' बटन को केवल तभी दबाया जाना है जब 'Busy' लैंप की बत्ती बंद हो। अन्त में मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में कुल मतदाताओं की संख्याओं का मिलान करें।

नोट:- अनावश्यक रूप से Close बटन की कैप को न खोलें। बीप ध्वनी के समय सीयू को स्विच ऑफ न करें।

मतदान समाप्ति की प्रक्रिया

निर्धारित मतदान समाप्ति के समय वोटिंग लाईन में खड़े समस्त मतदाताओं को वोट दिलवाने के पश्चात ईवीएम को बंद करना होगा, ताकि मशीन में आगे मतदान संभव न हो। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया करें:-

1. 'CLOSE' बटन पर प्लास्टिक कैप हटाएं और 'CLOSE' बटन दबाएं।
2. डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने वाली कुल मतदाताओं संख्या को निर्धारित प्रपत्र में नोट करें।
3. 'CLOSE' बटन के ऊपर प्लास्टिक कैप लगायें।
4. कंट्रोल यूनिट का रियर कम्पार्टमेंट खोलें।
5. सीयू में पावर स्विच को बंद (off) करें।
6. इंटरफेस केबल की दोनों कुंडी (Latch) दबाकर सीयू से बीयू को डिस्कनेक्ट करें।
7. सीयू के पीछे के खण्ड को बंद करें।
8. बीयू एवं सीयू को संबंधित केरिंग केसेज में वापिस रखें।
9. केरिंग केसेज में दोनों ओर लगे दो छिद्रों के माध्यम से धागा एड्रेस टैग के साथ सील करें।
10. निर्धारित टैग पर मतदान केंद्र के विवरण एवं पीठासीन अधिकारी की मुहर एवं पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर के साथ सील करें। सील करते समय उचित देखभाल की जानी चाहिए कि प्रत्यक्ष मोमबत्ती की लौ केरिंग केसेज के संपर्क में न आये। पिघला हुआ मोम मशीन के किसी भी हिस्से पर न गिरे।
11. अब ईवीएम मतदान केंद्र से भंडारण स्थान (STRONG ROOM) तक ले जाने के लिए तैयार है।

अध्याय-5

मतदान का प्रारम्भ और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए उपाय

- (1) **मतदान का प्रारम्भ :-** मतदान प्रारम्भ करने के लिए जो समय हो, ठीक उसी समय मतदान प्रारम्भ कराये। उस समय तक औपचारिकताएं पूरी हो जानी चाहिए। यदि किसी कारण वश उस समय तक प्रारम्भिक औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हों तो आप मतदान के प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर कुछ मतदाताओं को अन्दर आ जाने दें और मतदान अधिकारियों को उनकी पहचान आदि के संबंध में तब तक कार्यवाही करते रहने दें जब तक कि आपके द्वारा की जाने वाली औपचारिकताएं पूरी न हो जाएं। मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय पर प्रारम्भिक कार्यों को पूरा न हो जाना अत्यन्त अवांछनीय है और इससे बचने का प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। यदि किसी भी कारण से आप नियत समय पर, मतदान प्रारम्भ नहीं करते हैं तो भी आपको मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
- (2) **मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी:-** मतदान प्रारम्भ करने से पूर्व सभी उपस्थित व्यक्तियों को मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के बारे में उनके कर्तव्य और उनके उल्लंघन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबन्धों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिये।
- (3) **अमिट स्याही के संबंध में सावधानियाँ:-** अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी को अमिट स्याही की शीशी को प्रयोग के लिए खोले जाने से पूर्व उसे भली-भांति हिला लेना चाहिए। अमिट स्याही के प्रभारी मतदान अधिकारी से पर्याप्त पूर्व सावधानियां अपनाने को कहा जाये कि अमिट स्याही वाली शीशी ऐसी रीति से रखी जाये कि मतदान के दौरान यह एक ओर झुके और फैले नहीं। इस प्रयोजन के लिये, एक कप या किसी खाली सिगरेट टिन (एश ट्रे) या किसी चौड़े पैदे वाले बर्तन में कुछ मिट्टी ले और बर्तन के बीच शीशी को, उसकी लम्बाई के पौन हिस्से तक मिट्टी में डाल दें ताकि यह मिट्टी में मजबूती से गढ़ी रहे। यह भी सुनिश्चित कर लें कि कार्क से जुड़ी हुई प्लास्टिक रॉड शीशी में रहे और मतदाता की तर्जनी को चिन्हित करने के प्रयोजन के अलावा निकाली नहीं जाये। रॉड को इसके चिन्हित करने वाले हिस्से को सदैव नीचे की ओर करके रखा जाये अन्यथा, रॉड से कुछ स्याही गिर जायेगी जिससे इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की अंगुलियां खराब हो सकती है।
- (4) **निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति:-** मतदान के प्रारम्भ से पूर्व आपको मतदान अभिकर्ताओं और मतदान केन्द्र में उपस्थित अन्य व्यक्तियों को भी यह दिखाना चाहिए कि चिन्हित प्रति या प्रतियों के रूप में उपयोग के लिए निर्वाचक नामावली के चिन्हित प्रति या प्रतियों में उन मतदाताओं जिनको निर्वाचन कर्तव्यारूढ प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है के नाम के आग 'ई.डी.सी.', और उन मतदाताओं जिनको डाक मतपत्र जारी किये जा चुके हैं की प्रविष्टियों के आगे लगाये गये चिन्हों से भिन्न कोई अन्य चिन्ह या प्रविष्टियां नहीं हैं।
- (5) **मतदाता रजिस्टर:-** मतदान अभिकर्ताओं या अन्य उपस्थित व्यक्तियों को यह भी बताना चाहिए कि प्ररूप 14 क में मतदाताओं के रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे मतदाता के संबंध में प्रविष्टियां अंकित की जायेंगी, जिसे मत देने की अनुमति दी गई है और इसमें मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लिया जाना है। साथ ही यह भी दर्शाया जाये कि मतदाता रजिस्टर में पूर्व से कोई प्रविष्टि मौजूद नहीं है।
- (6) **मतदान केन्द्र में मतदाताओं के प्रवेश को विनियमित करना :-** पुरुष तथा महिला मतदाताओं के लिए पृथक-पृथक, पंक्तियां होनी चाहिए। लाईन बनवाने की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति आपके निर्देशानुसार एक बार में तीन या चार मतदाताओं को ही मतदान केन्द्र में अन्दर जाने की अनुमति देंगे। अन्य मतदाताओं को जो अन्दर जाने की प्रतीक्षा में खड़े हों, बाहर पंक्ति में ही खड़ा करवाया जाना चाहिए। शिथिलांग मतदाताओं और ऐसी महिला मतदाताओं को जिनके गोद में बालक हो पंक्ति में खड़े अन्य मतदाताओं से पहले मत देने की सुविधा दी जावे। शारीरिक रूप से विकलांग मतदाता की व्हील चेयर को पोलिंग बूथ में आने की सुविधा हेतु यदि स्थाई रैम्प नहीं है तो वुडन (Wooden) रैम्प की व्यवस्था करनी चाहिए। पुरुष और महिला मतदाताओं को मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक-पृथक समूहों में आने देना चाहिए। पुरुष अथवा महिला मतदाताओं की पृथक-पृथक एक से अधिक पंक्तियां नहीं बननी चाहिए।

- (7) **स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारियों द्वारा घोषणाएं:-** यह निश्चित करने के लिए आप पहले के अध्यायों में दिये गये अनुदेशों जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक हैं, का सही प्रकार से पालन कर चुके हैं आपसे मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व परिशिष्ट-6 में घोषणा पढ़ने की अपेक्षा की जाती है तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने संबंधी उपबन्धों को पढ़कर सुनाना चाहिए ताकि मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी व्यक्ति उसे सुन लें और फिर आपको उस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों। आपको उस घोषणा पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी अभिलिखित करने चाहिए जो उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हैं।

मतदान की समाप्ति पर आपको परिशिष्ट-6 में एक अतिरिक्त घोषणा अभिलिखित करनी चाहिए। फिर आपको उस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लेने चाहिए जो हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों। आपको उस घोषणा पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी अभिलिखित करने चाहिए जो उस पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार करते हैं। यह घोषणा एक पृथक, लिफाफे में रखी जायेगी और मतदान समाप्त होने के बाद इसे मतपत्र लेखा तथा मुद्रा लेखों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को सौंप दिया जायेगा।

- (8) **नई मतदान मशीन के उपयोग के समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया:-** यदि मतदान के दौरान विशेष परिस्थितियों के कारण नई मतदान मशीन का उपयोग करना आवश्यक हो जाये तो नई मशीन से भी दिखावटी मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कर आपसे पुनः परिशिष्ट-6 में विहित किये अनुसार, अतिरिक्त घोषणा पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा जब कभी नई मशीन उपयोग के लिए ली जाए तब करना पड़ेगा।

- (9) **मतदान केन्द्र में और इसके आसपास निर्वाचन विधि का पालन कराना :-**

- 1) आपका चातुर्य, दृढ़ता और निष्पक्षता, विशेषतः शान्ति भंग के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण रक्षोपाय है। सभी दलों और अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार करें और प्रत्येक विवादग्रस्त बिन्दु पर उचित रूप से और न्याय संगत तरीके से विनिश्चय करें। आपके मतदान केन्द्र पर आप अथवा किसी अधिकारी को कोई पक्षतापूर्ण कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।
- 2) मतदान दल के सदस्यों को उचित एवं शालीन व्यवहार करना चाहिए। किसी वी.आई.पी. के मत देने के लिए आते समय मतदान केन्द्र में विशेष महत्व नहीं देना चाहिए और ना ही हाथ मिलाना चाहिए।
- 3) मतदान केन्द्र के 100 मीटर की दूरी तक प्रचार करना अपराध है। कोई व्यक्ति, जो ऐसा करता है, पुलिस द्वारा वारन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 (परिशिष्ट-2) के अधीन अभियोजित किया जा सकेगा।
- 4) मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूरी पर अभ्यर्थी अपना निर्वाचन बूथ बना सकते हैं जिस पर एक छतरी या तिरपाल के साथ एक मेज व दो कुर्सी लगाई जा सकती हैं। इन निर्वाचन बूथों पर मतदाताओं को अशासकीय पर्चियां अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की जा सकती है। लेकिन इन बूथों पर भीड़-भाड़ एकत्र होने की, मतदाताओं को प्रभावित करने की गतिविधियों की, अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला करने की या स्वतंत्र व निष्पक्ष व निर्बाध चुनाव में व्यवधान डालने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधि आपके ध्यान में आये तो जौनल मजिस्ट्रेट या अन्य उत्तरदायी अधिकारी के ध्यान में लायें।
- 5) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 में अन्तर्विष्ट उपबंधों को लागू करने के लिए यदि कोई व्यक्ति उद्दण्ड तरीके से व्यवहार करता है तो आप उसी समय उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं और उसे अभियोजित करवा सकते हैं। पुलिस के पास ऐसे कदम उठाने और ऐसा बल प्रयोग करने की शक्ति है जो ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक है। तथापि, ऐसी शक्तियों को तब ही अपनाया जाना चाहिए जब उसे मनाना और चेतावनी देना प्रभावहीन साबित हो जाये। यदि किसी ध्वनी विस्तारक या लाउडस्पीकर के उपयोग से मतदान केन्द्र का कार्य बाधित हो तो आपको ऐसा उपयोग रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- 6) कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान स्वयं अपचार करता है या आपके विधिपूर्ण निर्देशों की अवज्ञा करता है, आपके आदेशों से किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या आप द्वारा प्राधिकृत

किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132)

- 7) आपके पास मतदाताओं के अवैध प्रवहण को रोकने के लिए कोई सकारात्मक शक्ति नहीं है। यदि इस आशय की कोई शिकायत की जाती है तो आप शिकायतकर्ता को कहें कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 के अधीन अपराधी को अभियोजित करने या सम्यक् अनुक्रम में अपराधी अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचन याचिका फाईल करने के आधार के रूप में तथ्य का उपयोग करने की कार्यवाही कर सकता है। आपके समक्ष फाईल की गई किसी शिकायत को उपखण्ड या अन्य मजिस्ट्रेट को ऐसी टिप्पणियों के साथ अग्रेषित करें जो आप अपने स्वयं के संप्रेक्षण और व्यक्तिगत ज्ञान से कर सकते हैं।
 - 8) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतदान मशीन को कपट पूर्वक या बलपूर्वक ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या ऐसे किसी कार्य को करने में जानबूझकर, सहायता या दुष्प्रेरणा करता है, वह एक वर्ष तक के कारावास से या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा तथा यह संज्ञेय अपराध है।
 - 9) आपका ध्यान धारा 134 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है जो यह उपबंधित करता है कि यदि कोई पीठासीन या मतदान अधिकारी, युक्ति युक्त कारण के बिना अपने पदीय कर्तव्य के भंग में कोई कार्य करने या किसी लोप का दोषी है तो वह संज्ञेय अपराध करता है।
- (10) **मतदान केन्द्र में या इसके निकट सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध:-** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134-ख के उपबंधों के अनुसार कोई भी व्यक्ति (रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और मतदान केन्द्र पर शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी भी अन्य अधिकारी, जो मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर है, से भिन्न) मतदान के दिन, आयुध अधिनियम, 1959 में यथा-परिभाषित किसी भी प्रकार के आयुध से सुसज्जित होकर किसी मतदान केन्द्र के आसपास नहीं जा सकता। यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होने का दायी है, अपराध संज्ञेय है।
- (11) **मतदान केन्द्र में सेल्युलर फोन्स, कार्डलैस फोन्स, वायरलैस सेट्स आदि का प्रतिबन्ध:-** आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति मोबाईल, कार्डलेस फोन आदि नहीं ले जा सकता इसकी सख्त मनाई है। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक को मतदान केन्द्र की नेबर हुड (सीमा) कहा गया है।

अध्याय-6

मतदाता की पहचान और आक्षेपित मत (Challenged Vote)

(1) निर्वाचक की पहचान का सत्यापन :-

1. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान के लिए दस्तावेजी पहचान आवश्यक की है। मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। यदि मतदाता के पास EPIC नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य फोटोयुक्त दस्तावेज पहचान हेतु पेश करने चाहिए। इस विषय में आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी और मतदाता की पहचान के संबंध में प्रथम मतदान अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक है।
2. प्रायः प्रत्येक मतदाता अपने साथ एक अशासकीय पहचान पर्ची लाता है जो शायद उसे किसी अभ्यर्थी या किसी अभिकर्ता द्वारा दी होती है। इस पर्ची पर किसी अभ्यर्थी का नाम या दल का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। यह बात ध्यान रखनी है कि यह मतदाता की पहचान की गारण्टी नहीं है और न ही इसके द्वारा कोई मतदान अधिकारी अपने कर्तव्य और ऐसी जिम्मेदारी से मुक्त हो पाता है वह मतदाता की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान करें। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी तथा निर्वाचक की पहचान के लिये जिम्मेदार प्रथम मतदान अधिकारी को किसी निर्वाचक द्वारा अशासकीय पहचान पर्ची को प्रस्तुत कर देने पर ही निर्वाचक की पहचान साबित हो जाना नहीं मान लेना चाहिये। यद्यपि ऐसी पर्चियों से निर्वाचक नामावली में निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि को ढूँढने में सहायता मिलती है, किन्तु यह मान कर नहीं चला जा सकता कि ऐसी पर्ची को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सही मतदाता हो, साथ ही यह भी जरूरी नहीं है कि उसके पास जो पर्ची है वह वास्तव में उससे ही सम्बन्धित है। अतः प्रथम मतदान अधिकारी को पर्ची के आधार पर निर्वाचक नामावली में अंकित क्रम संख्या को ही पढ़ने चाहियें। किन्तु उसे पर्ची में अंकित नाम तथा अन्य विवरण पढ़ने नहीं चाहिये। उसके पश्चात मतदान अधिकारी को उसका नाम और यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि की अन्य विशिष्टियां जोर से बोलने के लिये कहना चाहिये। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता के रूप में पर्ची लाने वाला व्यक्ति ही सही मतदाता है। यदि प्रथम मतदान अधिकारी को पूरा समाधान नहीं होता है तो उस व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिये कहा जा सकता है, जो स्वयं के समाधान के लिये मतदाता की पहचान के लिये और छानबीन करेगा। यदि यह प्रतिरूपण करने वाला सिद्ध हो जाय तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे निर्वाचक को पुलिस के हवाले करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिये। महिला निर्वाचकों विशेषकर पर्दाधारी महिलाओं की पहचान करने के लिये किसी महिला मतदान अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिये।
3. यह संभव है कि मतदान अभिकर्ता अपने साथ मृत, अनुपस्थित या जाली मतदाताओं की सूची साथ लायें, जिसकी प्रति आपको भी दे सकते हैं। यदि इस सूची में से कोई व्यक्ति मतदाता होने का दावा करे तो उसकी पहचान दस्तावेजों के आधार पर कड़ाई से की जावे। मतदान अधिकारी को मतदाता की पहचान के बारे में संदेह उत्पन्न होने पर उसकी वास्तविक पहचान करने के मामले में पीठासीन अधिकारी को निर्णय के लिए सौंप देना चाहिए।
4. कई बार किसी मतदाता से संबंधित विशिष्टियां निर्वाचक नामावली में मुद्रण और लिपिकीय गलती से अशुद्ध अंकित हो जाती हैं जिसमें मतदाता का दोष नहीं होता और केवल मात्र मुद्रण और लिपिकीय त्रुटि निर्वाचक नामावली में हो जाने के आधार पर किसी सही मतदाता को उसके मताधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं करना चाहिए। यदि पीठासीन अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि निर्वाचक नामावली में अंकित कोई प्रविष्टि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है लेकिन उस प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण की गलती है तो भी पीठासीन अधिकारी यह सन्तुष्टि करेगा कि प्रविष्टि उक्त व्यक्ति से संबंधित है या नहीं है और ऐसी विशिष्टियों के कारण को लिखित रूप से अंकित करेगा। साथ ही, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में ऐसे प्रत्येक मतदाता के बारे में प्रविष्टियां स्याही से नोट कर दी जायेगी।

(2) **आक्षेपित मत (Challenged Vote) :-**

1. जब मतदाता पहले मतदान अधिकारी के पास आता है तब कोई पोलिंग एजेन्ट उसकी पहचान को चैलेन्ज कर सकता है। वह मतदान अधिकारी उसे आपके पास भेज देगा। आपको किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता द्वारा किसी मतदाता की पहचान के बारे में दी गई चुनौती को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक की चुनौतीकर्ता नगद में 2/- रुपये जमा न करा दे, इस राशि का संदाय होने के पश्चात् आप परिशिष्ट-13 में विहित प्ररूप में (चैलेन्ज फीस की रसीद) चुनौतीकर्ता को इसकी रसीद देंगे। आप उस व्यक्ति को जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है, प्रतिरूपण के लिए की जानी वाली शास्ति (परिशिष्ट-1) जिसमें कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171 (घ) एवं धारा 172 (च) के उद्धरण दिये हुए हैं, को समझाकर बतायेंगे। निर्वाचक नामावली में उससे सम्बन्धित प्रविष्टी को पूरा पढ़ेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसे कि उस प्रविष्टी में निर्दिष्ट किया गया है।
2. प्ररूप-13 में चुनौती के मतों की सूची में उस व्यक्ति जिसकी पहचान को चुनौती दी गई है, के नाम और पते की प्रविष्टी की जायेगी और उस व्यक्ति से प्ररूप-13 की उक्त सूची में हस्ताक्षर लिये जायेंगे, तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा। संक्षिप्त जांच में सबसे पहले आप चुनौतीकर्ता को यह सिद्ध करने के लिए कहेंगे कि वह व्यक्ति जिसके बारे में चुनौती दी गई है, असली मतदाता नहीं है। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य अपने चुनौती के समाधान में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो आप उस चुनौती को नहीं मानेंगे और ऐसे व्यक्ति को मत देने देंगे। यदि चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्ट्या यह साबित करने में सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रश्नांकित मतदाता नहीं है तो आप मतदाता को इस चुनौती का खण्डन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहेंगे, अर्थात् यह सिद्ध करना कि वह वही मतदाता है जिसका कि वह दावा करता है। यदि वह ऐसे साक्ष्य द्वारा अपना दावा सिद्ध कर देता है तो आप उसे मत देने की अनुमति दे देंगे। यदि वह यह सिद्ध करने में असफल रहता है तो आप यह मान लें कि चुनौती सिद्ध हो गई है। जांच के दौरान आप प्रश्नगत मतदाता के पड़ोसी अथवा उपस्थित किसी अन्य व्यक्ति से इस मामले के संबंध में सही तथ्य जानने के लिए स्वतंत्र हैं। साक्ष्य लेते समय आप चुनौती देने वाले व्यक्ति को, व साक्ष्य देने वाले किसी व्यक्ति को शपथ दिलायेंगे। यदि चुनौती सफल हो गई है तो आप उस व्यक्ति को मत देने से वर्जित कर देंगे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस को सौंपकर क्षेत्र के थानाधिकारी को शिकायती पत्र (परिशिष्ट-9) भेज देंगे।
3. जांच समाप्ति के तुरन्त बाद यदि चुनौती सही पाई गई है तो चुनौति राशि को जब्त कर लिया जावे तथा यदि चुनौती सही नहीं पाई गई है तो चुनौती राशि को वापिस लौटा दिया जावे, ऐसे मामले में अदा की गई चुनौती फीस, चुनौतीकर्ता को उससे प्ररूप-13 (चुनौती मतों की सूची) के स्तम्भ 9 में तथा रसीद बुक में संबंधित रसीद की सम्बद्ध प्रतिपण पर उसकी प्राप्ति रसीद लेने के बाद लौटा देंगे अन्यथा आप चुनौती फीस सरकार के पक्ष में जब्त कर लेंगे और उसे चुनौतीकर्ता को वापिस नहीं लौटावें। साथ ही प्ररूप-13 के स्तम्भ 9 में तथा रसीद पुस्तक में संबंधित रसीद के संबंध प्रतिपण पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर करवाने या अंगूठे के निशान लेने के बजाय 'जब्त' शब्द प्रविष्ट करेंगे।

(3) **मतदाता द्वारा उसकी आयु के बारे में घोषणा :-**

1. जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह कानूनन वोट देने का अधिकार रखता है किन्तु ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसकी आयु आप बहुत ही अल्प समझते हैं तो उसके दावे के प्रति आपको निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के संदर्भ में साफ-साफ समाधान हो जाना चाहिए। यदि आपको प्रथम दृष्ट्या उसकी पहचान और उसके नाम के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के बारे में समाधान है किन्तु उसे न्यूनतम आयु से कम का मानते हैं तो आप उस निर्वाचक से, जनवरी के प्रथम दिन जिसके संदर्भ से निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई है उसकी आयु के संबंध में एक घोषणा परिशिष्ट-10 में लेंगे। आप ऐसे निर्वाचक की घोषणा अभिप्राप्त करने से पूर्व उसे मिथ्या घोषणा के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 15 (परिशिष्ट-2) में विहित दण्डनीय प्रावधानों से अवगत करा दें।

(4) **मतदाता की पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता :-**

जब मतदाता की पहचान स्थापित हो जाती है तो किसी मतदाता को इस आधार पर मत देने से रोका नहीं जा सकता कि वह मतदाता के रूप में पात्र नहीं है।

अध्याय-7

दृष्टिहीन व शिथिलांग व्यक्तियों द्वारा मतदान

- (1) यदि आपका समाधान हो जाता है कि दृष्टिहीनता या शिथिलांगता के कारण कोई मतदाता मतदान यूनिट पर प्रतीकों को पहचानने में या सहायता के बिना उस पर समुचित बटन दबाकर मत रिकार्ड करने में असमर्थ है तो आप उस मतदाता को अपनी ओर से और अपनी इच्छानुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ 18 वर्ष से अन्यून (Not less than) आयु का एक साथी मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति दे दें, किन्तु आपको यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को एक दिन में एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति न दी जाए और साथ ही वह इस प्रकार की घोषणा भी करे कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। उस व्यक्ति से यह घोषणा परिशिष्ट-12 में दिये गये प्ररूप में ली जायेगी एवं ऐसे सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप-12 (दृष्टिहीन और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची) में रखें और उस प्ररूप-12 को निर्वाचक के साथी के द्वारा की गई घोषणाओं के साथ एक लिफाफे (लिफाफा नं. ई-14) में रखा जायेगा। लिफाफा नं. ई-14 में अन्य कागजात भी होंगे उन्हीं के साथ आपको उक्त सूची और घोषणाएं भी रखनी हैं। यह लिफाफा सीलबंद नहीं होगा।
- (2) मतदाताओं से प्रश्न पूछकर यह पता लगाना चाहिए कि क्या वे मतदान यूनिट पर लगे मतपत्र के प्रतीकों को पहचान सकते हैं और ठीक प्रकार से बटन दबा सकते हैं। यह ध्यान रखें कि किसी मतदाता का निरक्षर होना ही इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि उस मतदाता को अपनी ओर से मत रिकार्ड करने के लिये सहायता हेतु एक साथी दिया जाए। केवल दृष्टिहीनता या अंग शिथिलता के कारण कोई मतदाता प्रतीकों को पहचानने में या बटन दबाने में असमर्थ है उसकी सहायता हेतु साथी की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (3) पीठासीन अधिकारी ऐसी सहायता देगा जो ऐसे किसी भी मतदाता के द्वारा अपेक्षित है जो कि शिथिलांगता या निरक्षरता के कारण विहित रीति से मतदान करने में असमर्थ है लेकिन मत की गोपनीयता बनायी रखी जायेगी। नई मॉडल की मशीनों के बैलट यूनिट में दांयी ओर ब्रेल लिपि में अभ्यर्थियों के क्रमांक की पहचान कर दृष्टिहीन मतदाता मत दे सकते हैं फिर भी वे साथी की सहायता लेने के लिए नियमों के अन्तर्गत हकदार हैं।
- (4) यदि कोई मतदाता मतदाताओं के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर में उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान लिया जायेगा। मतदाताओं के अमिट स्याही लगाने के संबंध में नियम 35 (3) (ख) में उल्लेख है कि यदि मतदाता के कोई अंगुली न हो तो मतदाता के बाईं या दांयी बाँह के ऐसे छोर पर अमिट स्याही लगायी जायेगी जो भी उसके हों। जब मतदाता के कोई अंगुली/अंगूठा नहीं है तो वह मत रिकार्ड करने में असमर्थ रहेगा और उसे साथी की जरूरत रहेगी। अतः ऐसे मामले में साथी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मतदाता रजिस्टर में लेनी चाहिये और उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी के संबंध में रजिस्टर की प्रविष्टि के सामने पीठासीन अधिकारी नोट लिखेगा।

अध्याय-8

निविदत्त मत (Tender Vote) और मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन पर मत देने की अनुमति नहीं देना

(1) निविदत्त मतपत्र (Tender Vote) :-

1. जब असली मतदाता की जगह कोई फर्जी मतदाता मत देकर चला जाता है और बाद में असली मतदाता मत देने आता है तो उसे मतदान मशीन से मत रिकार्ड करने की अनुमति देने के बजाय 'टेण्डर मत पत्र' दिया जायेगा। दूसरा मतदाता असली है या फर्जी इसका निर्णय आपको पोलिंग एजेन्टों की सहायता से करना है।
2. यह 'निविदत्त मतपत्र' (Tender Vote) वैसा ही मतपत्र होगा जो मतदान यूनिट में लगाया गया है, अन्तर इतना ही है कि ऐसे मतपत्र की पीठ पर आपको शब्द 'निविदत्त मतपत्र' स्टाम्पित कर और स्टाम्प के अभाव में हाथ से लिखकर नीचे हस्ताक्षर करने होंगे।
3. मतदान केन्द्र पर निविदत्त मतपत्रों के लिये बीस मतपत्र आपको दिये जायेंगे। यदि ऐसी स्थिति बने कि 20 मतपत्र कम पड़े तो आप जोनल मजिस्ट्रेट को बतायें ताकि वह अतिरिक्त मतपत्रों का इन्तजाम करे।
4. मतदाता मतदान कक्ष में निविदत्त मतपत्र को चिन्हित करने और मोड़ने के पश्चात् उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट रखे गये लिफाफे (लिफाफा नं. ई-5) में रखेगा तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् उक्त लिफाफे को सीलबन्द कर दिया जायेगा।
5. उपरोक्त प्रकार से निविदत्त मतपत्र जारी करने से पूर्व आप मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिन्हें आप उसकी पहचान के बारे में स्वयं अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझते हैं, यदि उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है तो ही आप उसकी बायें हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगवा दें, तत्पश्चात् आप निविदत्त मतों की सूची प्ररूप-14 ख में आवश्यक प्रविष्टि कर दें और उस पर उस मतदाता के हस्ताक्षर करवा लें अथवा उसके अंगूठे का निशान लगवा लें इसके पश्चात् ही आप उसे निविदत्त मतपत्र जारी करें। निविदत्त मतपत्रों के प्रकरण आप स्वयं को ही निपटाने चाहिए।
6. उक्त 'निविदत्त मतपत्र' को मतदाता को जारी करने से पूर्व आपके मतदान केन्द्र से संबंधित सुभिन्नकारी चिन्ह की मोहर से मतपत्र की पीठ पर स्टाम्पित भी किया जायेगा। सुभिन्नकारी चिन्ह में ऊपर वार्ड का क्रमांक और नीचे आपके मतदान केन्द्र का क्रमांक अंकित होगा।
7. मतदान की समाप्ति के पश्चात् निविदत्त मतपत्रों की सूची (प्ररूप-14 ख) को आप पृथक से एक लिफाफे (लिफाफा नं. ई-6) में रखें और उसे सीलबन्द कर दें।
8. प्ररूप 14 ग के भाग 1 की मद संख्या 8 में समस्त निविदत्त मतपत्रों का सही लेखा रखेंगे। परिशिष्ट-8 पर उदाहरण देखें।
9. निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुयी ऐरो क्रॉस मार्क सील भी दी जायेगी। यह सील आपको मतदान सामग्री के साथ प्रदान की जायेगी। निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित निर्वाचक मतदाता कक्ष में उसकी इच्छानुसार किसी अभ्यर्थी के प्रतीक पर या नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प के लिए निर्धारित प्रतीक पर उसके पास में ऐरो क्रॉस सील से अपना मत चिन्हित करेगा।
10. यदि दृष्टिहीनता या शिथिलांगता के कारण ऐसा मतदाता बिना साथी की सहायता के मतपत्र को चिन्हित नहीं कर सकता तो अध्याय-7 में बताये प्रक्रिया के अनुसार साथी की अनुमति दें।

2. मतदान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मत देने की अनुमति नहीं देना :-

1. ऐसा प्रत्येक निर्वाचक, जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाये रखेगा। उसे मतदान प्रक्रिया का पालन कड़ाई से करना चाहिए। यदि कोई निर्वाचक पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात् भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो पीठासीन अधिकारी ऐसे निर्वाचक को नियम 37 क (7) के अन्तर्गत मत देने के लिए अनुमति नहीं देगा। यदि उस निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले से ही जारी कर दी गयी हो तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले लेनी चाहिए और रद्द कर देनी चाहिए।
2. जहां किसी निर्वाचक को मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण मत देने के लिए अनुमति नहीं दी गयी हो वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 14-क) में अभ्युक्ति स्तम्भ में उस निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने इस आशय की एक अभ्युक्ति की जायेगी कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है। पीठासीन अधिकारी उस टिप्पणी के नीचे अपने पूरे हस्ताक्षर भी करेगा। तथापि, मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक या किसी उत्तरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया

(1) मतदाता की बांयी तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना :

1. प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात् और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा, विहित रीति के अनुसार, उसकी बांयी तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित किया जायेगा। यदि मतदाता बायीं तर्जनी का निरीक्षण या चिन्हित करवाने से इंकार करे या उसकी बांयी तर्जनी पर ऐसा कोई चिन्ह पहले से ही हो या स्याही को हटाने की दृष्टि से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत नहीं देने दिया जायेगा। यदि ऐसा देखने में आये कि किसी निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगाये जाने वाले अमिट स्याही के चिन्ह को प्रभावहीन करने के लिए अपनी अंगुली पर कोई तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ लगा लिया है तो उस निर्वाचक की अंगुली पर अमिट स्याही का चिन्ह लगाने के पूर्व उपलब्ध कराये गये कपड़े के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाई युक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटाया जाना चाहिए। ऐसे अमिट स्याही का चिन्ह निर्वाचक की बांयी तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पूर्व लगाया जाता है ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात् मतदान केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिन्ह बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाये।
2. नये सिरे से मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग :- नये सिरे से मतदान/पुनः मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाये गये चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और मतदाता के बांयी मध्यमा (Middle Finger) के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिन्ह इस प्रकार लगाया जाये कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाये और एक स्पष्ट चिन्ह रह जाये। अमिट स्याही से अंगुली पर चिन्ह लगाये जाने के निर्देशों के लिए परिशिष्ट-17 पर दिये गये आदेश को देखें।
3. निर्वाचक की बांयी तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना: यदि किसी निर्वाचक की बांयी तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली पर लगाई जानी चाहिए जो उसके बायें हाथ में हो। यदि उसके बायें हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसकी दायीं तर्जनी पर लगाई जानी चाहिए और उसके दायीं तर्जनी भी न हो तो उसकी दायीं तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए उसके दांये हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर स्याही लगाई जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी अंगुली न हो तो स्याही उसके बायें या दांये हाथ के ऐसे सिरे (टूठ) पर, जो भी उसके हो, लगाई जानी चाहिए। किन्तु उन मामलों में जहां इन निर्वाचकों से कुछ ही दिनों पूर्व किसी ओर पद का निर्वाचन सम्पन्न हुआ है, तथा मतदाता की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही का निशान लगा हुआ है। वहां आयोग के आदेश क्रमांक 2205 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है।

(2) मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टियां एवं मतदाताओं के हस्ताक्षर :-

1. मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता की मतदाता नामावली संख्या का अभिलेख : पूर्ववर्ती पैरा में स्पष्ट की गई रीति से द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बायीं तर्जनी को चिह्नित करने के पश्चात् उसे मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 14-क) में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करना चाहिए। ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में, द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में रखा जायेगा:-
 - 1) मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में, द्वितीय मतदान अधिकारी, क्रम संख्या से प्रारम्भ करते हुए निर्वाचकों की क्रम संख्या क्रमवार लिखेगा। मतदान के प्रारम्भ के समय वह कुछ पृष्ठों पर पहले से ही ऐसी क्रम संख्याएँ लिख सकता है।
 - 2) उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में, निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या (अर्थात् क्रम संख्या) लिखेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए यदि प्रथम निर्वाचक का नाम, जो मतदान प्रारम्भ होने के समय मतदान केन्द्र पर मत डालने आता है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में क्रम संख्या 256 पर दर्ज है तो

द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर के प्रथम स्तम्भ में क्रम संख्या 1 और द्वितीय स्तम्भ में क्रम संख्या 256 लिखेगा। इसी तरह यदि द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 304 पर दर्ज है तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ 1 में क्रम संख्या 2 और स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 304 लिखेगा और इसी तरह आगे भी। ऊपर वर्णित रीति में, किसी निर्वाचक के संबंध में रजिस्टर के स्तम्भ (1) और (2) भर लेने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी, रजिस्टर के स्तम्भ (3) में, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा।

2. **मतदाता के हस्ताक्षर की परिभाषा :-** हस्ताक्षर से अभिप्राय है कि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना। किसी साक्षर व्यक्ति से, मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उसका नाम अर्थात् उसका पूरा नाम या नामों और उपनाम दोनों ही या किसी भी दशा में उसका पूरा उपनाम या नाम लिखने की अपेक्षा की जायेगी। किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर तो यह होगा कि उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाये अर्थात् उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों हों। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिन्ह लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिन्ह को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे तो उस चिन्ह को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता क्योंकि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्राय है, स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज जिस पर वह अपना नाम लिखता है, तो अधिप्रमाण स्वरूप लिखना है। ऐसी दशा में यदि वह अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इंकार कर दे तो उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

3. मतदाता के अंगूठे का निशान:-

- 1) यदि कोई निर्वाचक अपने नाम के हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो मतदाताओं के रजिस्टर पर उसके बायें हाथ के अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए। यह बात नोट कर लें कि पीठासीन अधिकारी या किसी मतदान अधिकारी के लिए रजिस्टर पर ऐसे अंगूठे के निशान को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है।
- 2) राजस्थान नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 35 क (2) के अनुरूप अमिट स्याही लगाने के बारे में यदि मतदाता का बायां अंगूठा नहीं हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि दोनों अंगूठे न हों तो बायें हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लेना चाहिए। यदि बायें हाथ में कोई भी अंगुली न हो तो उस स्थिति में दायें हाथ की तर्जनी से प्रारम्भ करते हुए किसी भी अंगुली का निशान लेना चाहिए। यदि अंगुलियां न हो तो उस स्थिति में मतदाता स्वयं अपना मत रिकार्ड करने में असमर्थ हो जायेगा जिससे उसे उक्त नियमों के नियम 38 क के अधीन आवश्यक रूप से किसी साथी की सहायता लेनी होगी। ऐसे मामले में मतदाताओं के रजिस्टर पर उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी ली जानी चाहिए।
- 3) यह आवश्यक है कि मतदाताओं के रजिस्टर पर अंगूठे का निशान स्पष्ट होना चाहिए। स्टाम्प पैड से मतदाता के अंगूठे पर स्याही इतनी हल्की नहीं लगानी चाहिए कि यह केवल धुंधलासा या अस्पष्ट निशान ही बन पाये और न ही अंगूठे पर इतनी ज्यादा स्याही लगानी चाहिए कि यह रजिस्टर पर एक स्पष्ट अंगूठे के निशान के बजाय एक धब्बा ही बन जाये।
- 4) अंगूठे का निशान लेने के पश्चात् निर्वाचक के अंगूठे की स्याही गीले कपड़े की सहायता से पोंछ दी जानी चाहिए।
- 5) दृष्टिहीन या शिथिलांग मतदाता की स्थिति में उसका साथी यदि हस्ताक्षर करता है तो रजिस्टर में प्रविष्टि के सामने नोट लगावें।

(3) मतदाता को मतदाता पर्ची जारी किया जाना:-

1. किसी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए एक मतदाता पर्ची निम्नलिखित प्ररूप में तैयार करेगा:-

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम सं.

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम सं.

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

- ये मतदाता पर्चियां किसी पोस्ट कार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित करायी जायेंगी और आपके मतदान केन्द्र की मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुये दी जायेगी। ये पर्चियां सौ पर्चियों या पचास पर्चियों के बंडल में मतदान सामग्री के साथ दी जायेगी।
- प्रत्येक मतदाता के संबंध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियां उसके द्वारा उस मतदाता को दी जायेंगी और मतदाता को पीठासीन अधिकारी या यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी, जो मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

(4) अनुक्रमिक रूप से मतों का रिकार्ड किया जाना :—

- मतदाता जैसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसे जारी की गयी मतदाता पर्ची के साथ मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आयेगा वैसे ही उसे, ऐसी मतदाता पर्ची के आधार पर ही, मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- यह अति आवश्यक है कि मतदाता मतदान मशीन में अपने मत उसी क्रम में रिकार्ड करें जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं। आपको या नियंत्रण यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को, मतदान पर्ची में उल्लिखित क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिये।
- यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अपरिहार्य कारण से किसी निर्वाचक के बारे में ऐसी निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना सम्भव न हो तो वही क्रम संख्या, जिस पर वह मत डाल चुका है, दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में संबंधित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जायेगी। पश्चात्पूर्वी मतदाता, जिसका क्रम उसके कारण से उलट-पुलट हो गया है, के संबंध में समरूप प्रविष्टि भी की जानी चाहिये।

(5) मत रिकार्ड करने के लिए मतदाता को अनुमति देना:—

- जैसे ही मतदाता, मतदाता पर्ची के साथ आपके या, यथास्थिति, नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आये तो मतदाता पर्ची उससे ले ली जायेगी और उसे मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।
- मतदाताओं से संकलित की गयी समस्त मतदाता पर्चियां सावधानीपूर्वक संरक्षित की जायेगी और मतदान के अन्त में एक पृथक कवर में रखी जायेगी। इस प्रयोजन के लिए एक लिफाफा नं. ई-3 आपको प्रदाय किया गया है जो सील किया जायेगा और सुरक्षित रखा जायेगा।
- मतदाता से मतदाता पर्ची संग्रहीत कर लेने के पश्चात् नियंत्रण यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा उसकी बाईं तरजनी की जांच की जायेगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गयी है तो उसे दुबारा इस प्रकार लगाया जायेगा जिससे कि एक स्पष्ट अमिट स्याही का चिन्ह बने।

4. तब मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जावेगा।

(6) मतदान प्रक्रिया :-

1. मतदाता अपना मत रिकार्ड कर सके, इसके लिए नियंत्रण यूनिट का 'बैलेट' बटन, कन्ट्रोल यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जायेगा जो कि मतदान कक्ष में मत रिकार्ड करने के लिए मतदान यूनिट (यूनिटों) को तैयार रखेगा। बैलेट बटन दबाये जाने पर नियंत्रण यूनिट की 'बिजी' बत्ती लाल हो जायेगी और साथ ही साथ मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर की 'रेडी' बत्ती हरी हो जायेगी।
2. मतदाता मतदान कक्ष में मतदान यूनिट पर, अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प और उसके लिए निर्धारित प्रतीक के सामने उपलब्ध उम्मीदवार के बटन को दबा कर अपना मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबायेगा मतदान यूनिट पर उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक अथवा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के विकल्प एवं उसके लिये निर्धारित प्रतीक के सामने उपलब्ध बत्ती लाल हो जायेगी और मतदान यूनिट की हरी बत्ती बन्द हो जायेगी। नियंत्रण यूनिट से बाहर आने वाली बीप ध्वनि भी सुनायी देगी। कुछ ही क्षणों पश्चात्, बीप ध्वनि और मतदान यूनिट पर केण्डीडेट लैम्प की लाल बत्ती और नियंत्रण यूनिट की 'बिजी' लैम्प की लाल बत्ती भी बन्द हो जायेगी।
3. ये दृश्य और श्रव्य संकेत इस बात के द्योतक हैं कि मतदान कक्ष में मतदाता अपना मत रिकार्ड कर चुका है। मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिये।
4. उपर्युक्त प्रक्रिया प्रत्येक समय दोहरायी जायेगी जब अगले मतदाता को अपना मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात किया जाना हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान कक्ष में मत डालने के लिए एक समय में केवल एक ही मतदाता जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट पर का बैलेट बटन केवल तब दबाया जाये जब पूर्व मतदाता मतदान कक्ष से बाहर आ जाये।

(7) डाले गये मतों की संख्या का समय-समय मिलान :-

1. किसी भी समय, यदि उस समय तक डाले गये मतों की कुल संख्या ज्ञात की जानी हो तो नियंत्रण यूनिट का 'टोटल' बटन दबाया जाना चाहिये। तब नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन पैनल उस समय तक डाले गये कुल मतों की संख्या दर्शायेगा। ऐसा समय-समय पर किया जाना चाहिये और उसका मिलान मतदाताओं के रजिस्टर में दर्शायेनुसार उस समय तक मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं की संख्या से करना चाहिए।
2. पीठासीन अधिकारी को उसकी डायरी में बताये गये अन्तराल में डाले गये मतों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए और उसका मिलान करना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारी की डायरी के संबंधित स्तम्भ में, डाले गये मतों की संख्या अंकित करनी चाहिये।
3. टोटल बटन को केवल तब दबाना चाहिए जब 'बिजी' बत्ती चालू न हो अर्थात् केवल मत देने के लिए अनुज्ञात निर्वाचक के द्वारा अपना मत रिकार्ड कर देने के पश्चात् और अगले निर्वाचक की बैलेट बटन दबाकर मत देने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व।

(8) मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश :-

1. जब कभी पीठासीन अधिकारी को इस बारे में कोई सन्देह हो या उसके पास यह सन्देह करने का कारण हो कि पर्दायुक्त मतदान कक्ष में रखी गयी मतदान यूनिट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है या कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है, मतदान यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक् लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रुका हुआ है तो पीठासीन अधिकारी को ऐसे मामलों में नियम 37 ख के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे कि मतदान यूनिट से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी है या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान निर्बाध गति से और व्यवस्थित रूप से चल रहा है।

2. जब कभी भी पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करे तो उसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ जाने के लिए कहना चाहिए । वैसे, पीठासीन अधिकारी को किसी अनभिज्ञ मतदाता को इलैक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग कैसे करना है, समझाने के लिए मतदान कक्ष में नहीं जाना चाहिए। जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक प्रिन्टेड कार्डबोर्ड पर डमी बैलेट यूनिट का मॉडल पीठासीन अधिकारी को मुहैया कराये जिससे पीठासीन अधिकारी मतदान कक्ष के बाहर ई. वी.एम. मशीन का उपयोग समझा सकता है। 'बैलेट यूनिट मॉडल' पर 'डमी नाम' एवं 'प्रतीक ' जो कि उपयोग में न हो ही अंकित होना चाहिए। वास्तविक नाम एवं प्रतीक का उपयोग न हो। बत्ती के रंग 'नीला' 'हरा' एवं 'लाल' स्पष्ट तौर पर हो। अशिक्षित मतदाता को मतदान करने की प्रक्रिया मतदान कक्ष के बाहर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में समझायें।

अध्याय-10

मतदान का स्थगन या मतदान को रोका जाना

(1) बलवे इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन :-

1. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 53 के अंतर्गत किसी मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कारणों से :-
 - 1) किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, तीक्ष्ण तूफान और इसी प्रकार के अन्य कारण या,
 - 2) मतदान केन्द्र पर बलवा, हिंसा अथवा शान्ति भंग होना जिससे मतदान करवाना असंभव हो जाये, या
 - 3) किसी भी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान के स्थगित करने के लिए सशक्त है।
2. यदि बलवा हो जाये या खुले रूप में हिंसा करने का कोई प्रयास किया जाये तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करें। तथापि, यदि उसे नियंत्रण न किया जा सके और मतदान को जारी रखना असम्भव हो, तो आपको मतदान स्थगित कर देना चाहिए। यदि किसी प्राकृतिक विपत्ति या अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना असम्भव हो गया हो तो ऐसी स्थिति में भी मतदान को स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण होगा। किन्तु मतदान स्थगित करने का जो विशेषधिकार आपको दिया गया है उसका प्रयोग आप कम से कम और केवल उन्हीं मामलों में करें जहां मतदान कराना वस्तुतः असम्भव हो गया है।
3. मतदान स्थगन के प्रत्येक मामले में आप रिटर्निंग ऑफिसर को संपूर्ण तथ्यों के बारे में तत्काल रिपोर्ट करें। जहां कहीं मतदान स्थगित हो गया हो वहां आप सभी उपस्थित व्यक्तियों को औपचारिक रूप से घोषणा करके सूचित कर दें कि मतदान उस तिथि को होगा जो बाद में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
4. आप मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदान मशीन की दोनों प्रकार की यूनिटों और समस्त निर्वाचन संबंधी कागजातों को सील कर दें तथा सुरक्षित रख दें मानो मतदान सामान्य रूप से सम्पन्न हो गया हो।

(2) स्थगित मतदान को पूर्ण किया जाना :-

1. स्थगित मतदान की प्रक्रिया नियम 54 क में बतायी गयी है। (परिशिष्ट-3) जहां किसी मतदान केन्द्र पर मतदान स्थगित हो चुका है वहाँ स्थगित मतदान जिस स्तर पर स्थगन से ठीक पूर्व छोड़ा गया था उससे आगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत तारीख और समय पर पुनः करवाया जायेगा अर्थात् जिन निर्वाचकों ने स्थगित मतदान के पूर्व मतदान नहीं किया है उन्हें ही स्थगित मतदान में मत देने की अनुमति दी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर, उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को जिस पर ऐसा स्थगित मतदान होना है, निर्वाचक नामावली को चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकेट और प्ररूप 14 क में मतदाताओं का रजिस्टर जो उस मतदान केन्द्र पर पूर्व में प्रयुक्त हुये थे तथा एक नयी मतदान मशीन, उपलब्ध करायेगा।
2. स्थगित मतदान पुनः प्रारम्भ कराये जाने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से युक्त मुहरबंद पैकेट और मतदाताओं का रजिस्टर, उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं, जो भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो, के समक्ष पुनः खोला जाना चाहिए और निर्वाचक नामावली की उसी चिन्हित प्रति और मतदाताओं के रजिस्टर का स्थगित मतदान में प्रयोग किया जाना चाकिए।
3. नियम 25 से 29, 30 क, 31 क, 32 क, 32 ख, 33, 34 क, 35 क, 36, 37 क, 37 ख, 38 क, 39, 40 क, 41, 42, 43, 44 क, 45 क, 46 क, 47 क, 48 क, 49 क, 50 क और 51 के प्रावधान किसी स्थगित मतदान के संचालन पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे इस प्रकार स्थगित होने के पूर्व के मतदान पर लागू थे।

4. जहां मतदान दल के नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से मतदान प्रारम्भ नहीं किया जा सका हो वहां ऊपर उल्लिखित नियमों के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे स्थगित मतदान पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।

(3) मतदान मशीन की विफलता, बूथ पर कब्जा इत्यादि करने के कारण मतदान का रोका जाना:—

1. राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 55 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग किसी मतदान केन्द्र पर मतदान को शून्य घोषित करने और नये मतदान का निर्देश देने के लिए सक्षम है, यदि उस मतदान केन्द्र पर :—
 - 1) कोई अप्राधिकृत व्यक्ति अवैध रूप से किसी मतदान मशीन को उठाकर ले जाये, या
 - 2) कोई भी मतदान मशीन दुर्घटनावश या समूल नष्ट हो गयी हो या खो गयी हो या ऐसी सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गयी हो या उसमें गड़बड़ कर दी गयी हो कि उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम उस कारण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या
 - 3) किसी मतदान मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गयी हो, या
 - 4) प्रक्रिया में कोई भूल या अनियमितता हो गयी हो जिससे मतदान के दूषित होने की संभावना हो, या
 - 5) बूथ पर कब्जा हो गया हो। (उक्त नियम 55 में यथा—परिभाषित)
2. यदि ऐसी कोई घटना आपके मतदान केन्द्र पर घटित हुयी हो तो आपको पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल रिटर्निंग ऑफिसर को भेजनी चाहिए ताकि वह इस मामले की रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के लिए भेज सकें।
3. यदि आयोग समस्त तात्त्विक परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् किसी मतदान केन्द्र पर नये मतदान कराये जाने का निर्देश दे तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जायेगा जैसे मूल मतदान हुआ है।
4. नये मतदान की स्थिति में मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार सभी निर्वाचक, नये मतदान में पुनः मत देने के हकदार होंगे। मूल मतदान में लगाया गया अमिट स्याही का चिन्ह नये मतदान के समय ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। नये मतदान के समय बनाये गये चिन्हों का, पहले से ही बनाये गये मूल मतदान के समय के चिन्हों से भेद करने के लिए आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 2205 दिनांक 04.07.2019 के द्वारा जारी किये हुये हैं, जो परिशिष्ट-18 पर संलग्न है।

(4) बूथ पर कब्जे के मामले में मतदान मशीन का बन्द किया जाना :—

1. नियम 55 का उप नियम (6) में प्रावधान है कि जहां किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द्र के बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे और मत रिकार्ड नहीं किये जा सकें, मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को तत्काल बन्द कर देगा और वह नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को पृथक् कर देगा।
2. आपको मतदान बन्द किये जाने की रिपोर्ट रिटर्निंग अधिकारी को केवल तब ही करनी चाहिए जब आपको यह निश्चित हो जाये कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, न कि केवल बूथ का कब्जा किये जाने की संभावना के बारे में आशंका या संदेह हो। यह इसलिए है क्योंकि जब एक बार 'क्लोज' बटन दबाकर नियंत्रण यूनिट को बन्द कर दिया जाता है। तो मतदान मशीन आगे और मत रिकार्ड नहीं करेगी और मतदान या तो उस दिन के लिए या अस्थायी रूप से, उस मतदान केन्द्र पर आगे मतदान कराने के लिए आपको नयी मशीन उपलब्ध कराये जाने तक आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा।

3. नियम 55 (6) के अन्तर्गत आप द्वारा मतदान मशीन बन्द करने के पश्चात् ज्यों ही संभव हो आपको पूरे तथ्यों सहित मामले की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे मामले के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को करेगा।
4. राज्य निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समस्त तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यदि यह समाधान हो जाये कि मतदान दूषित हो गया था तो उस मतदान केन्द्र पर के मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा और उस मतदान केन्द्र पर नये मतदान का निर्देश दे सकेगा।
5. जहां मतदान, ऊपर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मतदान मशीन बन्द करके उस दिन के लिए स्थगित/रोक दिया है वहां मतदान मशीन और समस्त निर्वाचन पत्र उसी रीति से मुहर बन्द और सुरक्षित रखे जायेंगे जैसे मतदान के बन्द होने पर रखे जाते हैं।
6. आयोग द्वारा अधिसूचित दिनांक व समय पर नये सिरे से मतदान कराने के लिए आगे की कार्यवाही नियम 25 से 29, 30 क, 31 क, 32 क 32 ख, 33, 34 क, 35 क, 36, 37 क, 38 क, 39, 40 क, 41, 42, 43, 44 क, 46 क, 47 क, 48 क, 49 क, 50 क और 51 के अन्तर्गत बतायी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

अध्याय-11

मतदान की समाप्ति तथा मशीन और कागजात को बन्द करना एवं मुहर लगाना

(1) मतदान को बन्द किया जाना :-

1. पीठासीन अधिकारी नियम 25 के अधीन नियत किये गये समय पर मतदान केन्द्र को बन्द करेगा और उसके पश्चात् मतदान केन्द्र में किसी भी मतदाता को प्रवेश नहीं करने देगा। मतदान बन्द करने के नियत समय से कुछ मिनट पूर्व उन सब व्यक्तियों के समक्ष जो मतदान देने के लिये मतदान केन्द्र की सीमा के अन्दर प्रतीक्षा कर रहे हों, आप यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी-बारी से अपना मत रिकॉर्ड करने की अनुमति देंगे आप ऐसे समस्त मतदाताओं को एक-एक पंक्ति जिस पर आपके पूर्ण हस्ताक्षर एवं क्रम संख्या अंकित है, वितरित कर दें। उस समय पंक्ति में खड़े मतदाताओं की क्रमवार संख्या (एक से प्रारम्भ करते हुये) में पंक्तियां बांट दें। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के पश्चात् भी आप मतदान तब तक जारी रखें जब तक कि ऐसे समस्त मतदाता अपना मत नहीं दे देते हैं। मतदान की समाप्ति के पश्चात् कोई भी अन्य व्यक्ति पंक्ति में सम्मिलित न हो जाये इस बात की देख-रेख के लिये आप मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस/कर्मचारियों को हिदायत दें। यह कार्य प्रभावी ढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब कि उन समस्त मतदाताओं को पंक्तियां पंक्ति के अंतिम छोर से बांटना प्रारम्भ करते हुये पंक्ति के अग्रिम भाग तक बांट दी जाये।
2. मतदान बन्द करने के लिये नियत समय पर उपस्थित समस्त मतदाताओं द्वारा मतदान किये जाने के पश्चात् आप मतदान समाप्ति की विधिवत् घोषणा कर दें और तत्पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मत देने की अनुमति नहीं दें।

(2) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को बन्द करना :-

1. अन्तिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् मतदान बन्द करने के लिए मतदान मशीन को बन्द किया जाना चाहिए ताकि मतदान मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड किया जाना सम्भव न हो। इस प्रयोजन के लिए, आपको नियंत्रण यूनिट के 'क्लोज' बटन को दबाना चाहिए। जब 'क्लोज' बटन दबाया जाता है तब नियंत्रण यूनिट का प्रदर्शन पैनल, मतदान के अन्त तक मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या प्रदर्शित करेगा। मतदान मशीन में रिकार्ड मतों की कुल संख्या प्ररूप14 ग के भाग 1 की मद 5 में तत्काल नोट की जानी चाहिए।
2. 'क्लोज' बटन परिणाम सेक्शन के कक्ष पर, उपलब्ध है मतदान होने के पश्चात् 'क्लोज' बटन दबायें तथा प्लास्टिक क्रेप वापिस लगा दिया जाना चाहिए।
3. 'क्लोज' बटन को एक बार दबाये जाने के पश्चात् मतदान मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए 'क्लोज' बटन दबाने के पूर्व आपको इस बात से अति सावधान और पूर्णतया निश्चित होना चाहिए कि मतदान बन्द करने के नियत समय पर उपस्थित कोई निर्वाचक, मत देने से वंचित नहीं रहना चाहिए।
4. आपको यह भी नोट करना चाहिए कि 'क्लोज' बटन केवल तब ही कार्य करेगा जब नियंत्रण यूनिट का 'बिजी' लैम्प चालू न हो अर्थात् मत देने के लिए अनुज्ञात अन्तिम निर्वाचक के पश्चात् ही जब उसने अपना मत रिकार्ड कर दिया हो। अन्तिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात् भूलवश 'बैलेट' बटन दबाये जाने के कारण या ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा 'बैलेट' बटन दबाये जाने के पश्चात् अपना मत रिकार्ड कराने से इन्कार करने के कारण यदि 'बिजी' लैम्प चालू हो जाता है तो 'बिजी' लैम्प को नियंत्रण यूनिट को मतदान यूनिट (यूनिटों) से सम्बन्ध विच्छेद करके बन्द किया जा सकता है। नियंत्रण यूनिट से मतदान यूनिट (यूनिटों) को सम्बन्ध विच्छेद करने के पश्चात् 'पावर' को दुबारा चालू किया जाना चाहिए। अब 'बिजी' लैम्प बुझ जायेगा और 'क्लोज' बटन क्रियाशील हो जायेगा।

(3) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करना :-

1. आपसे मतदान की समाप्ति के पश्चात् राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियमों के नियम 49 के अधीन मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। आप द्वारा ऐसे लेखे प्ररूप 14 ग के भाग 1 में तैयार किये जायेंगे।
2. जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है मतदान की समाप्ति के समय मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या 'Total' बटन दबाकर अभिनिश्चित की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दोबारा दबाया जा सकता है।
3. आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या, मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करने पर मत देने के लिए आप द्वारा अनुज्ञात नहीं किये गये मतदाताओं की संख्या घटाकर (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 14 क) के स्तम्भ (I) के अनुसार दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या के समतुल्य होनी चाहिए।
4. प्ररूप 14 ग के भाग 1 में तैयार किये गये मतों के लेखे का एक नमूना परिशिष्ट-8 पर आपके मार्गदर्शन के लिए दिया गया है।
5. प्ररूप 14 ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा, इसमें वर्णित शब्दों 'रिकार्ड किये गये मतों का लेखा' के साथ आप द्वारा एक पृथक् लिफाफा नं. ई-9 में रखा जाना चाहिए और इसकी एक अतिरिक्त प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी से संबंधित लिफाफा नं. ई-11 में भी रखी जानी चाहिए।
6. मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता प्ररूप 14 ग में आप द्वारा तैयार किये गये मतों के लेखों की प्रति लेना चाहे तो उसे प्रमाणित करते हुए उक्त प्रति दें।

(4) मतदान की समाप्ति के पश्चात् मतदान मशीन का मुहर बन्द किया जाना

1. मतदान की समाप्ति के पश्चात् और मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप 14 ग में तैयार करने तथा चाहे जाने पर इसकी प्रतियां उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को देने के पश्चात् मतदान मशीन को मुहर बन्द किया जाना चाहिए।
2. मतदान मशीन को मुहर बन्द करने और सुरक्षित करने के लिए मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का सबसे पहले सम्बन्ध विच्छेद किया जाना चाहिए और नियंत्रण यूनिट के पावर स्विच को बन्द किया जाना चाहिए। मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को संबंधित वहन बक्सों में रख देना चाहिए।
3. तब प्रत्येक वहन बक्से के दोनों तरफ इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये दो छिद्रों में से एक धागा डालकर और निर्वाचन, मतदान केन्द्र तथा उसमें अन्तर्विष्ट यूनिट की विशिष्टियाँ दर्शाते हुए एड्रेस टैग पर पीठासीन अधिकारी की मुहर सहित धागे की सील लगाते हुए मुहर बन्द किया जाना चाहिए।
4. मतदान यूनिट के ऊपर एड्रेस टैग पर अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित हों और अपनी हस्ताक्षर करने के इच्छुक हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए भी अनुज्ञात करना चाहिए। एड्रेस टैगों पर विशिष्टियाँ साफ-साफ लिखी होनी चाहिये।

(5) पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा करना :-

मतदान की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति की घोषणा करेगा और वहां उपस्थित अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को कहेगा कि मतदान यूनिटों व नियंत्रण यूनिटों के बक्सों पर एड्रेस टैग और कागजात जिनको कि वह मोहर बंद कर रहा है उन पर चाहे तो वे भी अपनी सील/हस्ताक्षर लगा सकते हैं और जो सील लगाना चाहे उनको अपनी सील लगाने देगा तथा पीठासीन अधिकारी की घोषणा के प्ररूप परिशिष्ट-6 के भाग-3 में ऐसे अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त करेगा तथा उनके नाम भी उस घोषणा में नोट करेगा। पीठासीन अधिकारी की घोषणा पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् एक पृथक् लिफाफे में रखी जाएगी तथा उस लिफाफे (लिफाफा नम्बर ई-10) को सीलबन्द नहीं किया जायेगा।

(6) निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को मोहर बंद करना :-

मतदान की समाप्ति होने के पश्चात् आपको निम्न प्रकार के 8 लिफाफों को पृथक्-पृथक् सीलबन्द करना है जो निम्न प्रकार से है :-

1 निर्वाचक नामावलियों की चिन्हित प्रति	लिफाफा नं. ई-1
2 मतदाताओं का रजिस्टर	लिफाफा नं. ई-2
3 प्रयुक्त मतदाता पर्चियाँ	लिफाफा नं. ई-3
4 अप्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. ई-4
5 प्रयुक्त निविदत मतपत्र	लिफाफा नं. ई-5
6 निविदत मतों की सूची (प्ररूप-14 ख)	लिफाफा नं. ई-6
7 अभ्याक्षेपित (चैलेन्जड) मतों की सूची (प्ररूप-13)	लिफाफा नं. ई-7
8 निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र	लिफाफा नं. ई-8

(7) अन्य कागजात तैयार करना :-

उपरोक्त में बताये गये सीलबन्द लिफाफों के अलावा निम्नांकित लिफाफे और तैयार होंगे लेकिन उन्हें सीलबन्द नहीं किया जायेगा जो निम्न प्रकार से है :-

1. रिकार्ड किये गये मतों का लेखा प्ररूप-14 ग में बनाया जायेगा जिसकी दो प्रतियां तैयार की जायेंगी। एक प्रति पृथक् लिफाफा नं. ई-9 में रखी जायेगी और दूसरी प्रति पीठासीन अधिकारी की डायरी में संलग्न कर लिफाफा ई-11 में रखी जायेगी। पिंक पेपर सीलों का लेखा पृथक् से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिंक पेपर सीलों का लेखा प्ररूप 14 ग रिकार्ड किये गए मतों का लेखा में भाग-1 के मद 9 में ही अंकित करना है।
2. पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारम्भ करने
से पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान समाप्ति
पर की गयी घोषणायें लिफाफा नं. ई-10
3. पीठासीन अधिकारी की डायरी लिफाफा नं. ई-11
4. अप्रयुक्त मतदाता पर्चिया लिफाफा नं. ई-13
5. विविध कागजात का लिफाफा जिसमें
निम्नांकित कागजात होंगे :- लिफाफा नं. ई-14

- 1) दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं की घोषणायें
- 2) दृष्टिहीन व शिथिलांग मतदाताओं की सूची (प्ररूप-12)
- 3) अप्रयुक्त एड्रेस टैग एवं स्पेशल टैग
- 4) पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति क प्ररूप
- 5) मतदाता सूची की कार्यकारी प्रतियां (चिन्हित मतदाता सूची से भिन्न)
- 6) चैलेंज फीस की रसीद बुक
- 7) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें

इस प्रकार संक्षिप्त में आपको लिफाफा नं. ई-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 तो चपड़ी से सीलबन्द करने हैं। तथा लिफाफा नं. ई- 9, 10, 11, 13 एवं 14 आपको सील नहीं करने हैं तथा एक बार आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लिफाफे आपके मतदान केन्द्र के लिये एक-एक ही तैयार होंगे। लिफाफा तैयार करते समय उन पर पृष्ठांकन करना नहीं भूलें। पृष्ठांकन प्रविष्टियां पूर्ण रूप से लिखें।

चुनाव अनियमितताएं

इस पुस्तक में आपको अवलोकन के लिये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के उद्धरण परिशिष्ट-2 में दिये जा रहे हैं। धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125, 126, 127, 127 क, 128, 129, 130, 131, 132, 132 क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 135 क, 135 ख, 135 ग और 136 के प्रावधान भी नगरपालिका चुनावों में लागू होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धाराओं के उद्धरण भी परिशिष्ट-2 में बताये गये हैं। अतः जो चुनाव सम्बन्धी अनियमितताएं, भ्रष्ट आचरण, निर्वाचन अपराध, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में माने गये हैं। वे नगरपालिका चुनावों में भी माने जायेंगे और इन प्रावधानों के विपरीत कोई भी व्यक्ति कार्य करता है या आचरण करता है तो उसके विरुद्ध आप ड्यूटी पर तैयार पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग ले सकते हैं। यद्यपि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के निर्वाचन संबंधी विवादों के प्रावधान आपके अवलोकन के लिये पुस्तक में उद्धरित कर दिये गये हैं फिर भी निम्न प्रावधानों को संक्षेप में आपको बताया जा रहा है।

1. **चुनाव सभाओं आदि पर रोक:-** मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित 48 घण्टों की अवधि में चुनाव सभाओं, जुलूसों, सिनेमा, टीवी पर प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि से चुनाव प्रचार पर रोक है। (धारा 126)
2. **चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मिकों द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष/विपक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के कृत्य को भी अपराध माना गया है।** (धारा 129)
3. **मत संयाचना पर रोक :-** मतदान केन्द्र में और मतदान केन्द्र से 100 मीटर की दूरी तक प्रचार करना अपराध है। कोई व्यक्ति इस प्रकार का प्रचार करे तो पुलिस द्वारा उसे बिना वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पोलिंग एजेन्ट उस उम्मीदवार का, जिसका वह एजेन्ट है, चुनाव-चिन्ह या उम्मीदवार के नाम का बैज नहीं पहन सकता है। इस प्रकार के बैज को चुनाव सम्बन्धी चिन्ह का प्रदर्शन माना जायेगा जिसकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130 के अनुसार दण्डनीय अपराध है।
4. **उम्मीदवारों के चुनाव बूथ :-** मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी तक उम्मीदवारों को चुनाव बूथ लगाने की अनुमति नहीं है।
5. **मतदान केन्द्र के अन्दर या निकट उच्छृंखल आचरण:-** अगर कोई व्यक्ति उच्छृंखल आचरण करे तो आप उसे तुरन्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवा सकते हैं। यदि लाउडस्पीकर या मेगाफोन की आवाज के कारण मतदान केन्द्र की कार्यवाही में बाधा होती है तो आप उसे पुलिस द्वारा फौरन बन्द करवा सकते हैं। (धारा 131)
6. **उच्छृंखल व्यक्तियों को हटाया जाना :-** यदि कोई व्यक्ति मतदान के समय मतदान केन्द्र में उच्छृंखलता करता है या आपके कानूनी निर्देशों को नहीं मानता है तो ऐसे व्यक्ति को आप मतदान केन्द्र से पुलिस के द्वारा या अन्य किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हटवा सकते हैं और यदि ऐसा व्यक्ति पुनः बिना आपके अनुमति के मतदान केन्द्र में प्रवेश करे तो आप उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी करवा सकते हैं। (धारा 132)
7. **मतदाताओं को लाने-ले जाने के लिये वाहनों का गैर कानूनी ढंग से किराये पर लेना:-** आपके पास मतदाताओं को गैर कानूनी ढंग से लाने-ले जाने को रोकने के लिये कोई कारगर साधन नहीं है। लेकिन इस प्रकार कोई शिकायत आपके सामने की जावे तो आप शिकायत करने वाले को समझा दें कि वह अपराध करने वालों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 125(5) के तहत संबंधित पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवा दें साथ ही आप भी समय समय पर भ्रमण कर रहे जोनल मजिस्ट्रेटों अथवा रिटिनिंग अधिकारी/सहायक रिटिनिंग अधिकारी को तुरन्त अवगत करा दें एवं पुलिस कर्मचारी/अधिकारी को भी आप बता दें। साथ ही शिकायत करने वाले को यह भी समझा दें कि समय आने पर ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव याचिका में इस आधार का वह उपयोग कर सकता है।

8. **चुनाव अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्यवाही की अवहेलना :-** यदि कोई पीठासीन अधिकारी या पोलिंग ऑफिसर बिना किसी कारण के किसी ऐसे काम को करता हुआ पाया जावे या उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे सरकारी कार्यवाही भंग होती है तो ऐसा कर्मचारी धारा 134 के अन्तर्गत अपराध कारित करता है।
9. सरकारी कर्मचारी के किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन एजेंट, पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट होने को भी अपराध माना गया है। (धारा 134 क)
10. पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कानून-व्यवस्था का कार्य देख रहे अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र में कोई शस्त्र नहीं ले जा सकता, इसका उल्लंघन भी अपराध है। (धारा 134 ख)
11. EVM या निर्वाचन संबंधी कागजात एवं मतपत्रों को कोई व्यक्ति जबरदस्ती लेने का प्रयास करे या ले जाये तो ऐसी स्थिति में आप तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और पुलिस अधिकारी को भी रिपोर्ट करेंगे।
12. बूथ कैप्चरिंग धारा 135 क के अंतर्गत अपराध है।
13. मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा ताकि वे मत दे सकें। (धारा 135 ख)
14. मतदान समाप्ति पर पूर्ण होन वाली 48 घंटे की अवधि में शराब का बेचना, वितरण करना या दिया जाना अपराध है। (धारा 135 ग)

अध्याय-13

मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात व सामग्री को जमा करना

जिला निर्वाचन अधिकारियों/रिटर्निंग अधिकारियों के निर्देशानुसार बताये गये संग्रहण स्थल पर आपको मतदान मशीन एवं निर्वाचन संबंधी कागजात तथा अन्य सामग्री को जमा कराना है। साधारण: संग्रहण स्थल पर मतदान मशीन, निर्वाचन कागजात एवं अन्य सामग्री को जमा कराने के लिये तीन काउंटर रखे जायेंगे, हालांकि उनमें थोड़ा फेर-बदल जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तीन प्रकार के काउंटर जहां कि आपको सामग्री जमा करानी है, वे निम्न प्रकार से होंगे, जहां पर निम्न प्रकार की सामग्री जमा करानी है:-

काउंटर नं. 1

जो कि स्ट्रांग रूम का होगा उस पर आपको निम्न 5 आईटम जमा कराने है :-

- | | |
|---|---------------------|
| (1) उपयोग में ली गयी सीलबंद मतदान यूनिट व कंट्रोल यूनिट | |
| (2) रिकार्ड किये गये मतों का लेखा एवं पेपर | लिफाफा नं. ई-9 |
| सीलों का लेखा (प्ररूप-14 ग) | (बिना सील किया हुआ) |
| (3) पीठासीन अधिकारी की घोषणा | लिफाफा नं. ई-10 |
| | (बिना सील किया हुआ) |
| (4) पीठासीन अधिकारी की डायरी | लिफाफा नं. ई-11 |
| | (बिना सील किया हुआ) |
| (5) सांख्यिकी आंकड़ों की सूचना | लिफाफा नं. ई-12 |
| | (बिना सील किया हुआ) |

काउंटर नं. 2

काउंटर नं. 2 पर निम्नांकित लिफाफे जमा करवाये जायेंगे :-

- | | |
|--|----------------|
| (1) निर्वाचन नामावलियों की चिन्हित प्रति | लिफाफा नं. ई-1 |
| (2) मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप-14 क) | लिफाफा नं. ई-2 |
| (3) प्रयुक्त मतदाता पर्चियां | लिफाफा नं. ई-3 |
| (4) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र | लिफाफा नं. ई-4 |
| (5) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र | लिफाफा नं. ई-5 |
| (6) निविदत्त मतों की सूची (फार्म 14B) | लिफाफा नं. ई-6 |
| (7) आक्षेपित मतदाताओं की सूची (फार्म 13) | लिफाफा नं. ई-7 |
| (8) निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र (फार्म 11) | लिफाफा नं. ई-8 |

उपरोक्त सभी लिफाफे (नं. ई-1 से 8) सीलबंद होंगे जिसमें लिफाफा नं. ई-1 से 6 का अलग पैकेट होगा।

काउंटर नं. 2 पर लिफाफा नं. 13 व 14 भी जमा करवाये जायेंगे जो सील किये हुये नहीं होंगे। लिफाफा नं. ई-13 अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा है तथा लिफाफा नं. ई-14 में निम्नांकित कागजात रखे होंगे :-

- (1) दृष्टिहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं के साथी की घोषणाएं
- (2) दृष्टिहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची, (प्ररूप-12)
- (3) अप्रयुक्त एड्रेस टैग एवं स्पेशल टैग
- (4) मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति के फार्म, (प्ररूप-9)
- (5) निर्वाचक नामावलियों की अन्य प्रतियां (चिन्हित प्रति को छोड़कर)
- (6) मतदाताओं की आयु संबंधी घोषणायें व सूची
- (7) चैलेंज फीस की रसीद बुक
- (8) अप्रयुक्त व क्षतिग्रस्त पेपर सीलें व स्ट्रिप सीलें
- (9) अन्य निर्वाचक कागजात

काउंटर नं. 3

काउंटर नं. 3 पर अन्य चुनाव सामग्री के आइटम जमा करवाये जायेंगे जो निम्न प्रकार हैं:-

- (1) पीठासीन अधिकारी की पीतल की सील
- (2) पीठासीन अधिकारी के लिये पुस्तिका एवं अन्य कानूनी पुस्तकें
- (3) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की निर्देशिका
- (4) स्टाम्प पैड
- (5) स्टाम्प पैड इंक
- (6) अमिट स्याही की शीशियां
- (7) ऐरोक्रास मार्क सील
- (8) मेटल रूल,
- (9) कपड़े की थैलियां, यदि हों
- (10) कपड़े के पर्दे अथवा कार्ड-बोर्ड कम्पार्टमेंट,
- (11) सुभेदक चिन्ह की सीलें,
- (12) रबर सीलें केन्सिल,
- (13) अप्रयुक्त मतदान/कन्ट्रोल यूनिट
- (14) केनवास बैग
- (15) डमी बैलेट यूनिट
- (16) अन्य कोई सामग्री जो दी गई है।

यहां एक बार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लिफाफे आपको उपरोक्तानुसार सभी तैयार करने हैं, चाहे कोई सूचना शून्य क्यों न हो तथा उन लिफाफों में सम्बन्धित प्ररूप भी पूर्ति करके रखने हैं चाहे उनमें सूचना शून्य ही क्यों न हो। आपको काउंटर्स पर उपरोक्तानुसार सामग्री अच्छी तरह से सम्मलवा कर उसकी रसीद भी सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त कर, काउंटर को छोड़ना चाहिये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

यहां आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात आप यथाशीघ्र कागज पत्रों के पैकिट बन्द करेंगे और जिन पर चपड़ी से सील लगनी है उन्हें ही चपड़ी से सील करेंगे तथा मतदान केन्द्र पर बिना समय गंवाये आप सामग्री जमा कराने के लिये संग्रहण स्थल पर जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार पहुंच जायेंगे तथा बीच रास्ते में अन्य किसी स्थान पर नहीं जायेंगे ना ही अनावश्यक रुकेंगे।

अध्याय-14

पीठासीन अधिकारियों के लिए संक्षिप्त मार्गदर्शन

(1) मतदान सामग्री प्राप्त करते समय

1. अपने मतदान दल के सदस्यों से निकट सम्बन्ध बनाये रखें।
2. जब तक टीमवर्क नहीं होगा आपका कार्य अधिक कठिन हो जायेगा।
3. यह सुनिश्चित कर लें कि :-
 - 1) आपको मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और अपेक्षित संख्या में मतदान यूनितें दे दी गई हैं और इनका आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग किया जाना है।
 - 2) प्रत्येक मतदान यूनिट पर समुचित मतपत्र सम्यक् रूप से लगा दिया गया है और उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है।
 - 3) प्रत्येक मतदान यूनिट पर 'स्लाईड स्विच' समुचित स्थिति में लगा दिया है।
 - 4) नियंत्रण यूनिट के कैंण्डिडेट सेट सेक्शन को और प्रत्येक मतदान यूनिट को सम्यक् रूप से मुहर बंद कर दिया गया है और उनमें से प्रत्येक पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दिये गये हैं।
4. यह सुनिश्चित कर लें कि आपको समस्त मतदान सामग्री दे दी गई है।
5. विशेष रूप से मतदाताओं का रजिस्टर, मतदाता स्लिप, निविदत्त मतों के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मतपत्र, निविदत्त मतों के लिए ऐरोक्रास मार्क रबड़ की स्टॉम्प, पैंक पेपर सील, स्ट्रिप सील, मुहर बंद करने के लिए मोमबत्ती, अमिट स्याही, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग आदि की जांच कर लें।
6. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से अन्य प्रतियों का मिलान करें और यह देख लें कि समस्त प्रतियां समरूप हैं और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में 'पी बी' और 'ई डी सी' से भिन्न कोई चिन्ह न हो।
7. यह भी देख लें कि:-
 - 1) हटाये गये नाम और अनुपूरक सूचियों के अनुसार संशोधन निर्वाचक नामावली की समस्त प्रतियों से मिला लिये गये हैं।
 - 2) काम में ली जा रही नामावली की वर्किंग प्रति के सभी पृष्ठ मूल प्रति में क्रम से संख्यांकित है।
 - 3) मतदाताओं की मुद्रित क्रम संख्या को शुद्ध नहीं किया गया है और नई संख्या प्रतिस्थापित नहीं की गई है।

(2) मतदान केन्द्र की स्थापना एवं मतदान पूर्व की प्रक्रिया

1. मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ करने के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व पहुँचे।
2. यथासाध्य, मॉडल ले-आउट के अनुसार ही मतदान केन्द्र स्थापित करें और मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के आने-जाने के लिए पृथक-पृथक प्रवेश द्वार सुनिश्चित कर लें।
3. मतदान के दिन आपके मतदान केन्द्र के बाहर मतदान क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति, प्रदर्शित करें।
4. मतदान प्रारम्भ होने के लिए नियत समय से कम से कम एक घंटा पूर्व मतदान मशीन की तैयारी प्रारम्भ कर दें।
5. मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट को जोड़ दें।
6. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में 'पावर स्विच' को चालू कर दें।
7. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष को एक पतले तार से बांधकर और कुछ गांठे लगाकर सुरक्षित कर लें।
8. उपस्थित समस्त मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखा दें कि मतदान मशीन में चुनाव संबंधित कोई डॉटा संग्रहीत नहीं है और इसमें पहले से ही कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है।
9. मतदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करवाकर दिखावटी मतदान (Mock Poll) का संचालन करायें।
10. दिखावटी मतदान के संचालन के पश्चात् समस्त उपस्थित व्यक्तियों को ऐसे दिखावटी मतदान का परिणाम दिखाकर मतदान मशीन के डॉटा को साफ कर दें।

11. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे पर की चौखट में पिक पेपर सील लगा दें।
12. रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष को इस प्रकार बंद करें कि पेपर सील के दोनों छोर आन्तरिक कक्ष के किनारों से बाहर की तरफ रहें।
13. मुद्रित क्रम संख्या के नीचे पेपर सील की सतह पर आप अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें।
14. उन उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के जो अपने हस्ताक्षर करने के इच्छुक हो पेपर सील पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त कर लें। उन्हें पेपर सील की क्रम संख्या नोट करने के लिए अनुज्ञात करें।
15. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के आन्तरिक कक्ष के दरवाजे को स्पेशल टैग से सील करें।
16. नियंत्रण यूनिट के रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कवर को बंद कर दें और सील कर दें उस पर एक एड्रेस टैग अच्छी तरह लगा दें।
17. मतदान अभिकर्ताओं को भी नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन के बाहरी कवर पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।
18. स्ट्रिप सील के साथ कंट्रोल यूनिट बाहर से सुरक्षा के साथ सील करें।
19. मतदान कक्ष में मतदान यूनिट (यूनिटों) को रखें। नियंत्रण यूनिट को आप अपनी मेज पर रखें।
20. परस्पर जुड़ी हुई केबल को इस प्रकार से रखें कि मतदाता को, मतदान कक्ष में जाते और आते समय उसे लांघना न पड़े।
21. उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखायें कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में 'पी बी ' और 'ई डी सी ' से भिन्न कोई प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।
22. यह भी दिखायें कि मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप 14 क) में कोई प्रविष्टि नहीं है।

(3) मतदान प्रारंभ करते समय

1. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व घोषणा को पढ़ें और हस्ताक्षर करें।
2. नियत समय पर मतदान प्रारम्भ करें।
3. मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 को जोर से पढ़कर प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को चेतावनी दें।
4. दिये गये किसी भी समय में मतदान केन्द्र के भीतर किसी अभ्यर्थी के केवल एक मतदान अभिकर्ता को ही अनुज्ञात करें।
5. निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कर लें।
6. आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के प्रति सम्यक् शिष्टाचार दिखायें और सम्मान दें तथा उनके द्वारा अपेक्षित जानकारी उन्हें दें।
7. मतदान केन्द्र के एक सौ मीटर के भीतर चुनाव प्रचार करना एक अपराध है।
8. मतदान केन्द्र में धूम्रपान निषिद्ध है।
9. किसी विशेष व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जो मतदान के लिए आये उसे विशेष व्यवहार या महत्त्व नहीं दें।
10. जहां तीन मतदान अधिकारी हो वहां मतदान अधिकारियों के कर्तव्य निम्नलिखित हैं:-

पहला मतदान अधिकारी- निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति रखेगा और निर्वाचक की पहचान करेगा। नामावली में मुद्रण सम्बन्धी और लिपिकीय भूलों पर उसके द्वारा ध्यान नहीं दिया जायेगा।

दूसरा मतदान अधिकारी- अमिट स्याही और मतदाताओं का रजिस्टर रखेगा। वह निर्वाचक की तर्जनी पर अमिट स्याही, लगायेगा, रजिस्टर के स्तम्भ (2) में मतदाताओं के रजिस्टर पर निर्वाचक मतदाता सूची में मतदाता की जो क्रम संख्या है, को दर्ज करेगा और मतदाता के पहचान दस्तावेज के अंतिम चार डिजिट्स के क्रमांक रजिस्टर के अभियुक्ति के कॉलम में अंकित करेगा तथा मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठें का निशान अभिप्राप्त करेगा। वह मतदाता स्लिप तैयार करेगा और उसे निर्वाचक को जारी करेगा।

तीसरा मतदान अधिकारी- नियंत्रण यूनिट का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक से मतदाता स्लिप लेगा, उसकी बांयी तर्जनी पर अमिट स्याही की जांच करेगा और नियंत्रण यूनिट पर के 'बैलेट ' बटन को दबाकर मत देने के लिए उसे अनुज्ञात करेगा।

11. निर्वाचक को अपना मत उसी क्रम में रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात करें जिसमें उन्हें मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। उन्हें मत देने के लिए तब तक अनुज्ञात न करें जब तक कि उन्होंने मतदाताओं के रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान न लगा दिया हो।
12. किसी निर्वाचक की पहचान के बारे में चुनौती को तब तक न ग्रहण न करें जब तक कि चुनौती देने वाला दो रुपये नगद चुनौती फीस संदत्त न कर दे। प्ररूप 13 में ऐसे चुनौती दिये गये मतदाताओं का रिकार्ड रखें।
13. यदि चुनौती स्थापित हो जाती है तो प्रतिरूपण करने वाले को, लिखित शिकायत के साथ, पुलिस को सौंप दें।
14. दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाता के साथी से अपेक्षित घोषणा अभिप्राप्त करें। प्ररूप 12 में ऐसे मतदाताओं का रिकार्ड रखें।
15. यदि आप किसी निर्वाचक को मतदान की आयु अर्थात् 18 वर्ष से बहुत कम मानते हैं किन्तु उसकी पहचान के बारे में अन्यथा समाधान हो जाता है तो उसकी आयु के संबंध में उससे एक घोषणा अभिप्राप्त कर लें। उसकी पात्रता के बारे में कोई प्रश्न न करें।
16. किसी निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात करें यदि उसके नाम से किसी अन्य द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् वह उस मतदान केन्द्र पर आता है और उसकी पहचान के बारे में आपका समाधान हो जाता है। उसे मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने के लिए अनुज्ञात नहीं करे।
17. ऐसे निर्वाचक का रिकार्ड रखें जिसको निविदत्त मतपत्र जारी किये गये है। निविदत्त मतपत्र और प्ररूप 14 ख में सूची पृथक-पृथक लिफाफे में रखें।
18. किसी निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करें यदि आप द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी वह मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की विहित मतदान प्रक्रिया को मानने से इन्कार करें।
19. मतदाताओं के रजिस्टर में उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति स्तम्भ में इस आशय की एक प्रविष्टि करें। ऐसे निर्वाचक के कारण उस रजिस्टर में स्तम्भ 1 में कोई भी क्रम संख्या परिवर्तित न करें।
20. यदि मतदान के दौरान वोटिंग कपांटमेंट में अपरिहार्य परिस्थितियोंवश जाना पड़े तो पोलिंग एजेंटों को भी साथ आने के लिए कहे।
21. डमी बैलेट यूनिट से मतदाताओं को मत देने का तरीका समझायें, यदि वे ऐसा चाहें तो।
22. मतदान की समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व पंक्ति में खड़े समस्त निर्वाचकों को, पंक्ति के अन्तिम छोर से प्रारम्भ करते हुए स्लिपें वितरित करें।
23. ऐसे समस्त व्यक्तियों को मत देने के लिए अनुज्ञात करें जिन्हें ऐसी स्लिपें जारी की गई हैं चाहे मतदान को नियत समय के पश्चात् भी जारी क्यों न रखना पड़े।

(4) मतदान समाप्ति के समय

1. ऐसे अन्तिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात् मतदान बंद किये जाने की औपचारिक घोषणा करें।
2. नियंत्रण यूनिट पर के 'क्लोज' बटन को दबाकर मतदान मशीन बंद कर दें। इसके इस प्रकार दबाये जाने के पश्चात् 'क्लोज' बटन के ऊपर लगी प्लास्टिक/रबड़ की कैप को वापस लगा दें।
3. प्ररूप 14 ग में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा तैयार करें।
4. मतदान के बंद करने के पश्चात् मतदान यूनिट और नियंत्रण यूनिट का संबंध विच्छेद कर दें।
5. नियंत्रण यूनिट के पिछले कक्ष में पॉवर स्विच को बंद कर दें।
6. नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उनके अपने-अपने वहन बक्सों में रखें।
7. वहन बक्सों को दोनो ओर से सील कर दें। प्रत्येक वहन बक्से पर एड्रेस टैग अच्छी तरह से लगा दें।
8. समस्त मतदान अभिकर्ताओं को इन वहन बक्सों पर अपनी सील लगाने के लिए अनुज्ञात करें।
9. समस्त निर्वाचन पत्रों और सामग्री को पृथक पैकेटों में सील करें जैसा कि बताया जा चुका है।

10. मतदान केन्द्र पर की घटनाओं का पूर्ण और सही लेखा रखने हेतु पीठासीन अधिकारी की डायरी हर तरह से पूर्ण रखें। जब कभी भी कोई घटना घटित हो उसमें प्रविष्टियां पूर्ण कर लें न कि मतदान की समाप्ति पर।
11. यदि मतदान केन्द्र पर कोई हिंसा या बलवा होता है तो मतदान स्थगित कर दें। रिटर्निंग अधिकारी को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।
12. यदि बूथ पर कब्जा किया गया है या कोई मतदान मशीन या निर्वाचन सामग्री जैसे मतदाताओं का रजिस्टर, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आदि आपकी अभिरक्षा से अप्राधिकृत रूप से ले जायी गयी है या क्षतिग्रस्त कर दी गयी है या उनमें गड़बड़ की गयी है तो मतदान बन्द कर दें। रिटर्निंग अधिकारी को पूरे तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करें।
13. टेण्डर मतपत्र जारी करने पर निर्वाचक नामवली की चिन्हित प्रति में 'टी' अक्षर अंकित कर दें।
14. किसी पोलिंग एजेंट को अभ्यर्थी या पार्टी का चुनाव चिन्ह धारण नहीं करने दें।
15. मतदाता जब मतदान कक्ष में मत दे रहा हो तब आप उस समय किसी अन्य को वहां जाने की अनुमति न दें और उसकी फोटो भी उस समय न लेने दें।

परिशिष्ट – 1

{देखें भाग 1 पैरा 3, भाग 6 पैरा 2 (1)}

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के उद्धरण

171. घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपण:— जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है या उत्पात करता है या उत्पात करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।

172. च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड:— जो कोई निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

परिशिष्ट-2

[देखें भाग 1, 5, 6, 9 एवं 12]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उद्धरण -

(अ) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009

“धारा-15. मिथ्या घोषणा करना :- यदि कोई व्यक्ति -

- (क) किसी निर्वाचक-नामावली को तैयार करने, परिशोधित करने या शुद्ध करने, या
- (ख) किसी निर्वाचक-नामावली में किसी प्रविष्टि के सम्मिलित किये जाने या उसमें से निकाले जाने-

के संबंध में लिखित विवरण देता है या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में या तो वह जानता है या उसका विश्वास है या जिसके सत्य होने के बारे में उसका विश्वास नहीं है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।”

“धारा-28 निर्वाचन संबंधी अपराध-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धाराएं 125, 126, 127, 127-क, 128, 129, 130, 131, 132, 132-क, 133, 134, 134-क, 134ख, 135, 135क, 135ख, 135ग और 136 प्रभावी होंगी, मानो कि-

- (क) किसी निर्वाचन के संबंध में उसमें दिये गये निर्देश इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश हैं,
- (ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये उसमें दिये गये निर्देश किसी वार्ड के प्रति निर्देश हैं, और
- (ग) धारा 125 और 127 में अभिव्यक्ति “इस अधिनियम के अधीन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अधीन” और धारा 134 और 136 में अभिव्यक्ति “इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 द्वारा या इसके अधीन” प्रतिस्थापित की जाएगी।”
- (घ) धारा 135ख की उपधारा (1) में “लोकसभा या राज्य की विधान सभा” शब्दों के स्थान पर “नगरपालिका का वार्ड” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से, निर्वाचन संबंधी उद्धरण -

125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों की बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना :- जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

126. मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध :- (1) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान,-

- (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या
- (ख) चलचित्र, टेलिविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या
- (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

(2) वह व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा में, “निर्वाचन संबंधी बात” पद से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है।

127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव :- (1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके, संबंध में यह धारा लागू है, उस कारवार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखला से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उदीप्त करेगा वा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(1) क) उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा राजनैतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा पर लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में की गई है।

(3) यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति की बाबत युक्ति-युक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उप-धारा (1) के अधीन अपराध किया है तो यदि सभा के सभापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इन्कार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस ऑफिसर उसकी बाबत युक्ति-युक्त रूप से सन्देह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है, तो पुलिस ऑफिसर उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

127. (क) पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन :- (1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को – (क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है, तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित –

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है जिला मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्ति-युक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए – (क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियाँ बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और “मुद्रक” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, तथा

(ख) “निर्वाचक पुस्तिका या पोस्टर” से किसी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आख्यापित करने वाला या निर्वाचन भिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्चा सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना :- (1) ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध ऐसे ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति को, जो राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिये किसी निर्वाचन में ऐसे किसी कर्तव्य का पालन करता है, लागू नहीं होंगे।)

129. निर्वाचनों में ऑफिसर आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर डालेंगे :- (1) जो कोई जिला निर्वाचन ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान ऑफिसर है या ऐसा ऑफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन ऑफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अथर्वर्ती के निर्वाचन की सम्भावनाओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य—

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनाने का, और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का, और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के असर डालने का, प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध :- (1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से (एक सौ मीटर) की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों से कोई कार्य न करेगा, अथात् :-

(क) मतों के लिए संयाचना,

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना,

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने का किसी निर्वाचक को मनाना, और

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना, और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति :-

(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है—

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युपादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधन मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा, और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छृंखलता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा, कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्यरुद्ध ऑफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उप-धारा-

- 1 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- 2 यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकेगा कि वह इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस ऑफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।
- 3 कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उप-धारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए युक्ति-युक्त रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधित्र को अभिगृहित कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र के अवचार के लिए शास्ति :-

- (1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घण्टों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पीठासीन ऑफिसर के विधिपूर्ण निर्देशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन ऑफिसर या कर्तव्यारूढ़ कोई पुलिस ऑफिसर या ऐसे पीठासीन ऑफिसर द्वारा एतन्निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।
- (2) उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ ऐसे प्रयुक्त न की जायेगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निर्धारित हो जाए।
- (3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन ऑफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (4) उप-धारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

132.क. मतदान करने के लिये प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति :-

यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।

133. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवैद्य रूप से भाड़े लेने या उत्पात करने के लिए शास्ति :-

यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी है, जो धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

134. निर्वाचनों में ससक्त पदीय कर्तव्य के भंग :-

- (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य के लोभ का युक्तियुक्त हेतु के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
(1-क) उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
- (2) यथापूर्वोक्त किसी कार्य या लोभ की बाबत नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।
- (3) वे व्यक्ति, जिन पर यह धारा लागू है ये हैं, जिला निर्वाचन आफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर, मतदान ऑफिसर और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली या अर्थ इस धारा के

प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित होने से अन्यथा अधिरोपित हैं।

134.क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति :- यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

134.ख. मतदान केन्द्र या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध—

- (1) रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और किसी पुलिस अधिकारी से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यरूढ़ है भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस-पास आयुध अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के आयुधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।
- (3) आयुध अधिनियम, 1959 (54 ऑफ 1959) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उक्त अधिनियम में परिभाषित ऐसे आयुध, जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुधों के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाएगी।
- (4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा :-

- (1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र अनधिकृत रूप से बाहर ले जायेगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसे ऑफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस ऑफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :-
परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।
- (3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन ऑफिसर द्वारा पुलिस ऑफिसर के हवाले कर दिया जायेगा या जब तलाशी पुलिस ऑफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा ऑफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- (4) उप-धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135. क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध :-

- (1) जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण :- इस उपधारा और धारा 20 ख के प्रयोजनों के लिए “ बूथ का बलात् ग्रहण ” के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :-

- (क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है ;
 - (ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यो को उनके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना ;
 - (ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीडित करना या अभित्रस्त करना या धमकी देना और उसके अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना ;
 - (घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान पर अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;
 - (ङ.) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

136. अन्य अपराध और उनके लिये शास्तियां :-

- (1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति—
 - (क) कोई नाम निर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा।
 - (ख) रिटर्निंग ऑफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा अथवा।
 - (ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिन्ह या अननयता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मतपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा, अथवा
 - (घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा (या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा), अथवा
 - (ङ.) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा अथवा
 - (च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा, अथवा
 - (छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

- (2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति—
- (क) यदि वह रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर या मतदान केन्द्र में पीठासीन ऑफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य ऑफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा,
- (ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका वह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के संबंध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु “पदीय कर्तव्य” पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्यन होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किये जाने से अन्यथा अधिरोपित है।
- (4) उप-धारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

परिशिष्ट -3

(देखें भाग 1 पैरा 3, भाग 3 पैरा 8 भाग 10)

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के उद्धरण

24 मतदान — किसी सविरोध निर्वाचन की दशा में, मतदान नियम 10 के अधीन उल्लिखित तारीख को कराया जायेगा।

24.क. निर्वाचन में मतदान की रीति :-

- (1) प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान हो, वहां मत सामान्यतः मतपत्र द्वारा दिये जायेंगे और कोई भी मत परोक्षी द्वारा प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
- (2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों द्वारा मतों का दिया जाना और **रिकार्ड** किया जाना किसी भी नगरपालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में, अंगीकृत किया जा सकेगा जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण:- उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए “मतदान मशीन” से अभिप्रेत है मत देने या रिकार्ड करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हो और इस अधिनियम या इन नियमों में मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस प्रकार लगाया जायेगा मानों उसके अन्तर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी मतदान में प्रयोग होता है ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।

25. मतदान का समय :- राज्य निर्वाचन आयोग मतदान प्रारम्भ होने और बंद होने का समय नियत करेगा।

26. मतदान अभिकर्ता :-

- (1) कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ऐसे साधारण या विशेष निर्देश के अधधीन रहते हुए, जो राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त समय-समय पर जारी करे, वार्ड के ऐसे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, जहां से ऐसा अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहा है, मतदान केन्द्र पर मतदान के समय अपनी ओर से उपस्थित रहने के लिए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करेगा;
- (2) ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो उपनियम (1), के अधीन नियुक्त किये जा सकेंगे एक अभिकर्ता और दो अवमुक्त अभिकर्ता प्रति मतदान केन्द्र होगी ;
- (3) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति प्ररूप-9 में की जायेगी और मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में पेश करने के लिए दे दी जायेगी;
- (4) किसी भी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसने उपनियम (1) के अधीन अपनी नियुक्ति की लिखित उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को सम्यक् रूप से पूर्व और पीठासीन अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित करके पीठासीन अधिकारी को परिदत्त न कर दी हो, और;
- (5) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिहंसरण प्ररूप-10 में किया जावेगा 'और वह पीठासीन अधिकारी के पास किया जायेगा।

27. मतदान केन्द्र :- राज्य निर्वाचन आयोग के किसी साधारण या विशेष निदेश के अधधीन रहते हुए, जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी, प्रत्येक वार्ड के लिए इतने मतदान केन्द्रों का चयन करेगा जितने वह आवश्यक समझे और इस प्रकार चयनित मतदान केन्द्रों और उनके अन्तर्गत आने वाले सम्बन्धित मतदान क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करेगा।

28. पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी :-

- (1) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक “पीठासीन अधिकारी” और पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा।
- (2) प्रत्येक मतदान अधिकारी, इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी को दिये गये समस्त कर्तव्यों का पालन कर सकेगा।
- (3) यदि पीठासीन अधिकारी, बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारण से, मतदान केन्द्र से स्वयं को अनुपस्थित रखने के लिए बाध्य हो तो उसके कर्तव्यों का पालन मतदान अधिकारियों में

से किसी ऐसे एक के द्वारा किया जायेगा जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है।

29. पीठासीन अधिकारियों के कर्तव्य :-

(1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्था रखेगा, देखेगा कि निर्वाचन समुचित रूप से संचालित हो और मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी एक समय में प्रविष्ट किये जाने वाले मतदाताओं की संख्या को विनियमित करेगा और निम्नलिखित से भिन्न सभी व्यक्तियों को वहां प्रवेश से अपवर्जित करेगा :-

- (क) मतदान अधिकारी ;
- (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोकसेवक;
- (ग) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
- (घ) अभ्यर्थी उनके निर्वाचन अभिकर्ता और नियम 26 के उपनियम (4) के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता;
- (ङ) किसी मतदाता की गोद का कोई बच्चा;
- (च) किसी दृष्टिहीन या शिथिलांग मतदाता के, जो बिना मदद के नहीं चल सकता, साथ का व्यक्ति; और
- (छ) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने के प्रयोजन से अनुज्ञात करे।

33. मतदाता सूची की चिन्हित प्रति: - मतदान के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, पीठासीन अधिकारी, मतदान अभिकर्ताओं और उपस्थित अन्य व्यक्तियों को प्रदर्शित करेगा कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली चिन्हित मतदाता सूची में मतदाताओं को जारी किये गये मतपत्रों के संबंध में कोई प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।

36 मतदान :-(1) इसमें इसके पश्चात् यथा-उपबंधित के सिवाय, निर्वाचन पर मतदान करने वाले समस्त मतदान ऐसा नियमों के अधीन उनके लिए उपलब्ध कराये गये मतदान केन्द्र का व्यक्तिशः करेंगे।

(2.) मत व्यक्तिशः दिया जायेगा और कोई भी मत प्रोक्सी के द्वारा नहीं दिया जायेगा।

39. मतदान को सहायता :-ऐसे मतदाता जो शिथिलांगता या निरक्षरता के कारण, विहित रीति से मतदान करने में असमर्थ है, ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी उन्हें ऐसी सहायता देगा जो मतदान के लिये अपेक्षित हो।

41. मतदान का बंद किया जाना :-

(1) मतदान अधिकारी नियम 25 के अधीन इस निमित्त नियत किये गये समय पर मतदान केन्द्र को बंद करेगा और उसके पश्चात् केन्द्र में किसी भी मतदाता को प्रवेश नहीं करने देगा: परन्तु ऐसे सभी मतदाताओं को, मतदान केन्द्र पर जो उसके बंद होने से पूर्व उपस्थित हो, अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि आया कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर उसके बंद होने के पूर्व उपस्थिति था, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

42. मतों की संख्या :- प्रत्येक मतदाता को केवल एक मत देने का हक होगा।

43. चुनौती मत :-

(1) कोई भी मतदान अभिकर्ता, कोई मतदाता-विशेष होने का दावा करने वाले व्यक्ति को अनन्यता को चुनौती ऐसी प्रत्येक चुनौती के लिए पीठासीन अधिकारी को दो रुपये की राशि नगद जमा करवा कर दे सकेगा।

(2) ऐसा निक्षेप कर दिये जाने पर पीठासीन अधिकारी :-

- (क) चेतावनी दिये गये व्यक्ति को प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा ;
- (ख) मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरा-पूरा पढ़ेगा और पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है ;
- (ग) प्ररूप-13 में चुनौती के मतों की सूची में उसके नाम और पते की प्रविष्टि करेगा; और
- (घ) उससे उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की अपेक्षा करेगा।

(3) पीठासीन अधिकारी उसके पश्चात् चुनौती की संक्षिप्त जांच करेगा।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी यह समझे कि चुनौती स्थापित नहीं हुई है तो वह उस चुनौती दिये गये व्यक्ति को मत देने के लिए अनुज्ञात करेगा ; और यदि वह यह समझे कि चुनौती स्थापित हुई है तो वह चुनौती दिये गये व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि चुनौती तुच्छ है या सद्भावना से नहीं दी गई है, तो यह निर्देश देगा कि उप नियम (1) के अधीन सरकार को किया गया निक्षेप समपहत कर लिया जाये और अन्य किसी भी मामलों में वह निक्षेप जांच समाप्त होने पर, चुनौती देने वाले को लौटा देगा।

51. अवचार के लिए मतदान केन्द्र से हटाया जाना :- यदि कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अवचार करता है, या पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कर रहे मतदान अधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे पीठासीन अधिकारी या ऐसे मतदान अधिकारी के आदेश से किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा, या ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा उसे हटाया जाने के लिए लिखित में प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से तुरन्त हटा दिया जायेगा, और ऐसे हटाये गये व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी या ऐसे मतदान अधिकारी की अनुज्ञा के सिवाय, उस दिन के दौरान मतदान केन्द्र में प्रविष्ट होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा; परन्तु इस शक्ति का प्रयोग, किसी भी ऐसे मतदाता को जो किसी भी मतदान केन्द्र पर मत देने का अन्यथा हकदार हो, ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने का अवसर देने से रोकने के लिए नहीं किया जायेगा।

52. आपातस्थिति में मतदान का मुलतवी करना :- राज्य निर्वाचन आयोग, लेखबद्ध किये जाने वाले पर्याप्त कारण से, आपातस्थिति, जैसे लोकशांति में विघ्न, प्राकृतिक विपदा आदि के मामलों में, मतदान के लिए नियत तारीख को मुलतवी कर सकेगा या कालावधि को बढ़ा सकेगा। जहां कोई मतदान इस प्रकार मुलतवी किया जाये तो वहां राज्य निर्वाचन आयोग, यथासाध्य शीघ्रता से मतदान के संचालित करने का प्रयास करेगा।

53. मतदान का स्थगन :-

(1) यदि, किसी भी निर्वाचन में, किसी भी मतदान केन्द्र पर मतदान कराया जाना संभव न हो, या किसी भी मतदान केन्द्र में भी कार्यवाहियां, दंगा, हिंसा, लोकशांति में विघ्न, प्राकृतिक विपदा के कारण अवरुद्ध या बाधित होती हैं तो ऐसे मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, मतदान स्थगित कर सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा जो आयोग को तदनुसार रिपोर्ट करेगा।

(2) जब कभी कोई मतदान मुलतवी किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से यथासाध्य शीघ्र वह तारीख जिसको वह समय जिसके दौरान और वे मतदान केन्द्र, जिनमें मतदान पुनः प्रारम्भ होगा, और अधिसूचित करेगा और ऐसे किसी भी निर्वाचन में डाले गये मतों की गणना तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा नहीं हो जाता है।

55. मतपेटियों या मतदान मशीनों के विनष्ट होने या उन्हें नुकसान पहुंचाये जाने की दशा में नया मतदान:-

(1) यदि किसी निर्वाचन में,-

(क) किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लायी गयी कोई मतपेटी या मतदान मशीन पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्धतया निकाल ली जाती है या घटना वश या साशय विनष्ट हो जाती है, या खो जाती है या ऐसी सीमा तक नुकसान पहुंचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता; या

(ख) किसी मतदान मशीन में मत रिकार्ड करने या मतगणना करने के दौरान कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है; या

(ग) किसी मतदान केन्द्र पर प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह संभाव्य है कि मतदान दूषित हो जाये; या

(घ) किसी मतदान केन्द्र पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता

हो, तो रिटर्निंग अधिकारी उस मामले की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को तुरन्त करेगा।

- (2) तत्पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग समस्त तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, या तो—
- (क) उस मतदान केन्द्र में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र में नया मतदान कराने के लिए दिन और समय नियत करेगा और इस प्रकार नियत दिन और इस प्रकार नियत समय को ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा, जो वह ठीक समझे, या
- (ख) यदि यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र पर किसी नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा या कि मतदान मशीन को यांत्रिक विफलता या प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्त्विक नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को उस निर्वाचन के आगे के संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निर्देश जारी करेगा जो वह समुचित समझे।
- (3) जहां उप-नियम (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को कोई रिपोर्ट भेजी गयी है वहां रिटर्निंग अधिकारी मतों की गणना तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब तक कि वह राज्य निर्वाचन आयोग से ऐसा करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर लेता है।
- (4) जहां मतपेटियां उपयोग में लायी जाती हैं वहां नियम 25 से 51 तक के उपबंध नये मतदान के संचालन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूलतः अनुसूचित मतदान के संबंध में लागू होते हैं।
- (5) जहां मतदान मशीन उपयोग में ली जाती है वहां नियम 25 से 29 तक, 30 क, 31 क, 32 क, 32 ख, 33, 34 क, 35 क, 36, 37 क, 37 ख, 38 क, 39, 40 क, 41, 42, 43, 44 क, 45 क, 46 क, 47 क, 48 क, 49 क, 50 क और 51 के उपबंध नये मतदान के संचालन के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूलतः अनुसूचित मतदान के संबंध में लागू होते हैं।
- (6) जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि किसी मतदान केन्द्र पर, जहां मतदान मशीन का उपयोग किया जा रहा है, बूथ पर कब्जा किया जा रहा है वहां वह मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त बंद कर देगा कि कोई और मत रिकार्ड नहीं किये जायें और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।
- स्पष्टीकरण:—** नियम 55 के उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए “बूथ के बलात् ग्रहण” के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई भी क्रियाकलाप है, अर्थात्:—
- (क) किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा, मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;
- (ख) किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा, मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यो को उनके मतदान करने के अधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने से निवारित करना;
- (ग) किसी निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रपीड़ित करना या अभिन्नस्त करना या धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;
- (घ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

56. किसी अभ्यर्थी की मृत्यु पर मतदान का स्थगित किया जाना:-

(1) यदि ऐसे अभ्यर्थी की, जो किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है,-

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख को पूर्वान्ह 11 बजे पश्चात् किसी भी समय मृत्यु हो जाती है और उसका नाम निर्देशन नियम 13 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है; या

(ख) जिसका नाम निर्देशन नियम 13 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है और जिसने नियम 16 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, मृत्यु हो जाती है, और दोनों में से प्रत्येक दशा में, उसकी मृत्यु की रिपोर्ट नियम 21 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के पूर्व किसी भी समय प्राप्त होती है; या

(ग) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्यों के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर, आदेश द्वारा, उस तारीख तक, जो बाद में अधिसूचित की जायेगी, मतदान के स्थगन की घोषणा करेगा और इस तथ्य की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग को भी करेगा, परन्तु किसी मतदान का स्थगन करने वाला कोई आदेश, सभी नामनिर्देशनों की, जिसके अन्तर्गत मृत अभ्यर्थी का नामनिर्देशन है, संवीक्षा के पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में ही किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग उस मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, जिसके अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई है, उक्त मतदान के लिए ऐसे राजनैतिक दल को ऐसे सूचना जारी किये जाने के पांच दिन के भीतर-भीतर किसी अन्य अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट करने की अपेक्षा करेगा और नियम 10 से 16 तक और 20 से 22 तक के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे नामनिर्देशन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार के अन्य नामनिर्देशनों के संबंध में लागू होते हैं ;

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने मतदान के स्थगन से पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना नियम 16 के अधीन दे दी है, ऐसा स्थगन किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन किये जाने के लिए, अपात्र नहीं होगा।

(3) जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कोई सूची उप-नियम (1) के अधीन मतदान के स्थगन के पूर्व नियम 21 के अधीन प्रकाशित की गई थी, वहां रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की एक नई सूची उस नियम के अधीन पुनः तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा जिससे कि उस अभ्यर्थी का नाम, जिसे उप-नियम (2) के अधीन विधिमान्य रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है, सम्मिलित किया जा सके।

स्पष्टीकरण:- “मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल” से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत हैं।

61. मतों की गोपनीयता बनाये रखना:- प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या ऐसा अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचन के मतों के अभिलेखन या गणना से सम्बन्धित किसी भी कर्तव्य का पालना करता है, वह मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा और बनाये रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति को संसूचित नहीं करेगा।

77. निर्वाचन नामावली में मुद्रण और लिपिकीय गलती:-यदि इन नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी या किसी पीठासीन अधिकारी के विनिश्चय के लिए यह प्रश्न उद्भूत हो कि निर्वाचन नामावली में की कोई प्रविष्टि किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित है तो रिटर्निंग अधिकारी या, यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उसमें किसी भी लिपिकीय या मुद्रण गलती के होने पर भी, यह विनिश्चय करेगा कि प्रविष्टि उक्त व्यक्ति से सम्बन्धित है या नहीं है।

**राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम 1994,
इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान और गणना संबंधी नियम**

77. क. मतदान मशीनों द्वारा मतदान और गणना- जहां मतदान मशीन उपयोग में ली गयी है वहां मतदान और मतों की गणना, निर्वाचन के कागज पत्रों इत्यादि की अभिरक्षा, निरीक्षण और निस्तारण के संबंध में,-

- (क) नियम 30 से 32 तक, 34, 35, 37, 38, 40, 44 से 50 तक, 54, 62 से 64 तक, 74 और 75 के सिवाय अध्याय 3 के उपबंध जहां तक हो सके यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू हों और मतपत्रों के सम्बन्ध में उन उपबंधों में किसी निर्देश का आदि इस प्रकार लगाया जायेगा मानों उसके अन्तर्गत ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।
- (ख) नियम 30 से 32 तक, 34, 35, 37, 38, 40, 44 से 50 तक, 54, 62 से 64 तक, 74 और 75 के स्थान पर निम्नलिखित तत्स्थानी नियम लागू होंगे, अर्थात्,-

“30 क. मतदान केन्द्र पर इन्तजाम:

- (1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित प्रदर्शित किये जायेंगे-
 - (क) उस मतदान क्षेत्र को जिसके मतदाता मतदान केन्द्र या मत डालने के हकदार हैं विनिर्दिष्ट करने वाले सूचना: और
 - (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की उनके प्रतीकों सहित सूची की एक प्रति।
- (2) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किये जायेंगे, जिनमें मतदाता संप्रेक्षित हुए बिना अपना मत दे सकेंगे।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, निर्वाचक नामावली से सुसंगत भागों की प्रतियां, और ऐसी अन्य वस्तुएं और सामग्री की, जो मतदाताओं द्वारा मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, व्यवस्था करायेगा।
- (4) जहां कोई मतदान केन्द्र पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए हो, वहां पीठासीन अधिकारी निर्देश दे सकेगा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक-पृथक कतारें होंगी और उन्हें मतदान केन्द्र में पृथक-पृथक समूहों में बारी-बारी से प्रवेश करने दिया जायेगा।”

31.क. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का परिकल्प- प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात मतदान मशीन कहा गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसे परिकल्प की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये।

32.क. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना:- नियम 34 क. के उपबंधों के अधधीन रहते हुए रिटर्निंग अधिकारी-

- (क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और उनके चिन्हों को अंतर्विष्ट करने वाला मतपत्र मतदान यूनिट में लगायेगा और उस यूनिट को, अपनी मुद्रा से और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्रांकित करेगा:
- (ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थित करेगा और में के ‘अभ्यर्थी सेट अनुभाग’ को नियंत्रण यूनिट में बंद करेगा और उसे, अपनी मुद्रा से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्रांकित करेगा।

32. ख. मतदान के लिए मतदान मशीन तैयार करना-

- (1) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए पीठासीन अधिकारी पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उस पर, उपस्थित अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर करायेगा, जो उन्हें अंकित करने की इच्छा रखते हों।

- (2) पीठासीन अधिकारी इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील की मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लगायेगा और उसे सुरक्षित रूप में बंद और मुद्रांकित करेगा।
- (3) मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लायी गयी सील ऐसी रीति से लगायी जायेगी कि यूनिट को सील बन्द किये जाने के पश्चात् सील को तोड़े बिना “परिणाम बटन” को दबाना संभव न हो।
- (4) किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट के भीतर और बाहर दोनों तरफ एक ऐसा लेबल लगा हो जिस पर –
 - (क) वार्ड की क्रम संख्या और नगरपालिका का नाम;
 - (ख) मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम;
 - (ग) यूनिट की क्रम संख्या; और
 - (घ) मतदान की तारीख;
 चिह्नित होगा या होगी।
- (5) मतदान प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व पीठासीन अधिकारी, उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह प्रदर्शित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से कोई भी मत दर्ज नहीं किया है और उस पर उप-नियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगे हुए हैं।
- (6) तब नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बन्द किया जायेगा और उस पर सील लगायी जायेगी और इस प्रकार रखा जायेगा कि वह पीठासीन अधिकारी और उपस्थित अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्णरूप से दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जायेगा।

34. क. मतपत्र का प्ररूप—

- (1) प्रत्येक मतपत्र ऐसे प्ररूपमें होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये।
- (2) मतपत्र पर लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम और नोटा (इनमें से कोई नहीं) उसी रीति से दर्शित किये जायेंगे और उसी क्रम में लिखे जायेंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज है।
- (3) मतपत्र पर विशिष्टियां हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगी।
- (4) मतपत्र क्रमानुसार संख्यांकित होंगे।
- (5) नियम 20 के अधीन अभ्यर्थियों तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए आवंटित प्रतीक नोटा (इनमें से कोई नहीं) को, मतपत्र पर अभ्यर्थी नोटा (इनमें से कोई नहीं) के नाम के संपार्श्व में, दर्शित किया जायेगा।
- (6) मतपत्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के लिए आवंटित स्थान एक जैसे आकार का होगा।
- (7) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम हो तो उन्हें, उनकी उपजीविका या निवास स्थान को जोड़कर या किसी अन्य रीति से उनको सुभिन्न किया जायेगा।

35. क. मतदान मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया—

- (1) किसी मतदाता को मत देने की अनुज्ञा देने के पूर्व मतदान अधिकारी—
 - (क) मतदाता का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप14—क में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा;
 - (ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा;
 - (ग) मतदाता का नाम, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतदान करने की अनुज्ञा दी गयी है:
 परन्तु यह कि किसी मतदाता को तब तक मतदान नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किये हों या अंगूठे की छाप नहीं लगायी हो।

- (2) (क) किसी मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात देने से पूर्व पीठासीन अधिकारी मतदाता की बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह लगायेगा।
- परन्तु जहां मतदाता की बायीं तर्जनी पर पहले से ही ऐसा चिन्ह विद्यमान हो वहां यह समझा जायेगा कि उसने निर्वाचन में पहले ही अपना मत डाल दिया है और उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, परन्तु यह और कि किसी मतदाता को मत देने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि वह अपनी बायीं तर्जनी पर अमिट स्याही से चिन्ह नहीं लगाया जाने देगा।
- (ख) इस उप-नियम में, किसी मतदाता की बायीं तर्जनी प्रति किसी निर्देश का उस दशा में जिसमें मतदाता की बायीं तर्जनी नहीं हो ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानों वह उसके बायें हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बायें हाथ की सभी अंगुलियां नहीं हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानों वह उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी अंगुली के प्रति निर्देश है और, जहां कि उसके दोनों हाथों की सभी अंगुलियां नहीं हैं वहां, ऐसे अर्थ लगाया जायेगा मानों वह उसकी बायीं या दायीं भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है।
- (3) किसी भी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या अन्य किसी भी अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में मतदाता के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।

37. क. मतदान की प्रक्रिया और मतदान की गोपनीयता—

- (1) प्रत्येक वह मतदाता जिसे नियम 35—क के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।
- (2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किये जाने पर मतदाता तुरन्त पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भार साधक मतदान अधिकारी के पास जायेगा जो, नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर मतदाता का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा।
- (3) मतदाता उसके पश्चात तत्काल—
- (क) मतदान कोष्ठों में से किसी एक में जायेगा;
- (ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसे वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा या नोटा (उपरोक्त से कोई नहीं) उन मतदाताओं के लिए जो उपरोक्त में से किसी भी अभ्यर्थी को मत देने का आशय नहीं रखते।
- (ग) मतदान कोष्ठ से बाहर आयेगा और मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।
- (4) प्रत्येक मतदाता असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।
- (5) जब मतदान कोष्ठ में कोई मतदाता है तब अन्य किसी मतदाता को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
- (6) यदि कोई मतदाता जिसे नियम 35—क या 44—क के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उप-नियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी इंकार करे तो पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (7) जहां उप-नियम (6) के अधीन किसी मतदाता को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है वहां पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में मतदाता के नाम के सामने प्ररूप 14—क में इस आशय की टिप्पणी लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।

37. ख. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में पीठासीन अधिकारी का प्रवेश करना—

- (1) जब कभी पीठासीन अधिकारी, ऐसा करना आवश्यक समझे तब मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि मतदान यूनिट में किसी प्रकार से गड़बड़ या हस्तक्षेप नहीं किया जाये।
- (2) यदि पीठासीन अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण हो कि कोई मतदाता, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठायेगा जो मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।
- (3) जब कभी पीठासीन अधिकारी मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करे तो अपने साथ जाने देगा।

38. क. दृष्टिहीन शिथिलांग मतदाताओं के मतों को अभिलिखित किया जाना—

- (1) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अंधपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई मतदाता मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीकों को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को अपनी ओर से और अपनी इच्छानुसार मत रिकार्ड करने के लिए, अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा, परन्तु किसी भी व्यक्ति को एक ही दिन किसी भी मतदान केन्द्र में एक से अधिक मतदाताओं के साथी के रूप में कार्य करने की, अनुज्ञा नहीं दी जायेगी, परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी भी दिन किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले, यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह उस मतदाता की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी भी मतदान केन्द्र में किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।
- (2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप12 में अभिलेख रखेगा।

40. क. मतदाता की पहचान— किसी मतदाता को मत देने की अनुज्ञा देने के पूर्व किसी भी समय, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास उस मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में संदेह करने का कारण हो और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर, जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबंधित है।

44. क. निविदत्त मत—

- (1) यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट मतदाता है ऐसे मतदाता के रूप में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिये जाने के पश्चात् मत देना चाहता है तो उसे अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधान प्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन अधिकारी पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने के बजाये एक निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जायेगा जो ऐसी डिजायन का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।
- (2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति किसी निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किये जाने के पहले अपना नाम प्ररूप14 में की सूची में अपने से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा।
- (3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तुरन्त —
 - (क) मतदान कोष्ठ में जायेगा;
 - (ख) उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या के निकट जिसे मत देने का उसका आशय है, उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण या वस्तु से मतपत्र पर क्रास का चिन्ह "X" लगाकर अपना मत अभिलिखित करेगा;

- (ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाये;
- (घ) पीठासीन अधिकारी को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभेदक चिन्ह दिखायेगा;
- (ङ) उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा; और
- (च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जायेगा।

- (4) यदि अंधेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा मतदाता सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी मतदाता को अपनी इच्छानुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्ही शर्तों के अधीन रहते हुए नियम 38 क में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात्, उसे अपने साथ एक साथी को ले जाने की अनुज्ञा देगा।

46 क. निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों द्वारा मतदान :

- (1) कोई पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो उसी वार्ड में जिसका वह मतदाता है और ऐसे किसी मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर है, जिसमें वह मतदान करने का हकदार नहीं है तो रिटर्निंग अधिकारी को, उसी मतदान केन्द्र में, जिसमें वह ड्यूटी पर है, मत देने के लिए अनुज्ञात किये जाने हेतु प्ररूप 15 में आवेदन कर सकेगा। यदि ऐसे आवेदन पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप 16 में यह प्रमाणित करे कि आवेदक ऐसे वार्ड के लिए, जिसके संबंध में उसे लगाया गया है, निर्वाचन में मत देने का हकदार है, उसे अपना मत उस मतदान केन्द्र पर अभिलिखित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा:
परन्तु रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उस मतदाता के नाम के सामने, जिसे प्ररूप 16 में प्रमाण-पत्र दिया गया है, " नि. ड्यूटी प्र. " यह उपदर्शित करने के लिए लिखेगा कि उसे निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है, और यह सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता को उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाये।
- (2) ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पीठासीन अधिकारी ,
(क) उस पर, इसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा ;
(ख) उस प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित मतदान केन्द्र के नाम के साथ-साथ उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचन नामावली संख्यांक और भाग संख्या निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अन्त में अंकित करेगा;
(ग) उसे अपना मत, उसी रीति से जो उस मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार किसी मतदाता के लिए है, डालने के लिए अनुज्ञात करेगा।
- (3) उप-नियम (2) के अधीन मत अभिलिखित करने के पश्चात्, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा एक लिफाफे में रखा और सील बंद किया जायेगा।
- (4) कोई पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी नगरपालिका के किसी वार्ड में निर्वाचन ड्यूटी पर है किन्तु जो भिन्न वार्ड या नगरपालिका का मतदाता है, किसी भी नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है, वह उस नगरपालिका के, जिसका वह मतदाता है, रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 15-क में ऐसे आवेदन कर सकेगा कि वह, मतदान की तारीख के कम से कम 4 दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से, जैसी रिटर्निंग अधिकारी अनुज्ञात करे, पूर्व रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंच जाये और यदि उस रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक, अन्य वार्ड या नगरपालिका में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाता है तो वह मतदाता को –
(क) प्ररूप 16 क में एक घोषणा ;
(ख) प्ररूप 16 ख में एक लिफाफा ;
(ग) प्ररूप 16 ग में एक बड़ा लिफाफा ; और
(घ) प्ररूप 16 घ में मतदाता के लिए अनुदेश,

एक डाक-मतपत्र जारी करेगा :
परन्तु रिटर्निंग अधिकारी उसी समय —

- (क) डाक मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का वह निर्वाचक नामावली संख्यांक अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में प्रविष्टि है;
 - (ख) निर्वाचक नामवाली की चिन्हित प्रति में मतदाता का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिन्हित करेगा कि उस डाक मतपत्र दिया गया है, तथापि वह उस निर्वाचक का दिये गये मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा; और
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह मतदाता मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाये, परन्तु यह और कि प्रत्येक डाक मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और डाक मतपत्र तथा प्रतिपर्ण ऐसी डिजाईन में होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे।
- (5) रिटर्निंग अधिकारी, मतदाताओं को दिये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्ण एक पृथक पैकेट में सील बंद करेगा।
- (6) (क) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता, प्ररूप 16 घ में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार डाक मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा और उसे प्ररूप 16 ख वाले लिफाफे में बंद करेगा;
- (ख) मतदाता, प्ररूप 16 क में घोषणा पर किसी भी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के जिस पर वह ड्यूटी पर तैनात है, पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करायेगा;
- (ग) मतदाता अपना मत अभिलिखित करने और प्ररूप 16 क में घोषणा करने के पश्चात् वह डाक मतपत्र और घोषणा रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 16 घ में अन्तर्विष्ट निर्देशों के अनुसार ऐसे लौटा देगा कि वे रिटर्निंग अधिकारी के पास मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत समय से पूर्व पहुँच जाये।
- (7) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्र द्वारा मतदान के सम्बन्ध में, इस नियम के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, ऐसी प्रक्रिया अंगीकृत की जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

47. क. मतदान के बंद होने के पश्चात् मतदान मशीन का मुहरबंद किया जाना :-

- (1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन नहीं किया जा सकें, नियंत्रण यूनिट को बंद कर देगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा।
- (2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् मुद्रा बंद करेगा और ऐसी रीति के पृथकतः सुरक्षित करेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे और उन्हें सुरक्षित करने लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगायी जायेगी कि बिना मुद्राओं को तोड़े यूनिटों को खोलना सम्भव नहीं होगा।
- (3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता या अभ्यर्थी जो भी अपनी मुद्रा लगाने की वांछा करते हों, ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किये जायेंगे।

48 क. मतदान सामग्री और अन्य कागज-पत्रों का मुहरबंद किया जाना :- प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी, मतदान के बंद हो जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, किसी ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता, या मतदान अभिकर्ता, जो उपस्थित हो, की उपस्थिति में निम्नलिखित के पृथक-पृथक पैकेट बनायेगा और अपनी मुद्रा और ऐसे अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उन पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रांकित करेगा :-

- (क) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के;
- (ख) निविदत्त मतपत्रों के;
- (ग) निविदत्त मतों की सूची के;
- (घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची के;
- (ङ.) ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो निर्वाचन ड्यूटी पर हो, प्रस्तुत किये गये प्ररूप 16 में प्रमाण-पत्र के;
- (च) प्ररूप 14-क में मतदाता रजिस्टर के;

- (छ) ऐसे किन्हीं अन्य कागजपत्रों के जिनकी बावत् राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वे मुद्राबंद पैकेट में रखे जायें, पीठासीन अधिकारी सभी पैकेटों को मुद्राबंद करने के पश्चात् प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तु का वर्णन पृष्ठांकित करेगा।

49. क. अभिलिखित मतों का लेखा :-

- (1) पीठासीन अधिकारी, मतदान के बंद होने पर प्ररूप 14-ग में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा।
- (2) पीठासीन अधिकारी, अभिलिखित मतों का लेखा एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उस पर शब्द "अभिलिखित मतों का लेखा" पृष्ठांकित करेगा।

50 क. मतदान मशीन आदि का रिटर्निंग अधिकारी का पारेषण :-

- (1) जब पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी को —
 - (i) मतदान मशीन,
 - (ii) प्ररूप 14-ग में अभिलिखित मतों का लेखा,
 - (iii) नियम 48-क के अधीन मुहरबंद पैकेट, और
 - (iv) मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य कागज-पत्र,
 ऐसे स्थान पर जैसा रिटर्निंग अधिकारी निर्दिष्ट कर पारेषित करेगा या करायेगा।
- (2) रिटर्निंग अधिकारी, तब मतदान मशीनों, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और हुए मतों की गणना होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करेगा।

54 क. मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया :-

- (1) यदि किसी मतदान केन्द्र में मतदान नियम 53 के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 47क, 48क, 49क और 50 क के उपबंध यथासाध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान नियम 25 के अधीन उस निमित्त नियत समय पर बंद हुआ।
- (2) जब कोई स्थगित मतदान, नियम 53 के उप-नियम (2) के अधीन पुनः प्रारम्भ हुआ है तब उन मतदाताओं को, जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दे दिया था, पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, को जिसमें ऐसा स्थगित मतदान होता है, वह मुहरबंद पैकेट जिसमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति अन्तर्विष्ट है, प्ररूप 14-क में मतदाता रजिस्टर और एक नयी मतदान मशीन, उपलब्ध करायेगा।
- (4) पीठासीन अधिकारी, ऐसे अभ्यर्थियों, या निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबंद पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का उपयोग उन मतदाताओं के, जिन्हें स्थगित मतदान में मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, नाम चिन्हित करने के लिए करेगा।
- (5) नियम 25 से 29 तक, 30 क, 31क, 32क, 32ख, 33, 34क, 35क, 36, 37क, 37ख, 38क, 39, 40क, 41, 42, 43, 44क, 45क, 46क, 47क, 48क, 49क, 50क और 51 के उपबंध किसी स्थगित मतदान के संचालन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे स्थगन से पूर्व किये जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे।

62 क. मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण :-

- (1) रिटर्निंग अधिकारी, एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लायी गई मतदान मशीनों की नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित किये गये मतों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा।
- (2) इससे पहले कि किसी मतदान मशीन की किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित किये गये मतों की उप-नियम (1) के अधीन गणना की जाती है अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणन अभिकर्ता को, जो गणना पटल पर उपस्थित है उस पेपर सील या ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं का जो यूनिट पर लगी हो, निरीक्षण करने की और अपना यह समाधान करने की अनुज्ञा दी जायेगी कि मुद्रा अविकल है।
- (3) रिटर्निंग अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गयी है।
- (4) यदि रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि किसी भी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा

और उस मतदान केन्द्र के संबंध में, जहां उस मशीन का उपयोग किया गया था, नियम 55 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

63 क. मतों की गणना :-

- (1) रिटर्निंग अधिकारी का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गयी है, तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे “परिणाम” बटन को चिन्हित उपयुक्त बटन को दबाकर उसे अभिलिखित किये गये मतों की गणना करायेगा जिसके द्वारा उस यूनिट में इस प्रयोजनों के लिए लगे हुए प्रदर्शन पैनल पर, मतांकित प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये मत प्रदर्शित होंगे।
- (2) जैसे भी नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को किये गये मत प्रदर्शित किये जाते हैं, रिटर्निंग अधिकारी—
 - (क) प्ररूप 14 ग के भाग-II में प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) के संबंध में ऐसे मतों की संख्या, पृथक-पृथक अभिलिखित करायेगा;
 - (ख) प्ररूप 14 ग के भाग-II अन्य संबंध में पूर्ण करवायेगा और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर करायेगा।
 - (ग) परिणाम-पत्र प्ररूप 21 में तत्स्थानी प्रविष्टि करायेगा और परिणाम-पत्र में इस प्रकार दर्ज विशिष्टियों की घोषणा करायेगा।
- (3) निविदत्त मतपत्रों वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जायेगा और ऐसे किसी भी मत की गणना नहीं की जायेगी।

63. ख. मतों की गणना के पश्चात् मतदान मशीनों का मुद्राबन्द किया जाना—

- (1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित किये गये मतों का परिणाम अभ्यर्थीवार अभिनिश्चित करने और नियम 63 क के अधीन प्ररूप 14 ग के भाग और प्ररूप 21 में दर्ज करने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो इस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें, मुद्रा से उस यूनिट को मुद्राबंद करेगा ताकि उस यूनिट की अभिलिखित मतदान परिणाम मिटाया नहीं जा सके और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति प्रतिधारित कर सके।
- (2) इस प्रकार मुद्राबन्द की गयी नियंत्रण यूनिट विशेष रूप से तैयार किये गये बक्सों में रखी जायेंगी जिस पर रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात्:—
 - (क) वार्ड संख्या सहित नगरपालिका का नाम;
 - (ख) उस मतदान केन्द्र की विशिष्टियां जहां नियंत्रण यूनिट को उपयोग में लाया गया;
 - (ग) नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्यांक;
 - (घ) मतदान की तारीख; और
 - (ङ) गणना की तारीख।

64. क. डाक मतपत्रों की गणना उनको प्रतिक्षेपित किया जाना—

- (1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिये गये साधारण या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए नियम 61 के उपबंध नियम 46 क के, उप-नियम (4) में निर्दिष्ट डाक मतपत्रों को प्रतिक्षेपित किये जाने के संबंध में लागू होंगे, परन्तु डाक मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जायेगा यदि उसमें मत प्ररूप 16 घ में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुसार अभिलिखित नहीं किया गया है।
- (2) रिटर्निंग अधिकारी डाक द्वारा प्राप्त मतों, यदि कोई हो, की गणना का परिणाम प्ररूप 21 परिणाम-पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे घोषित करेगा।

76. क. निर्वाचन कागज-पत्रों का पेश किया जाना और निरीक्षण—

- (1) जब—
 - (क) अप्रयुक्त मतपत्रों के, उनसे संलग्न प्रतिपणों के साथ पैकेट;
 - (ख) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हो, प्रतिक्षेपित या रद्द किये हुए हों और उनके प्रतिपणों के पैकेट;
 - (ग) प्रयुक्त या अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट;

- (घ) निर्वाचक नामवली की चिन्हित प्रति के पैकेट;
- (ङ) प्ररूप14-क में मतदाता रजिस्टर वाले पैकेट; और
- (च) निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट,

रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में हो तब वे किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना न तो खोले जायेंगे, न उनका निरीक्षण किया जायेगा या न उन्हें पेश किया जायेगा।

- (2) नियम 63 ख के अधीन मुद्राबंद की गयी और रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी नियंत्रण यूनिटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के सिवाय खोला, निरीक्षित या पेश नहीं किया जायेगा।
- (3) ऐसी शर्तों और ऐसी फीस के संदाय के अध्याधीन रहते हुए जैसी राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज-पत्र लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनकी प्रतियां आवेदन करने पर दी जायेंगी।

75. क. निर्वाचन कागज-पत्रों का व्ययन- निर्वाचन आयोग द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इसके प्रतिकूल दिये गये किसी निर्देश के अध्याधीन रहते हुए,-

- (क) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों और निविदत्त मतपत्रों के पैकेटों को छह मास की कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जायेंगे और तत्पश्चात् ऐसी रीति से, नष्ट कर दिये जायेंगे जैसी राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे;
- (ख) नियम 74 के के उप-नियम (2) के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी मतदान मशीनें, ऐसी कालावधि के लिए अविकल रूप से प्रतिधृत रखी जायेंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे;
- (ग) नियम 74 क के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट से भिन्न अन्य पैकेट एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जायेंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिये जायेंगे; परन्तु उन पैकेटों को, जिनमें प्रयुक्त डाक मतपत्रों के प्रतिपण हों, राज्य निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नष्ट नहीं किया जायेगा;
- (घ) निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य कागज-पत्र ऐसी कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जायेंगे जैसी राज्य निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

प्ररूप – 9
{नियम – 26 (3) देखिये}
मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

नगरपालिका

वार्ड संख्या के लिए निर्वाचन

मैं, अभ्यर्थी/..... का
निर्वाचन अभिकर्ता, जो उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी है, श्री/श्रीमती
(नाम और पूर्ण पता) को मतदान के दिन मतदान केन्द्र मतदान केन्द्र सं. पर मतदान
अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होने के लिए इसके द्वारा नियुक्त करता हूँ।

तारीख/...../.....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

तारीख/...../.....

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मतदान अभिकर्ता की घोषणा
(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जावे)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता को बनाये रखूंगा और बनाये
रखने में सहायता करूंगा और किसी भी व्यक्ति को (किसी भी विधि के द्वारा/या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के
सिवाय) ऐसी कोई भी सूचना नहीं दूंगा, जो ऐसी गोपनीयता के भंग की श्रेणी में आये।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये।

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख/...../.....

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र पर पेश करने के लिए मतदान अभिकर्ता को सौंपे जाने के लिए।

प्ररूप – 10

{नियम – 26(5) देखिये}

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

नगरपालिका

वार्ड संख्या के लिए निर्वाचन

प्रेषित:

पीठासीन अधिकारी,

मतदान केन्द्र सं.....

मतदान केन्द्र का नाम.....

महोदय

मैं..... उपर्युक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी/उपर्युक्त निर्वाचन के अभ्यर्थी श्री/श्रीमती

.....का निर्वाचन अभिकर्ता श्री/श्रीमतीमतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का इसके द्वारा

प्रतिसंहरण करता हूँ।

तारीख

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप – 13
(नियम – 43 एवं 78 देखिये)
चुनौती मतों की सूची (Challenged Vote)

नगरपालिका

वार्ड संख्या के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम

क्र. सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक की क्रम संख्या व भाग संख्या	चुनौती दिये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर व अंगूठे की छाप	चुनौती दिये गये व्यक्ति का पता	पहचानने वाले का, यदि कोई नाम हो	चुनौती देने वाले का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	जमा की प्रतिदाय प्राप्त होने पर चुनौती लेने वाले के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1

2

3

4

5

इत्यादि

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-14 क
(नियम – 35 क एवं 78 देखिये)
मतदाताओं का रजिस्टर

..... नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए सदस्य वार्ड संख्यासे निर्वाचन
मतदान केन्द्र की संख्या और नामनिर्वाचक
नामावली का भाग संख्या

क्र.सं.	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्र.सं.	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4

पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर

प्ररूप – 14 ख
(नियम –44 क एवं 78 देखिये)
निविदत्त मतों (Tender Votes) की सूची

..... नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए सदस्य वार्ड संख्यासे निर्वाचन मतदान
केन्द्र की संख्या और नाम

निर्वाचक नामावली का भाग संख्या

क्र.सं.	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचककी क्रम संख्या	मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-14क) में उस व्यक्ति की क्र.सं. जिसने निर्वाचक के स्थान पर पहले से ही मतदान कर दिया है।	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

तारीख

पीठासीन अधिकारी के
हस्ताक्षर

प्ररूप – 14 ग
(नियम –49ग और 63क(2)देखिये)
भाग-1 रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

..... नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए वार्ड संख्या से निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम

निर्वाचक नामावली का भाग संख्या

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्याक

नियंत्रण यूनिट.....

मतदान यूनिट.....

- 1 मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
- 2 मतदाता रजिस्टर (प्ररूप-14क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
- 3 नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या
- 4 नियम 35क या 37क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या
- 5 मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या
- 6 क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।
- 7 उन मतदाताओं की संख्या जिनकों नियम 44क के अधीन निविदत मतपत्र जारी किये गये
- 8 निविदत मतपत्रों की संख्या

क्रम संख्या से तक

(क) उपयोग के लिए प्राप्त

(ख) निर्वाचकों को जारी किये गये.....

(ग) प्रयुक्त न किये गये और वापस लिये गये.....

- 9 पेपर सीलों का लेखा क्रम संख्या से तक

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

- 1 प्रदाय की गई पेपर सीलों के क्रम संख्यांक से तक
- 2 प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या
- 3 प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या
- 4 रिटर्निंग अधिकारी को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइए)
- 5 नष्ट हुई पेपर सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है।

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

तारीख

स्थान

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
मतदान केन्द्र संख्या

भाग – 2 मतगणना का परिणाम

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
नोटा (इनमें से कोई नहीं)		
योग		
क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग-1 की मद संख्या-5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।		

स्थान

तारीख

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

पूर्ण हस्ताक्षर

1

2

3

4

5

6

7

8

.....
.....

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

(नियम 46 देखिए)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

नगरपालिका वार्ड सं. के लिये निर्वाचन

प्रेषिति,

रिटर्निंग अधिकारी,

वार्ड संख्या

महोदय,

मैं ऊपर वर्णित वार्ड के लिये होने वाले निर्वाचन में अपना मत व्यक्तिशः देना चाहता हूँ। मेरा नाम ऊपरवर्णित वार्ड की नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

मैं वार्ड संख्यांक के मतदान केन्द्र संख्यांक मतदान केन्द्र का नाम पर निर्वाचन ड्यूटी पर पदस्थापित किया गया है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्ररूप-16 में एक निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र उस मतदान केन्द्र से जहाँ मतदान के दिन ड्यूटी पर रहूँगा, मत देने के लिए दिया जाये। यह प्रमाण-पत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाये:-

पता

तारीख

भवदीय

()

प्ररूप – 15 क
(नियम – 46 क(4) और 78 देखिये)
डाक मतपत्र के लिए आवेदन

प्रेषिति,

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम
.....
(वार्ड संख्या)

महोदय,

मैं नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम
..... के लिए वार्ड संख्या से/अध्यक्षीय पद के लिए होने वाले आगामी निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा
देना चाहता हूँ।

मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली के भाग संख्या में
क्रम संख्या पर प्रविष्ट है।

मुझे उपरिवर्णित नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद/निगम में वार्ड संख्या के
मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम
..... पर निर्वाचन झूटी पर पदस्थापित किया गया है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे डाक मतपत्र व्यक्तिशः दे दिया जाये/निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाये।

.....
.....
.....

स्थान

तारीख

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप — 16

(नियम 46 देखिए)

निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण-पत्र

नगरपालिका वार्ड सं. के लिये निर्वाचन

प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती वार्ड सं. में निर्वाचक है। उनका नाम निर्वाचन नामावली के भाग
संख्यांक में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है,

कि उनके निर्वाचन ड्यूटी पर होने के कारण वे उस मतदान केन्द्र में, जहां वे मत देने के हकदार
हैं, मत देने में असमर्थ हैं और इसलिए उन्हें:-

मतदान केन्द्र संख्यांक मतदान केन्द्र का नाम में जहां
मतदान की तारीख को वे ड्यूटी पर हैं, मत देने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान

एवं मुहर

प्ररूप – 16 क
(नियम – 46 क(4)(क) एवं 78 देखिये)
निर्वाचक द्वारा घोषणा

..... नगरपालिक बोर्ड/नगरपरिषद/नगरनिगम* के लिए
निर्वाचन

मैं, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं वह मतदाता हूँ जिसको उपरिवर्णित नगरपालिक
बोर्ड/नगरपरिषद/नगरनिगम के वार्ड संख्या से/*अध्यक्ष के पद/स्थान के निर्वाचन में क्रम
संख्या वाला डाक मतपत्र जारी किया गया है।

तारीख / /

पता

.....

मतदाता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

उपरिवर्णित पर, (मतदाता) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ/या
जिसकी (पहचानने वाला) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूँ, ने मेरे समाधानप्रद रूप में
पहचान की है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर

पता

.....

पदनाम

पता

तारीख

*जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप – 16 ख
(नियम – 46क(4)(ख) एवं 78 देखिये)
(लिफाफा – क)

क

गणना के पूर्व न खोला जाए

.....नगरपालिका के वार्ड संख्या.....से.....*अध्यक्ष पद/स्थान
के लिए निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्यांक

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप – 16 ग
(नियम – 46क(4)(ग) और 78 देखिये)
(लिफाफा – ख)

ख

(प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जिसकी देखरेख में या जिसके माध्यम से डाक मतपत्र भेजा जाता है,
प्रेषिती को उसका अविलम्ब परिदान सुनिश्चित करेगा)

निर्वाचन – तुरन्त

डाक मतपत्र

.....नगरपालिका के वार्ड संख्या*से @अध्यक्ष के पद/स्थान के लिए
(गणना से पूर्व नहीं खोला जाए)

प्रेषित –

****रिटर्निंग अधिकारी**

.....

.....

प्रेषक के हस्ताक्षर

- @ जो शब्द लागू न होते हों उन्हें काट दीजिए।
- * रिटर्निंग अधिकारी को यहाँ पर समुचित वार्ड संख्यांक का नाम/और नगरपालिक निकाय का नाम अंतर्लिखित करना है।
- ** रिटर्निंग अधिकारी को यहाँ पर अपना डाक का पूरा पता उल्लेखित करना है।

प्ररूप – 16 घ
(नियम – 46क(4)(घ) और 78 देखिये)
निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(किसी नगरपालिका के किसी वार्ड से * अध्यक्ष के पद के लिये/स्थान से निर्वाचन में उपयोग में लिये जाने के लिए)

.....* नगरपालिक बोर्ड/नगरपरिषद/निगम के लिए निर्वाचन

इसके साथ भेजे गये डाक मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं, आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं, उसके नाम या यदि आप इस प्रतिस्पर्धा में किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देने के लिये विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं तो नोटा (इनमें से कोई नहीं) के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाकर अपना मत रिकॉर्ड करें। चिह्न इस प्रकार लगाया जाये कि जिससे स्पष्टतः और किसी संदेह से परे यह उपदर्शित हो जाये कि किस अभ्यर्थी को आप अपना मत दे रहे हैं। यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह संदेह होता है कि आपने किस अभ्यर्थी को अपना मत दिया है, तो आपका मत अविधिमान्य हो जायेगा।

निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है। कृपया याद रखें कि आपका केवल एक मत है। तदनुसार आपको, एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका मतपत्र नामंजूर कर दिया जायेगा।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के लिए अपेक्षित चिह्न से अन्यथा अपने हस्ताक्षर न करें या कोई भी शब्द न लिखें या कोई भी चिह्न, संकेत या लेख, जो भी हो अंकित न करें।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात्, मतपत्र को इसके साथ भेजे गये “क” चिह्नित छोटे लिफाफे में रखे, लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुरक्षित कर दें। तब आप प्ररूप 16क में की घोषणा पर, जो भी इसके साथ भेजी गई है, किसी राजपत्रित अधिकारी या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी, जिसमें आप निर्वाचन-कर्तव्यरूढ़ है, की उपस्थिति में हस्ताक्षर करें और ऐसे अधिकारी से अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन करायें।

आप घोषणा को उपरिवर्णित अधिकारी के पास ले जायें और आपकी पहचान के बारे में उसके द्वारा अपना समाधान कर लिये जाने के पश्चात् उसकी उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर करें। यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा। आपको अपना डाक मतपत्र अनुप्रमाणकर्ता अधिकारी को न तो दिखाना है और न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किस प्रकार मतदान किया है।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित कर दिये जाने के पश्चात् प्ररूप 16-क में घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाला “क” चिह्नित छोटा लिफाफा, “ख” चिह्नित बड़े लिफाफे में रखे/बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा या व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को भेज दे। “ख” चिह्नित लिफाफे पर उपलब्ध कराये गये स्थान में आपको पूरे हस्ताक्षर करने होंगे।

आपको आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास/...../..... को बजे से पूर्व पहुँच जाये।

कृपया यह ध्यान रखें कि—

- i. यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो, आपका मतपत्र नामंजूर कर दिया जायेगा, और
- ii. यदि लिफाफा रिटर्निंग अधिकारी के पास/...../.....को
..... *बजे के पश्चात् पहुँचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जायेगी।

* (यहाँ मतगणना के प्रारम्भ के लिए नियत तारीख और समय विनिर्दिष्ट कीजिए)।

* जो शब्द लागू न हो, उनको काट दें।

Annexure-4
RECEIPT FORM POLLING ARTICLES NO. (1)
WHERE EVMs ARE USED
(To be retained by Presiding Officer)

(At the time of Issue)

1. Name of Municipality
2. Ward No.
3. No. and Name of Polling Station
Polling Party No.
4. Name and Designation of Presiding Officer

Articles to be supplied per polling station

1. Stamp Pad (purple)	-	-	-	-	2
2. Stamp Pad ink purple	-	-	-	-	1/2 oz Phial
3. Presiding Officer's Brass Seals	-	-	-	-	1
4. Arrow Cross Mark Rubber Seals	-	-	-	-	5
5. Manual of Electronic Voting Machine	-	-	-	-	1
6. Printed Badge for Presiding Officer	-	-	-	-	1
7. Printed Badges for Polling Officers	-	-	-	-	4
8. Printed Badges for Polling Agents	-	-	-	-	10
9. Cloth Screen or Singe Card Board Voting Compartment	-	-	-	-	Card Board Compartments 3 with drawing pins or coth Screen 1 (with 2 compartments)
10. Pla- Card 'Exit'	-	-	-	-	1
11. Pla-Card 'Entrance'	-	-	-	-	1
12. Empty Cigarette Tin or Earthen Pot	-	-	-	-	1
13. Iron Nails (Big)	-	-	-	-	6
14. Iron Nails (Small)	-	-	-	-	5
15. Moonj Rope	-	-	-	-	15 Metre
16. Cloth piece or rag	-	-	-	-	1
17. Indelible Ink Phial of 10 cc	-	-	-	-	1 (one each)
18. Pink Paper Seals	-	-	-	-	4
19. STRIP SEALS	-	-	-	-	3
20. Rubber Seal for distinguishing mark	-	-	-	-	1
21. Special Tag	-	-	-	-	3
22. Dummy Ballot Sheat	-	-	-	-	1
23. Craf Wrapping Paper (17"x27") or unbleached sheet or polythin bags	-	-	-	-	3
24. Alpins	-	-	-	-	10
25. Candle Sticks	-	-	-	-	3
26. Sealing Wax Stick	-	-	-	-	3
27. Twine for EVM	-	-	-	-	2 Metres
28. Country Twin or Sutli	-	-	-	-	12 Metres
29. Flexible wire	-	-	-	-	1 Metres
30. Electronic Voting Machine	-	-	-	-	
(a) Control Unit	-	-	-	-	1
(b) Ballot Unit	-	-	-	-	As per requirement
31. Gloy Bottle	-	-	-	-	1/2 oz
32. Unbleached or White Paper (17"x27")	-	-	-	-	2 Sheets
33. Carbon Paper (17"x27")	-	-	-	-	2 Sheets

Out right payment at discretion of the Collector (D.E.O.) has been fixed for the following articles:-

1. Ball Pen, 2. Balde, 3. Match Box, 4. Lota, 5. Bucket, 7. Lock and 8. Bamboos.

Signature of Issuing Officer

Office of the District Municipal Election Officer
..... (District)

Signature of Presiding Officer

Party No.

RECEIPT FORM
WHERE EVMs ARE USED
Forms and Envelopes

NO. (2)

(At the time of Issue)
Officer)

(To be Retained by Presiding

1. Name of Municipality
2. Ward No.
3. No. and Name of Polling Station
4. Polling Party No.
5. Name and Designation of Presiding Officer

Forms etc.

Quantity

1. Ballot Papers (for Tendered votes)			20
2. Working Copies of E. Rolls	-	-	3
3. Form of declaration by Presiding Officer before commencement, during poll and after close of Poll	-	1	1
4. Form 13-List of Challenged Votes	-	-	1
5. Form 12-List of Blind and Infirm Voters	-	-	1
6. Form 14B-List of Tendered Votes	-	-	1
7. Form 14C-Account of votes recorded and Paper Seal Account	-	1	1
8. Form-Presiding Officer's Diary	-	-	1
9. Form-Declaration by companion of blind and Infirm Voters	-	-	5
10. Receipt Book of Challenged fee (containing 5 leaves each)	-	-	1
11. Address Tags for Control Unit	-	-	5
12. Address Tags for Ballot Unit	-	-	4-4
13. Card Board Piece for EVM	-	-	4
14. Notice of Polling area under rule 30A (1) (a) alongwith hours of poll and closure	-	-	1
15. Notice of contesting candidates under rule 30A (1) (b)	-	-	1
16. List of Polling Station (relevant Portion)	-	-	1
17. List of contesting candidates with specimen signatures	-	-	1
18. List of election agents with specimen signatures	-	-	1
19. Printed Form-Depositing Articles at Counter No. 1	-	-	1
20. Printed Form-Depositing Articles at Counter No. 2	-	-	1
21. Printed Form-Depositing Articles at Counter No. 3	-	-	1
22. Form for declaration by elector about his age	-	-	5
23. Form of List of voters from whom declaration as to their age obtained	-	-	1
24. Form 9-Appointment of Polling Agents	-	-	10
25. Statistics Information	-	-	1
26. Register of Voters	-	-	Depending upon No. of electors
27. Voters Slips	-	-	Depending upon No. of electors

Envelops

ENV. No.

Quantity

1. Marked copy of Electoral Rolls	E-1	1
2. Register of Voters	E-2	1
3. Voters Slips (Used)	E-3	1
4. Unused Tendered Ballot Papers	E-4	1
5. Used Tendered Ballot Papers	E-5	1
6. List of Tendered Votes in Form 14-B	E-6	1
7. List of Challenged Votes (Form-13)	E-7	1
8. Election duty certificate (Form-16)	E-8A	1
9. Account of votes recorded and Paper Seal Account (Form-14C)	E-9	1
10. Form of declaration by the Presiding Officer before commencement, during poll and after close of poll	E-10	1
11. Presiding Officer's Dairy	E-11	1

12.	Statistical Information	E-12	1
13.	Unused voters slips	E-13	1
14.	Envelop containing :-		
(i)	Declaration by Companion of Blind and Infirm Voters	E-14	1
(ii)	List of Blind and Infirm Voters (form-12)		
(iii)	Unused Address Tags		
(iv)	Form Appointment of Polling Agents		
(v)	Copies of R.Rolls (Other than marked copy)		
(vi)	Declaration of voters about age and their list		
(vii)	Challenge fee receipt book		
(viii)	Unused and damaged paper seals		

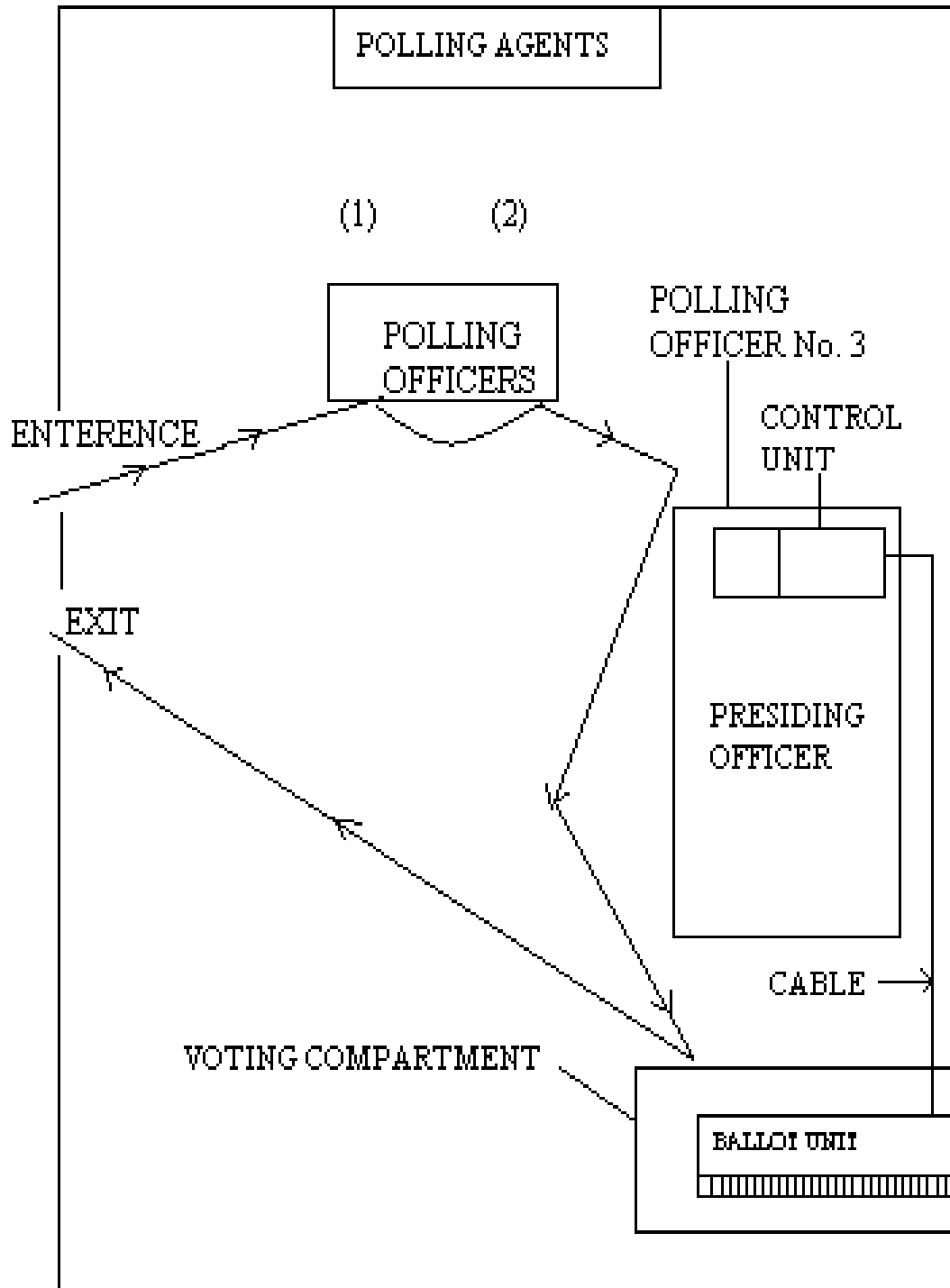
Signature of Issuing Officer

Office of the District Municipal Election Officer
..... (District)

Signature of Presiding Officer

Party
..... No.

ANNEXURE - 5
[See Part - 3 Para 5]
LAY OUT OF POLLING STATION
(1 Presiding Officer + 3 Polling Officers)



परिशिष्ट-6

पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरम्भ से पूर्व, मतदान के दौरान एवं मतदान के अन्त में की गई घोषणाएँ

(केवल उन मतदान केन्द्रों पर उपयोग के लिए जहाँ मतदान मशीन उपयोग में लाई जा रही है)

नगरपालिका का नाम वार्ड सं.

मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक और नाम मतदान की तारीख

भाग-1

(मतदान आरम्भ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि:-

- मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान कराकर यह प्रदर्शित कर दिया है कि-
 - मतदान मशीन/मशीनें सुचारू रूप से कार्य कर रही है और उसके भीतर कोई मत अभिलिखित नहीं है।
 - मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में उससे भिन्न कोई चिन्ह नहीं है जो डाक मतपत्र जारी किये जाने और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्रों के लिए प्रयुक्त किये गये हैं, और
 - मतदान के दौरान उपयोग में लिया गया मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14क) में किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं हुई है।
- मैंने मतदान मशीन/मशीनों की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर (.....)
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता/अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
- (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर (.....)
पीठासीन अधिकारी

भाग-2

(बाद वाली मतदान मशीन के उपयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा)

मैं घोषणा करता हूँ कि:-

1. मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को बनावटी मतदान द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के लिए उपयोग की जाने वाली अगली मतदान मशीन खाली है और सुचारु रूप से कार्य कर रही है।
2. मैंने मतदान मशीन कंट्रोल यूनिट के परिणाम खण्ड को सुरक्षित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली पेपर सील पर स्वयं के हस्ताक्षर कर दिये हैं और उन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये हैं जो वहाँ उपस्थित थे और हस्ताक्षर करने के इच्छुक थे।

हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है।

1. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

भाग-3

(मतदान के अन्त में मतदान मशीन को मोहर युक्त करने बाद की घोषणा)

मैंने अपनी मोहर लगा दी है और मतदान की समाप्ति पर जो मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे उन्हें मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट के बक्सों पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति दे दी है।

दिनांक

समय

हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

निम्न मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मोहर लगा दी है:-

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
4. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
5. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
6. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
7. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मोहर से इन्कार कर दिया है।

1. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
2. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)
3. (..... अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता)

तारीख

हस्ताक्षर ()
पीठासीन अधिकारी

परिशिष्ट – 7

[देखें भाग-3]

पीठासीन अधिकारी (प्रिंसाइडिंग ऑफिसर) की डायरी

1. नगर पालिका का नाम
2. वार्ड संख्यांक
3. मतदान की तारीख
4. मतदान केन्द्र का नम्बर एवं नाम
5. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
1. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिट की संख्या
2. प्रयुक्त कन्ट्रोल यूनिटों की पहचान क्रम संख्या
3. प्रयुक्त बैलेट यूनिटों की संख्या
4. प्रयुक्त बैलेट यूनिटों की पहचान क्रम संख्या
6. 1. प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या
2. प्रयुक्त पेपर सीलों का क्रमांक
3. प्रयुक्त स्ट्रीप सील का क्रमांक
7. 1. आपूर्ति किये गये स्पेशल टेगों की संख्या
2. आपूर्ति किये गये स्पेशल टेगों की कम संख्या
3. प्रयुक्त स्पेशल टेगों की संख्या
4. प्रयुक्त स्पेशल टेगों की कम संख्या
5. अप्रयुक्त वापस किये गये स्पेशल टेगों की कम संख्या
8. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलम्ब से आये हो, उनकी संख्या
9. मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
10. 1. मतदान के प्रारम्भ पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
2. विलम्ब से पहुंचने वाले मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
3. मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या
11. 1. मतदान केन्द्र पर कुल मतदाताओं की संख्या
2. मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के अनुसार अनुज्ञात (Allow) किये गये मतदाताओं की संख्या
3. मतदाताओं का रजिस्टर (प्ररूप 14क) के अनुसार मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत दिया सदस्य पद के लिए
4. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
12. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने, मतदान किया :- पुरुष महिला थर्ड जेंडर.....योग
13. अभ्याक्षेपित (चैलेन्ज्ड) मत अनुमत संख्या अस्वीकृत संख्या
जब्त की गई धनराशि
14. निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या सदस्य पद के लिए
15. सहयोगियों की सहायता से मतदान करने वाले

- व्यक्तियों की संख्या
16. निविदत्त (टेण्डर्ड) मतों की कुल संख्या सदस्य पद के लिए
17. निर्वाचकों की संख्या :-
 (क) जिनसे उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की
 (ख) जिन्होंने ऐसी घोषणा से इन्कार किया
18. निर्वाचकों की संख्या :-
 (क) जिनकी फोटो मतदाता पहचान पत्र से
 पहचान की गई
 (ख) जिनकी वैकल्पिक दस्तावेजों से पहचान
 की गई
19. मतदान करने वाले दृष्टिहीन मतदाताओं की
 संख्या
20. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था ?
 यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण
21. डाले गये मतों की संख्या:-
 (क) मतदान प्रारम्भ होने से 10 बजे पूर्वान्ह तक
 (ख) 10 बजे पूर्वान्ह से 1 बजे मध्यान्ह तक
 (ग) 1 बजे मध्यान्ह से 3 बजे अपरान्ह तक
 (घ) 3 बजे अपरान्ह से मतदान समाप्त होने
 तक
22. मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय
 पर दी गई पर्चियों (स्लिप्स) की संख्या
23. ब्योरों सहित निर्वाचन अपराध के मामलों की
 संख्या:-
 (क) मतदान केन्द्र से 100मीटर की दूरी के
 भीतर मत सयाचना
 (ख) मतदाताओं द्वारा रूप धारण
 (Impersonation) किया जाना
 (ग) मतदान केन्द्र पर किसी सूची या सूचना या
 अन्य दस्तावेज
 को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या
 हटाना
 (घ) मतदाताओं को रिश्वत देना
 (ङ) मतदाताओं (तथा अन्य व्यक्तियों) को
 भयभीत करना
 (च) बूथ कैपचरिंग
24. यदि निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न
 अथवा बाधा उत्पन्न हुई हो, तो उनका विस्तृत
 रूप से उल्लेख किया जाये:-
 (क) बलवा या खुली हिंसा
 (ख) बूथ कैपचरिंग
 (ग) मतदान मशीन का खराब होना
 (घ) अन्य कोई कारण
25. क्या मतदान केन्द्र पर उपयोग में ली गई किसी
 मतदान मशीन द्वारा मतदान को निष्फल बनाया
 गया:-
 (क) पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से अवैध
 तरीके से बाहर ले जाना
 (ख) दुर्घटनावश या जानबूझकर खो गई या
 नष्ट हो गई
 (ग) विनिष्ट की गई अथवा उसमें गड़बड़ी की
 गई
 यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई हो तो
 उसका पूर्ण विवरण दिया जावे।

26. अभ्यर्थी द्वारा की गई गम्भीर शिकायतें, यदि कोई हों
27. कानून अभिकर्ताओं तथा व्यवस्था भंग करने संबंधी मामलों की संख्या
28. मतदान दल (पोलिंग पार्टी) द्वारा की त्रुटियों तथा अनियमितताओं का पूर्ण विवरण (यदि कोई हो तो)
29. क्या आपने मतदान के पूर्व मतदान के बीच किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उनके उपयोग में लाने से पूर्व तथा मतदान समाप्ति पर जैसा कि आवश्यक है घोषणाएं की है?
30. अन्य महत्वपूर्ण घटना का विवरण
(पीठासीन अधिकारी द्वारा किये गये मॉकपॉल एवं तैयार किये गये प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-19) का विवरण अंकित करें)

स्थान

तारीख

पीठासीन अधिकारी
(प्रिंसाइडिंग ऑफिसर)
का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट:-

1. इस प्रपत्र में यदि किसी मद के सामने पर्याप्त जगह न हो, तो सादे कागज पर जानकारी अंकित कर उसे इस डायरी के साथ नत्थी कर देना चाहिए।
2. यह डायरी मतदान मशीन तथा अन्य सीलड पेपर के साथ रिटर्निंग अधिकारी को प्रेषित करें।

परिशिष्ट – 8

[देखें भाग-8]

प्ररूप- 14 ग

नमूना

(नियम-49 ग और 63 क (2) देखिये)

भाग-1 रिकार्ड किये गये मतों का लेखा

..... क ख ग	नगरपालिका बोर्ड/नगरपरिषद्/निगम के लिए वार्ड सं.	11	से निर्वाचन मतदान केन्द्र की संख्या और नाम	16 – त थ द
निर्वाचन नामावली का भाग संख्या	2		मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मशीन का पहचान संख्यांक	नियंत्रण यूनिट RJSCU123456
				मतदान यूनिट RJSBU123789
1. मतदान केन्द्र के लिए नियत निर्वाचकों की कुल संख्या		1020		
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप14 क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या		815		
3. नियम 45(क) के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गये मतदाताओं की संख्या		5		
4. नियम 35क या 37 क के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किये गए मतदाताओं की संख्या		3		
5. मतदान मशीन के अनुसार रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या		807		
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने दर्शित मत रिकार्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है।				हाँ मेल करती है
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 44क के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए		6		
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या			क्रम संख्या..... से	तक
(क) उपयोग के लिए प्राप्त			0081 से 0100	तक
(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए			0081 से 0086	तक
(ग) प्रयुक्त न किए और वापस लिए गए			0087 से 0100	तक
9. पेपर सीलों का लेखा				
क्रम संख्या 002567 से 002570 तक				
			मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर	
1. प्रदाय की गई पेपर सीलों के क्रम संख्यांक		1		
002567 से 002570 तक		2		
2. प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या	4	3		
3. प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या	1			
(002567)		4		
4. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या		5		
(मद 3 से मद 2 घटाइए)	3	6		
5. नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक यदि कोई है				
.....				
तारीख 1.2.3			पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर	
स्थान य र ल			मतदान केन्द्र संख्या 15	

भाग – 2 मतगणना का परिणाम

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रिकार्ड किये गये मतों की संख्या
1	2	3
1.	क	315
2.	ख	206
3.	ग	4
4.	घ	5
5.	ङ	115
6.	च	56
7.	छ	8
8.	ज	46
9.	झ	52
नोटा (इनमें से कोई नहीं)		
योग	9	807

क्या उपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद सं. 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों योगों में कोई फर्क दर्शित होता है।

स्थान प, फ, भ

तारीख 3.4.5.

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम

पूर्ण हस्ताक्षर

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.....

.....

स्थान

तारीख

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 9

(भाग 6 पैरा 2)

थाना अधिकारी को शिकायती पत्र

सेवामें,

थाना अधिकारी,

.....
.....
.....

विषय:- नगरपालिका के वार्ड संख्यासे निर्वाचन मतदान

केन्द्र (सं. और नाम) में प्रतिरूपण – मतदान की तारीख

महोदय,

मुझे यह सूचित करना है कि श्रीके पुत्र और
..... निवासी ने उस व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप किया है जिसे श्री.....
..... के सुपर्द किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने श्री होने का
दावा किया है जिसका नाम नगरपालिका के वार्ड संख्या की
निर्वाचक नामावली के भाग संख्या के क्रम संख्यापर दर्शित है। यह व्यक्ति यह
साबित नहीं कर सका है कि वह उक्त निर्वाचक है। मेरे विचार में वह छद्मवेशी हैं। अतः आप से
निवेदन है कि आप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171-च के अधीन अपेक्षित आवश्यक
कार्यवाही करें।

भवदीय,

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

पीठासीन ऑफिसर

प्रति नगरपालिका के रिटर्निंग ऑफिसर और को
प्रेषित।

हस्ताक्षर

पीठासीन ऑफिसर

परिशिष्ट – 10

[देखें भाग-6 का पैरा 3]

निर्वाचक द्वारा उनकी आयु के संबंध में घोषणा का प्ररूप

नगरपालिका का नाम

वार्ड संख्या

मतदान केन्द्र का संख्या व नाम

निर्वाचक द्वारा घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि सन् 20.... की प्रथम जनवरी को अर्थात् अर्हता की उस तारीख को जिसके प्रतिनिर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।

मुझे निर्वाचक नामावलियों में या निर्वाचक नामावली की तैयारी/पुनरीक्षण या शुद्धि में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने संबंधी मिथ्या घोषणा के बारे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 15 के दण्डात्मक उपबंधों के बारे में जानकारी है।

निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

तारीख पिता/पति का नाम
निर्वाचक नामावली का भाग
निर्वाचक की क्रम सं.

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी निर्वाचक ने मेरे सामने उपर्युक्त सत्यनिष्ठा की घोषणा की और उस पर हस्ताक्षर किए।

पीठासीन ऑफिसर के हस्ताक्षर

.....

मतदान केन्द्र की संख्या व नाम

तारीख

परिशिष्ट – 11

[देखें भाग-6 का पैरा 3]

आयु संबंधी घोषणा करने वाले मतदाताओं की सूची

..... नगरपालिका के लिये निर्वाचन

वार्ड संख्या

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम

भाग-I

उन मतदाताओं की सूची, जिनसे उनकी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				

भाग-II

उन मतदाताओं की सूची, जिन्होंने अपनी आयु के सम्बन्ध में घोषणाएं करने से इंकार कर दिया है।

क्र. सं.	मतदाता का नाम	निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या	निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु	पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित आयु
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				
3.				
4.				

दिनांक

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 12

(भाग 7 पैरा 1)

असांविधिक प्ररूप

दृष्टिहीन या शिथिलांग निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा

[नगरपालिका वार्ड संख्या]

मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम

मैं, का पुत्र/पुत्री श्री
आयु वर्ष का निवासी
..... (स्थान)*

यह घोषणा करता हूँ कि:-

(क) मैंने आज (तारीख) को किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(ख) मैं श्री भाग संख्या क्रम संख्याकी ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा।

साथी के हस्ताक्षर

*यहां पर पूरा पता लिखा जाए।

चैलेन्ज फीस, रशीद बुक प्ररूप

परिशिष्ट 13

(देखे भाग 6, पैरा 2.1)

कार्यालय पीठासीन अधिकारी

आपत्ति शुल्क (चैलेज फी)
के लिये रसीद

क्रम सं. पृष्ठ संख्या

श्री

*उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/ मतदान
अभिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद राज.
नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43
के अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के
रूप में प्राप्त किये।

हस्ताक्षर

तारीख पीठासीन अधिकारी

वार्ड संख्या

नगरपालिका

मतदान केन्द्र का नाम

व क्रमांक

*सरकार के पक्ष में धनराशि जब्त की जाती है।

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के
नियम 43 (5) के अन्तर्गत 2 (दो) रुपये मात्रा
वापस प्राप्त किये।

नाम व हस्ताक्षर

उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/
मतदान अभिकर्ता

परिशिष्ट 13

(देखे भाग 6, पैरा 2.1)

कार्यालय पीठासीन अधिकारी

आपत्ति शुल्क (चैलेज फी)
के लिये रसीद

क्रम सं. पृष्ठ संख्या

श्री *उम्मीदवार/ निर्वाचन
अभिकर्ता/ मतदान अभिकर्ता से 2(दो) रुपये मात्र नकद
राज. नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 43 के
अधीन आपत्ति की निक्षिप्त राशि (डिपोजिट) के रूप में प्राप्त
किये।

हस्ताक्षर

तारीख पीठासीन अधिकारी

वार्ड संख्या

नगरपालिका

मतदान केन्द्र का नाम

व क्रमांक

* जो अनुकल्प लागू न हो से काट दीजिये।

पीठासीन अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा

(1) नियुक्ति होने पर

1. जब आप अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर लें, तब आप कृपया निम्नलिखित बातों की सावधानी पूर्वक जांच और परीक्षा कर लें:-

- 1) अपने मतदान केंद्र का नाम और उसका संख्यांक;
- 2) नगरपालिका के उस वार्ड की संख्या, जिसके भीतर वह मतदान केंद्र स्थित है;
- 3) अपने मतदान केंद्र का सही स्थान।

यह सूचना आपको अपने नियुक्ति आदेश में ही मिल जायेगी। आपको अपने मतदान अधिकारियों के नाम भी उसी आदेश में मिल जायेंगे, आप उनसे सम्पर्क। स्थापित करने का प्रयत्न करे और उनके घर के तथा कार्यालय के पते अपने पास रख लें और अपने घर का तथा कार्यालय पता उनको दे दें। आप अधिक से अधिक प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हों ताकि आप मतदान मशीन के संचालन से पूर्ण परिचित हो जायें। आप अपनी स्मरण शक्ति और पूर्व अनुभवों पर कदापि निर्भर न रहें, क्योंकि इससे आपको धोखा हो सकता है। अनुदेशों में समय-समय पर बहुत परिवर्तन होते रहते हैं।

2. निम्नलिखित पैम्पलेटों और पुस्तिकाओं को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें:-

- 1) पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश पुस्तिका
- 2) इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की नियमावली
- 3) पीठासीन अधिकारियों के नाम रिटर्निंग अधिकारी का वह पत्र, जिसमें महत्वपूर्ण अनुदेश दिये गये हों।

3. आप परिशिष्ट -4 में बताई गई मतदान सामग्री की मदों की जानकारी प्राप्त कर लें।

4. आप नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को परस्पर जोड़ने और अलग करने तथा नियंत्रण यूनिट के बंद करने और मुहरबंद करने की रीति और विधि का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

5. आप उपाबंधों में दिये गये विभिन्न प्रकार के सांविधिक और असांविधिक प्ररूपों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

6. आप परिशिष्ट-1 व 2 में दिये गये भारतीय दण्ड संहिता, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं और परिशिष्ट-3 में दिये गये राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियमों के संबंधित प्रावधानों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ लें। यदि आपको कोई भी संदेह हो तो आप अपने रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क करें और अपने संदेह का निराकरण कर लें।

(2) मतदान के दिन से एक दिन पूर्व का दिन

1. मतदान दिवस के एक दिन पूर्व आपसे कहा जायेगा कि आप मतदान केंद्र पर उपयोग में आने वाली सामग्री ले लें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि:-

- 1) आपको दी गयी नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट(टों) आपके मतदान केंद्र से ही संबंधित है।
- 2) नियंत्रण यूनिट का 'कैड सेट सेक्शन' सम्यक् रूप से मुहरबंद है और एड्रेस टैग उससे मजबूती से लगा हुआ है।
- 3) नियंत्रण यूनिट की बैटरी पूर्ण रूप से परिचालित है।
- 4) मतदान यूनिट(टों) के शिखर और तल दोनों के दाहिने भाग को सम्यक् रूप से सील कर दिया गया है और एड्रेस टैग मजबूती से लगा दिये गये हैं।
- 5) समुचित मतपत्र प्रत्येक मतदान युनिट पर चिपका दिया गया है और मतपत्र स्क्रीन के नीचे उचित रूप से पंक्तिबद्ध कर दिया गया है।
- 6) स्लाइड स्विच को प्रत्येक मतदान यूनिट में समुचित स्थिति की ओर से सैट कर दिया गया है।
- 7) परिशिष्ट-4 में वर्णित मतदान सामग्री की सभी वस्तुएं अपेक्षित मात्रा में आपको दे दी गयी है।
- 8) पेपर सीलों की क्रम संख्याओं की जांच कर लें।

9) निर्वाचक नामावली की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कर लें कि :-

- I. पूरक सूचियों की प्रतियां दे दी गयी हैं;
- II. निर्वाचक नामावली और पूरक सूचियों पर भाग संख्या सही है;
- III. निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रतियों में पृष्ठ संख्या क्रमबद्ध रूप से दी गयी है;
- IV. मतदाताओं के मुद्रित क्रम संख्या में शुद्धियां नहीं की हुई हैं और न ही उनके स्थान पर नयी संख्या दी गयी है;
- V. पूरक सूचियों के अनुसार नामों को काट दिया गया है और लिपिकीय या अन्य प्रकार की गलतियों को ठीक कर दिया गया है।

- 10) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की जो प्रति आपको दी गयी है, उसकी जांच कर लें/सूची में दिये गये अभ्यर्थियों के नामों और प्रतीकों का मिलान करना चाहिये और उनका क्रम भी वही होना चाहिये, जो मतदान यूनिट पर के मतपत्र में है। यह भी देख लें कि मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अन्तिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) का विकल्प एवं उसके लिए निर्धारित प्रतीक दिया हुआ है।
 - 11) इस बात की जांच कर ले कि आपको अमिट स्याही की जो शीशी दी गयी है उसमें अमिट स्याही पर्याप्त मात्रा में है और उसकी डाट ठीक तरह से सील की हुई है; यदि ऐसा न हो तो मोमबत्ती की मोम से उसे पुनः बन्द कर दें।
 - 12) ऐरो क्रॉस मार्क रबड़ की मुहर और अपनी पीतल की मुहर की जांच कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि ऐरोक्रॉस मार्क रबड़ की मुहर के दोनों तरफ मुहरें चिपकी हुई हैं और स्टाम्प पैड सूखे नहीं है।
 - 13) यदि आपको अपने आने-जाने के कार्यक्रम, मतदान केन्द्र पर पहुँचने के मार्ग के बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तो आप उसको स्पष्ट कर लें और मतदान केन्द्र पर पहुँचने का समय, प्रस्थान करने का स्थान और जाने के लिए वाहन के बारे में पूरी जानकारी कर लें।
2. 1) आप अपने मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन से पूर्व के दिन, अधिक से अधिक 4 बजे सायं तक, पहुँच जावें और यह सुनिश्चित कर लें कि –
- i. मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं को प्रतीक्षा करने के लिए और पुरुष और महिला मतदाताओं की अलग-अलग पंक्तियां बनाने के लिए पर्याप्त स्थान है;
 - ii. मतदाताओं के प्रवेश करने और बाहर जाने के लिए पृथक्-पृथक् रास्ते हैं;
 - iii. मतदाताओं के लिए अपना मत अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश वाला मतदान कक्ष है;
 - iv. मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरे दर्शित करने वाली सूचना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है;
 - v. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है।
- 2) महिला सहायक सहित ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करें, जिनकी सहायता की जरूरत आपको मतदाताओं को पहचान करने के लिए होगी।
 - 3) वह स्थान नियत कर लें, जहां आप, आपके मतदान अधिकारी और अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता बैठेंगे और मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट रखी जायेगी।
 - 4) किसी राजनैतिक दल के किसी नेता का कोई भी फोटो मतदान केन्द्र पर टंगा हो तो उसे हटा लें या पूर्णतया ढक दें।

3. मतदान मशीन और मतदान सामग्री जो आपको दी गई है, वह मतदान की समाप्ति तक तथा मतदान मशीन और सामग्री आपके द्वारा वापिस संभला दिये जाने तक बिल्कुल आपकी अभिरक्षा में रहनी चाहिये। मतदान मशीन और मतदान सामग्री की आप स्वयं या आपके द्वारा चयनित मतदान अधिकारी के अलावा मतदान केन्द्र पर कार्यरत पुलिस गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में नहीं छोड़ी जानी चाहिये।

(3) मतदान के दिन को मतदान केन्द्र पर पहुँचने पर

1. आप यह सुनिश्चित कर लें कि आप और आपके मतदान दल के अन्य सदस्य मतदान आरंभ होने के लिए नियत समय से 75 मिनट पूर्व मतदान केन्द्र पर पहुँच जायें। वहां पहुँचने पर आप मतदान मशीन और मतदान सामग्री की जांच कर लें।

2. मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों की जांच कर लें और उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 के उपबंध समझा दें। उनको बैठने की जगह नियत कर दें और उन्हें आने-जाने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दें। परिशिष्ट-6 में यथानिर्दिष्ट घोषणा पढ़कर सुना दें।
3. यदि आपके मतदान दल का कोई मतदान अधिकारी नहीं आया हो तो आप उसके स्थान पर एक मतदान अधिकारी नियुक्ति करने की व्यवस्था करें।
4. मतदान के प्रारंभ के लिए नियत समय से एक घंटे पूर्व मतदान मशीन तैयार करना प्रारंभ कर दें।
5. मॉकपॉल का संचालन करें और पीठासीन अधिकारी परिशिष्ट-19 में निर्धारित प्रारूप में मॉकपॉल प्रमाण पत्र तैयार करें। यदि मतदान मशीन में कोई बाधा उत्पन्न हो तो उसे दूर करें।
6. पिंक पेपर सील लगा दें और नियंत्रण यूनिट के परिणाम भाग को बन्द तथा मुहरबंद कर दें
7. अमिट स्याही की शीशी इस तरीके से रखें, जिससे स्याही फैलने न पाये।

(4) मतदान के समय के दौरान

1. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान ठीक समय पर ही प्रारंभ होता है। यद्यपि सारी औपचारिकताएं पूरी न भी हुई हों तो भी नियत समय पर कुछ मतदाताओं को मतदान केन्द्र के अन्दर आने दें।
2. मतदान के दौरान असाधारण प्रकृति के अनेक जटिल मामले उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आप ऐसे मामलों को स्वयं निपटारें और मतदान अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने दें। ऐसे मामले में निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं—
 - 1) किसी मतदाता के बारे में चुनौति
 - 2) अवयस्कों द्वारा मतदान
 - 3) अंधे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान
 - 4) नि.क.प्र. के आधार पर मतदान
 - 5) निविदत्त मत
 - 6) मतदान की गोपनीयता भंग करना
 - 7) बूथ पर उपद्रवी आचरण और उपद्रवी व्यक्तियों को वहां से हटाया जाना
 - 8) बलवे या किसी अन्य कारण से मतदान का स्थगन।
3. प्रत्येक दो घंटे के मतदान से संबंधित आंकड़ों की सूचना अपनी डायरी के संकलन के लिए इकट्ठी करें।
4. नियत समय पर ही मतदान बंद करा दें, यद्यपि मतदान कुछ देर से प्रारंभ किया गया हो। उस समय पर जो व्यक्ति पंक्ति में खड़े हों, उनको आप अपने हस्ताक्षर करके पर्चियां बंटवा दें। यह सुनिश्चित कर लें कि नियत समय के पश्चात कोई भी अतिरिक्त व्यक्ति उस पंक्ति में न आने पाये।

(5) मतदान पूरा होने के पश्चात

1. दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान मशीन को बन्द और मुहरबंद कर दें।
2. उन महिला मतदाताओं एवं अन्य रूप में मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या अभिनिश्चित करें, जिन्होंने मत दिया है।
3. प्ररूप-14 ग (रिकार्ड किये गये मतों का लेखा और पेपर सील लेखा) पूरा कर लें। मतदान के बन्द होने पर वहां उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप-14 ग की एक प्रति अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति यथानिर्दिष्ट घोषणा प्ररूप पर उनसे उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात दे दें। उसके पश्चात उस घोषणा के अन्य विवरणों को पूरा कर लें।
4. अपनी डायरी पूरी तरह से भर लें।
5. अनुदेशों के अनुसार सभी निर्वाचन पत्रों को मुहरबन्द कर दें।
6. मुहरबंद मतदान मशीन और मुहरबंद निर्वाचन पत्रों के पैकेट संग्रहण केन्द्र में जमा कराने के लिए वापसी यात्रा के कार्यक्रम का अनुसरण करें। संग्रहण केन्द्र पर मतदान मशीन और अन्य पैकेटों को अधिकृत स्थिति में जमा कराने और उसकी रसीद प्राप्त करने की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से आपकी है। यह विचार कर लें कि आपने भिन्न-भिन्न वस्तुएं संबंधित काउन्टरों पर संभलवा दी है।

परिशिष्ट-15
[देखें भाग 3, पैरा 1-1 (xxix)]

पीठासीन अधिकारियों लिए चैक मीमो

आईटम सं.	कार्य जो किया जाना है	विवरण
1	2	3
1.	जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित अनुदेश प्राप्त करना और सुरक्षित करना	क्या प्राप्त कर लिया है और रख लिया है?
2.	मतदान दल के अन्य सदस्यों से परिचय तथा उनसे नजदीक संबंध रखना	क्या कर लिया गया है?
3.	चुनाव सामग्री को प्राप्त करना	क्या आप आश्वस्त हो गये कि समस्त प्रकार की सामग्री पर्याप्त मात्रा में आपने प्राप्त कर ली है?
4.	मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों, ऐरोक्रॉस मार्क रबर सील, सुभिन्नकारी चिन्ह की सील, मतदान रजिस्टर, मतदाता पर्चियां, पेपर सील इत्यादि की जांच	क्या आपने अच्छी तरह से चैक कर ली है?
5.	मतदान केन्द्र में प्रवेश व निकास के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था	क्या आपने कर ली है?
6.	मतदान केन्द्र के क्षेत्र और निर्वाचकों की संख्या, जो कि मतदान केन्द्र के लिए निश्चित है, को दर्शित करते हुए नोटिस तथा मतदान का समय दर्शित करने के लिए नोटिस	क्या आपने प्रदर्शित कर दिया है?
7.	चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	क्या आपने प्रदर्शित कर दी है?
8.	नियंत्रण यूनिट व मतदान यूनिट को आपस में जोड़ना व बैटरी चालू करना	क्या आपने ऐसा कर लिया है?
9.	दिखावटी मतदान कराना	क्या आपने करा दिया है?
10.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन पर पिंक पेपर सील लगाना, स्पेशल टैग लगाना	क्या आपने लगा दिये है?
11.	नियंत्रण यूनिट के परिणाम सेक्शन को सीलबंद करना	क्या ऐसा कर लिया है?
12.	नियंत्रण यूनिट को स्ट्रिप सील से सील करना	क्या ऐसा कर लिया है?
13.	पीठासीन अधिकारी को मतदान प्रारम्भ करते समय घोषणा	क्या आपने कर दी है?
14.	मतदान प्रारम्भ करते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 में बताये गये मतदान की गोपनीयता के प्रावधानों को उपस्थित/ अभ्यर्थियों / मतदान अभिकर्ता को बता दिया गया है।	क्या आपने बता दिया है?
15.	मतदान यूनिट व बैलेट यूनिट तथा पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील व स्पेशल टैग क्रमांक नोट करने हेतु मतदान अभिकर्ताओं को कहना	क्या आपने कह दिया है?
16.	बांये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही का निशान लगाना एवं मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर / निशानी प्राप्त करना	क्या लगातार ऐसा किया जा रहा है?
17.	अल्प आयु निर्वाचकों से घोषणा	क्या प्राप्त कर ली है?
18.	रिकार्ड किये गये मतों का लेखा	क्या आपने लेखे सही तैयार किये हैं और मतदान अभिकर्ताओं को नोट करा दिया हैं या उनके द्वारा नकल उतारने पर उसे प्रमाणित कर दिया है?
19.	पीठासीन अधिकारी की डायरी का रख-रखाव	क्या समय-समय पर पूर्ति की जा रही है?
20.	नियत समय पर मतदान बंद करना	क्या करा दिया है?
21.	मतदान समाप्ति की घोषणा	क्या आपने कर दी है?
22.	उपस्थित अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर	क्या उन्हें अनुज्ञात किया है?
23.	मतदान मशीन एवं निर्वाचन कागजात को मोहरबंद करना	क्या आपने निर्देशों के अनुसार किया है?
24.	मतदान मशीन एवं अन्य निर्वाचन सामग्री को जमा कराना	क्या आपने जमा कराने के लिए उनको पूर्णतया तैयार कर लिया है?

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/559

दिनांक : 07.02.2019

आदेश

यतः राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 37 में यह उपबंधित है कि किसी निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में उस निर्वाचक से सम्बंधित प्रविष्टियों के संदर्भ में से निर्वाचक की पहचान के बारे में स्वयं का समाधान करेगा, और

यतः राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 40 में यह उपबंधित है कि किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी, यदि उसके पास मतदाता की पहचान या ऐसे मतदान केन्द्र पर मत देने के उसके अधिकार के बारे में सन्देह करने का कारण हो तो स्वप्रेरणा से, और यदि किसी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ता द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाये तो, मतदाता से ऐसे प्रश्न पूछकर जो वह आवश्यक समझे, अपना यह समाधान कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है, जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बंधित है, और

यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार निर्वाचक नामावली तैयार कर निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी किया जाता है। इस प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं नव पंजीकृत मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली विधानसभा निर्वाचक नामावली के डेटाबेस को वार्डवार विभक्त कर तैयार की जाती है, जिससे विधानसभा की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में स्वतः ही पंजीकृत हो जाते हैं। अतः राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध होता है, जो मतदान के समय मतदाता की पहचान के लिए प्राथमिक मान्य दस्तावेज है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 K एवं अनुच्छेद 243 ZA के साथ पठित राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उपधारा (2) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त इसे सशक्त करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश सख्या 3131 दिनांक 10.09.2009, 4796 दिनांक 09.11.2009 एवं 494 दिनांक 11.02.2014 को अतिक्रमित करते हुए यह निर्देश देता है कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थाओं में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नांकित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

1. आधार कार्ड।
2. पासपोर्ट।
3. ड्राइविंग लाइसेन्स।
4. आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन.)।
5. मनरेगा जॉब कार्ड।
6. सांसदों/विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।

7. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
8. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन ओदश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
10. सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।
11. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)

निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगरपालिका के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाये और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में वह तिथि है जिस दिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाये।

परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएँ तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार जैन)
सचिव

दिनांक 07.02.2019

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/560-67

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज., जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
7. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल एवं वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

स्वीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 54/2/2015-ईएमएस

दिनांक: 23 मार्च, 2015

सेवा में

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना-तत्संबंधी।

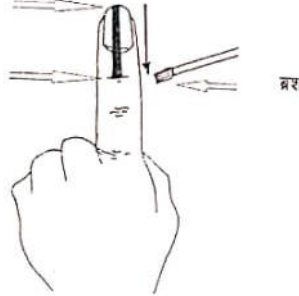
महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाल ही के पिछले निर्वाचनों के दौरान, अमिट स्याही को अनुचित रूप से लगाने के बारे में आयोग को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। आयोग द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया है और आयोग ने यह निदेश दिया है कि सभी भावी निर्वाचनों के दौरान, निम्नलिखित का कड़ाई से पालन किया जाए :-

अमिट स्याही बाईं तर्जनी के नाखून के आखिरी सिरे से प्रथम जोड़ के नीचे तक ब्रश (मै. मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला) की सहायता से मतदाता की अंगुली पर लगाई जाएगी जैसाकि नीचे आरेख में दर्शाया गया है।

नाखून का मुक्त छोर या सिरा

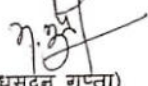
प्रथम जोड़



2. कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कंट्रोल यूनिट का वॉलेट वटन दवाने से पहले, निर्वाचकों की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान पूरी तरह से लगा हो।

157

इस अनुदेश की एक प्रति सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को भेजी जाए। प्रशिक्षणों के दौरान इस अनुदेश को सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों के सख्त अनुपालन के लिए उनके संज्ञान में लाया जाए। मतदान ड्यूटी पर जाते समय पीठासीन अधिकारी को दी गई किट में भी इस अनुदेश की एक प्रति रखी जाएगी।

भवदीय,

(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. प्रबंधक निदेशक, मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश लिमिटेड, न्यू बन्नीमंतप एक्सटेंशन मैसूर-570015, कर्नाटक को इस अनुरोध सहित कि अमिट स्याही के साथ-साथ ब्रशों की आपूर्ति भी सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से की जानी सुनिश्चित करें।
2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों को उनकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.1(4)(1)/नपा/रानिआ/2014/2205

जयपुर, दिनांक: 04.07.19

:: आदेश ::

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम-35A(2) में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाने संबंधी प्रावधान अंकित है। नियम-35A(2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(2) (a) Before permitting a voter to vote, the presiding officer shall cause a mark to be put on the left forefinger of the voter with an indelible ink;

Provided that where such a mark already exists on the left forefinger of the voter, it shall be deemed that he had cast his vote already at the election and shall not be permitted to vote.

Provided further that no voter shall be allowed to vote unless he has allowed a mark to be put on his left forefinger with an indelible ink.

(b) Any reference in this sub-rule to the left forefinger of a voter shall in the case where the voter has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger on his left hand and shall in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger of the right hand and shall, in case the fingers of both the hands are missing, be constructed as a reference to such extremity of the left or right arm as he possesses.

लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के पश्चात् होने वाले नगरपालिकाओं के निर्वाचन में मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान यदि दृष्टव्य (Visible) है तो मतदान अधिकारियों के समक्ष मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही का निशान लगाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः आयोग राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 97 (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी करता है :-

1. लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् होने वाले नगरपालिकाओं के निर्वाचन में लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन हेतु अंकित किया गया अमिट स्याही का निशान दृष्टव्य (Visible) रहने की स्थिति में अमिट स्याही का निशान सभी मतदाताओं के दायें हाथ की तर्जनी अंगुली (Right Hand Fore-Finger) पर अंकित किया जाएगा। (लोकसभा एवं विधानसभा के किसी निर्वाचन में पुनर्मतदान के तुरन्त पश्चात् यदि नगरपालिकाओं के निर्वाचन होते हैं तो ऐसी स्थिति में अमिट स्याही लगाने हेतु पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।)

2. नगरपालिकाओं के चुनाव के दौरान पुनर्मतदान (Re-poll) की स्थिति में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बायें हाथ की मध्यमा अंगुली (Left Hand Middle-Finger) पर अंकित किया जाएगा।
3. उक्त निर्देशों की क्रियान्विति में यदि किसी मतदाता के किसी हाथ की संबंधित अंगुली नहीं हो, तो वहां अमिट स्याही का निशान अंकित किए जाने हेतु नियम-35A(2)(b) में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।

आज्ञा से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/

जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राज., जयपुर

(परिशिष्ट-19)

प्रारूप मॉकपॉल प्रमाण पत्र

क्र.सं.	मॉकपॉल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम	मॉकपॉल वोटर पर्ची क्रमांक	मतदान किये गये अभ्यर्थी की क्रम संख्या (जिसको वोट दिया है)	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपॉल के अनुसार मॉकपॉल परिणाम में प्राप्त मतों की संख्या तथा कन्ट्रोल यूनिट से Result-I बटन दबाने से प्राप्त मतों की संख्या का मिलान कर प्रदर्शित कर दिया गया है। जिसमें कोई भिन्नता नहीं है।

मॉकपॉल के पश्चात् ई.वी.एम. में रिकॉर्ड किये गये मतों को Clear (डिलीट) कर दिया गया है।

(पीठासीन अधिकारी)